मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन

(सितंबर 2024 तक संशोधित)

Memorandum of Association

&

Articles of Association

(Amended Upto September 2024)



हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉपेरिशन लिमिटेड, हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Housing and Urban Development Corporation Ltd. HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

a Has
LATIN

Form I.R.

CERTIFICATE OF INCORPORATION

I hereby certify that ... THE HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

FINANCE CORPORATION PRIVATE LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. I of 1956) and that the Company is Limited.

MGIPTC-629-19 General-GIPTC-(C-622)-22-5-63-4.000.

The Certificate is issued in supersession of the certificate issued by this office on 8-7-1971. Co. No.5276



FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION CONSEQUENT ON CHANGE OF NAME

In the Office of the Registrar of Companies DELHI & HARYANA

[Under the Companies Act, 1956 (I of 1956)]

IN THE MATTER OF* Housing and Urban Development Finance Corporation

Private Limited

I hereby certify that <u>Housing and Urban Development Finance Corporation Private Limited</u>, which was originally incorporated on <u>25th</u> day of <u>April 1970</u> under the <u>†</u> <u>Companies</u>. Act. 1956 under the name <u>Housing and Urban Development Finance</u> <u>Corporation Private Limited</u>, having duly passed the necessary resolution in terms of section 21 of Companies Act 1956, and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto in the <u>Regional Director</u>, <u>Kanpur</u> letter No. <u>1838-D/3858</u> dated <u>5-7-1971</u> the name of the said company is this day changed to <u>Housing and Urban Development Corporation Limited</u> and this certificate is issued pursuant to section 23(1) of the said Act.

Given under my hand at <u>New Delhi</u> this <u>9th day</u> of <u>July</u> 19.74. (One thousand nine hundred <u>seventy four</u>)

(R.K. JAIN)

Asstt. **Registrar of Companies** Delhi & Haryana

* Here give the name of the company as existing prior to the change.

† Here give the name of the Act(s) under which the company was originally registered and incorporated.

The seal of

the Registrar

of

Companies Delhi & Haryana

J.S.C.7.

MGIPTC-1311 JSC-12407-(C-1316)-10-164-3,000.

CONTENTS

		Page No.
Memo	randum of Association	1
Ι	Name	1
II	Registered Office	1
III (A)	Main objects	1
III (B)	Incidental or ancillary objects	2
IV	Liability	4
V	Share Capital	4
Article	es of Association	6
1.	Interpretation Clause	6
2.	Table 'A' not to Apply	9
3.	Company to be governed by these Articles	9
4.	Company is a Public Limited Company	9
5.	Articles to be Contemporary in nature	9
6.	Capital and Shares	10
7.	Mode of increasing capital	10
8.	Share and Securities under the control of the Directors	10
9.	Right of members or debenture holder to certificate	10
10.	Issue of new certificate in place of one defaced, lost or destroyed	10
11.	Transfer and Transmission of shares	11
12.	Register of transfer of shares and debentures	12
13.	Execution of transfer	12
14.	Transmission of shares	12
15.	Transmission by operation of law	12
16.	No transfer to minor, insolvent etc.	12
17.	Company not liable for disregard of a notice in prohibiting registration of transfer	13
18.	Alteration of capital (A), (B) Capitalization of profit	13
19.	Issue of share	14
20.	When to be offered to existing members	15
21.	New shares to rank with shares in original capital	15
22.	Issue of redeemable preference shares	16
23.	Buy-back of shares/ securities	16
24.	Provisions applicable to any other securities	16
25.	Variations/modification of shareholder rights	16
26.	Shares not to be held in trust	16

i

	विषय सूची	
		पृष्ठ संख्या
मेमोरेण्डम	ऑफ एसोसिएशन	1
Ι	नाम	1
II	पंजीकृत कार्यालय	1
III (क)	मुख्य उद्देश्य	1
III (ख)	प्रासंगिक या सहायक उद्देश्य	2
IV	दायित्व	4
V	शेयर पूजी	4
आर्टिकल्स्	। ऑफ एसोसिएशन	6
1.	व्याख्यात्मक खंड	6
2.	टेबल 'ए' कंपनी पर लागू नहीं	9
3.	इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अनुच्छेदों के द्वारा कंपनी शासित होगी	9
4.	कंपनी एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है	9
5.	अनुच्छेद समसामयिक प्रकृति के होंगे	9
6.	पूंजी और शेयर	10
7.	पूंजी में वृद्धि करने का माध्यम	10
8.	निदेशकों के नियंत्रधीन शेयर और प्रतिभूतियां	10
9.	सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों का प्रमाण पत्र का अधिकार	10
10.	विरूपित, गुम अथवा नष्ट प्रमाण पत्र के स्थान पर नया प्रमाण पत्र जारी करना	10
11.	शेयरों का अंतरण/हस्तांतरण	11
12.	शेयरों और डिबेंचरों के अंतरण के पंजिका	12
13.	अंतरण का निष्पादन	12
14.	शेयरों का हस्तांतरण	12
15.	अनुच्छेद 11	12
16.	अवयस्क, दिवालिए आदि को अंतरण नहीं	12
17.	कंपनी अंतरण के पंजीकरण को मना करने में किसी नोटिस के न मानने के लिए जिम्मेदार नहीं	13
18.	पूंजी में परिवर्तन (क) लाभों का पूंजीकरण	13
19.	शेयर जारी करना	14
20.	मौजूदा सदस्यों को कब प्रस्तावित किए जाए	15
21.	मूल पूंजी के अनुसार	15
22.	मोचनीय अधिमान्य शेयर जारी करना	16
23.	शेयरों/प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद	16
24.	किसी अन्य प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान लागू	16
25.	शेयरधारकों के अधिकारों में परिवर्तन/संशोधन	16
26.	न्यास में शेयर नहीं रखे जाएंगे	16

16 18 18 20 20
18 20
20
20
20
21
21
22
22
22
25
27
32
32
33
33
33
34
34
37
42
43
43
43
44
44
44
ditors 45
45
47
47
47
48
ent 48

27.	मांग	16
28.	पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन)	18
29.	शेयरों/डिबेंचरों को जब्ती	18
30.	कर्मचारी स्टॉक के विकल्प	20
31.	स्वीट इक्विटी शेयर जारी करने की शक्तियां	20
32.	प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में करना	20
33.	अंडरराइटिंग कमीशन	21
34.	ऋण लेने की शक्तियां	21
35.	प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तें	22
36.	प्रभारों का रजिस्टर	22
37.	वार्षिक साधारण बैठक	22
38.	सदस्यों के मत	25
39.	निदेशक मंडल	27
40.	प्रेसीडेंट के निर्णय के लिए सुरक्षित	32
41.	प्रेसीडेंट के दिशा-निर्देश	32
42.	हितों की घोषणा	33
43.	हितधारी निदेशक बोर्ड की कार्यवाही सम्मिलित अथवा उसमें वोट नहीं डाल सकेंगे	33
44.	वे मामले जहां निदेशक का हित सम्मिलित हो उनके संविदा का रजिस्टर	33
45.	निदेशकों एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकों के रजिस्टर एवं उनके अंशधारिता	34
46.	बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता	34
47.	निदेशकों को दिए गए विशिष्ट अधिकार	37
48.	सतर्कता संबंधी गतिविधियां	42
49.	निदेशक के कार्य	43
50.	प्रबंधन कंपनी सचिव अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी	43
51.	कंपनी सचिव का कार्य	43
52.	लाभों एवं डिबेंचर का वितरण	44
53.	सदस्यों द्वारा कंपनी के लिखों एवं पुस्तकों का निरीक्षण	44
54.	वित्तीय विवरणी	44
55.	संवैधानिक लेखा परीक्षक लागत परीक्षक एवं सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति	45
56.	कागजात एवं सूचनाएं	45
57.	बंद होना	47
58.	गोपनीय खंड	47
59.	उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां	47
60.	दूसरों के कार्यों के लिए जिम्मेवार नहीं	48
61.	सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट एवं अन्य नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की अनिवार्यताएं	48

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Name I. The name of the Company is "Housing and Urban Development Corporation Limited."

Registered Office

Main

II.

- objects
- III. (A) The main objects for which the Company is established are:-
 - *(1) to provide finance/ credit facility to the Housing and Infrastructure Sectors/ Sub-sectors, with special emphasis on urban development.

The registered office of the Company will be situated in the Union Territory of Delhi.

- *(2) to finance or undertake or collaborate for development of the Housing and Infrastructure Sectors/ Sub-sectors including the setting up of new / satellite towns, in India and abroad.
- *(3) to subscribe to the debentures and bonds issued for the purpose of financing Housing and Infrastructure Sectors/Sub-sectors.
- @ (4) to finance or undertake the setting up of industrial enterprises of building material.
- *(5) to administer the funds received, from time to time, from the Government of India and other sources as grants or otherwise for the purposes of channelizing or financing Housing and Infrastructure Sectors/ Sub-sectors or undertaking or assisting in development thereof in the country.
- *(6) to promote, establish, assist, collaborate and provide consultancy services relating to Housing and Infrastructure Sectors/ Sub-sectors in India and abroad.
- *(7) to undertake the business, or invest in and/or subscribe to the units/ shares etc., of Alternate Investment Funds (AIF), Real Estate Investment Trust (REIT) and/ or Infrastructure Investment Trust (InvIT) pertaining to Housing and Infrastructure Sectors/ Sub-sectors and also facilitating Innovations in these Sectors/ Sub-sectors.
- *(8) to set up HUDCO's own Mutual Fund for the purpose of Housing and Infrastructure Sectors/Sub-sectors and/or invest in, and/or subscribe to the units etc. of Mutual Funds.

* New Sub-Clause(s) 1 to 3 and 5 to 8 substituted in lieu of old by Special Resolution passed by Shareholders at the 54th Annual General Meeting held on 25.09.2024 and registered by the Registrar of Companies on 18.11.2024.

@ New Sub-Clause (4) substituted in lieu of old by Special Resolution passed by Shareholders at the Extra-ordinary General Meeting held on 30.9.1998.

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन

- कंपनी का नाम "हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" है।
- Ⅲ. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित होगा ।
- III. (क) मुख्य उद्देश्य, जिनके लिए कंपनी की स्थापना की गई है, इस प्रकार हैं:
 - *(1) शहरी विकास पर विशेष जोर देते हुए हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों को वित्त/ऋण सुविधा प्रदान करना।
 - *(2) भारत और विदेशों में नए/उपग्रह शहरों की स्थापना सहित हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तपोशण अथवा इसका संचालन या सहयोग करना।
 - *(3) हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण के उद्देश्य से जारी डिबेंचरों और बांडों की सदस्यता लेना।
 - @(4) भवन निर्माण सामग्री के उद्योग उद्यमों की स्थापना के लिए वित्त प्रबंध करना या शुरु करना।
 - *(5) भारत सरकार और अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त निधियों को अनुदान के रूप में या अन्यथा देश में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों अथवा उपक्रमों को चैनलाइज़ करने या वित्तपोषित करने या उनके विकास में सहायता करने के उद्देश्यों के लिए प्रबंध करना।
 - *(6) भारत और विदेशों में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों से संबंधित परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना, स्थापित करना, सहायता और सहयोग प्रदान करना।
 - *(7) हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों से संबंधित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और/या बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) का व्यवसाय करना या इकाइयों/शेयरों आदि में निवेश करना और/या सदस्यता लेना एवं इन क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में नवाचारों को भी सुविधाजनक बनाना।
 - *(8) हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के प्रयोजन के लिए हडको का अपना म्यूचुअल फंड स्थापित करना और/या म्यूचुअल फंड में निवेश करना, और/या इकाइयों की सदस्यता लेना आदि।
 - * दिनांक 25.09.2024 को हुई 54^{र्ग} वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा पुरानी उप क्लॉजेज के स्थान पर नई उप क्लॉजेज 1 से 3 और 5 से 8 प्रतिस्थापित की गई जिसे कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा दिनॉक 18.11.2024 को पंजीकृत किया गया।
 - @ शेयरधारकों द्वारा दिनांक 30.9.1998 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा पुरानी उप-क्लॉज के स्थान पर नई उप-क्लॉज (4) प्रतिस्थापित की गई।

Incidental III. (or ancillary objects

- (B) The objects incidental or ancillary to the attainment of the main objects are:-
- *(1) to borrow, for the purposes of the Company, in foreign currency from any Bank or financial institution or eligible entities in India or in any foreign country;
- **(2) to borrow or raise money or to receive money or deposit or loan at interest or otherwise in such manner including by securitization of receivables as the Company may think fit and, in particular, by the issue of debentures or debenture stock, perpetual or otherwise and convertible into shares of this or any other company and to secure the repayment of any such money borrowed, raised or received or owing by mortgage, pledge, charge or lien upon all on or any other property, assets or revenue of the Company (both present and future) including its uncalled capital and to give the lenders or creditors the power of sale and other powers as may seem expedient and to purchase, redeem or pay off any such securities and also by a similar mortgage, charge or lien to secure and guarantee, the performance by the Company of any obligation undertaken by the Company or any other person, firm or company, as the case may be;
- (3) to enter into any contract or arrangement for the more efficient conduct of the business of the Company or any part thereof and to sublet any contracts from time to time;
- (4) to create any Depreciation Fund, Reserve Fund, Sinking Fund, Insurance Fund, Development Fund, or any other special fund, whether for depreciation or for repairing, improving, extending or maintaining any of the property of the Company or for any other purposes conducive to the interest of the Company;
- (5) to establish, provide, maintain and conduct the business of factories for manufacturing housing and building materials;
- (6) to enter into any arrangements with the Government of India, or any local or State Government in India or with any authorities, local or otherwise, or with other persons that may seem conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from them any rights, powers and privileges, licenses, grants and concessions which the Company may think it desirable to obtain or to carry out, exercise and comply with any such arrangements, rights, privileges and concessions;
- (7) to invest and deal with -the moneys of the Company, not immediately required in any of the securities, shares, investments, properties, movable and immovable and in such manner as may from time to time be determined and to sell, transfer or deal with the same;
- (8) to guarantee the payment of money unsecured or secured, to guarantee or to become sureties for the performance of any contracts or obligations;
- **(9) to lend and/or invest on its own or by setting up Special Purpose Vehicle or in Public-Private Partnership mode, etc. or through any other contractual arrangement or agreement through various financial tools;
- * New sub-clause III B (1) substituted for the old by special resolution passed by the shareholders at the 34th adjourned Annual General Meeting held on 25th October 2004.
- ** New sub-clause III B (2) and (9) substituted in lieu of old by Special Resolution passed by Shareholders at the 54th Annual General Meeting held on 25.09.2024 and registered by the Registrar of Companies on 18.11.2024.

III. (ख) मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक अथवा संगत उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- *(1) कंपनी के प्रयोजनों के लिए किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा भारत या किसी विदेशी देश में पात्र संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में उधार लेना;
- **(2) उधार लेना या धन जुटाना या ब्याज पर या अन्यथा ऐसी विधि से धन या जमा या ऋण प्राप्त करना, जिसमें ऐसी प्राप्तियों का प्रतिभूतिकरण शामिल है जिसे कंपनी ठीक समझे, विशेष रूप से डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक जारी करके स्थायी या अन्यथा और इस कंपनी के या किसी अन्य कंपनी के शेयरों में परिवर्तनीय एवं बंधक, गिरवी, शुल्क या सभी पर या कंपनी की (वर्तमान और भविष्य) दोनों प्रकार की किसी अन्य संपत्ति, संपत्ति या राजस्व, जिसमें उसकी अनावश्यक पूंजी भी शामिल है, पर लिए ऋण, जुटाए गए या प्राप्त किए गए या देय ऐसे किसी भी धन का पुनर्भुगतान सुरक्षित करना और ऋणदाताओं अथवा लेनदारों को बिक्री और अन्य शक्तियां प्रदान करना जो समीचीन लगे और ऐसी किसी प्रतिभूतियों को खरीदना, नकदीकरण अथवा भुगतान करना और इसी तरह के बंधक, शुल्क या ग्रहणाधिकार द्वारा भी कंपनी या किसी अन्य कंपनी या फर्म द्वारा कंपनी की ओर से किसी दायित्व का निष्पादन सुरक्षित करना और गारंटी देना शामिल है।
- (3) कंपनी अथवा उसके किसी भाग के कारोबार को अधिक सक्षम तरीके से चलाने के लिए कोई अनुबंध अथवा समझौता करना और समय-समय पर किसी अनुबंध की उप किराएदारी करना;
- (4) कोई मूल्यह्रास निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप निधि, बीमा निधि, विकास निधि अथवा कोई अन्य विशेष निधि सृजित करना, चाहे मूल्यह्रास के लिए अथवा कंपनी की किसी संपत्ति की मरम्मत, सुधार, विस्तार अथवा अनुरक्षण के लिए हो अथवा कंपनी के लिए हित के अनुकूल किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो;
- (5) आवासीय और भवन निर्माण सामग्रियों के विनिर्माण के लिए फैक्ट्रियों के कारोबार की स्थापना, प्रावधान, अनुरक्षण और कारोबार करना;
- (6) भारत सरकार अथवा भारत में किसी स्थानीय अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण, चाहे स्थानीय हो या अन्यथा अथवा किन्हीं व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई समझौता करना, जो कंपनी के उद्देश्यों अथवा उन में से किसी के अनुकूल प्रतीत हो और उनसे कोई अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार, लाइसेंस, अनुदान और ऐसी रियायतें प्राप्त करना, जो कंपनी द्वारा किसी ऐसी व्यवस्था, अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतें प्राप्त करने, और अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझा जाए;
- (7) कंपनी की ऐसी धनराशि का निवेश और निपटान करना जो किसी प्रतिभूति, शेयर, निवेश, संपत्ति, चल और अचल के लिए तत्काल आवश्यक न हो और समय-समय पर निर्धारित ढंग से काम करना तथा उसकी बिक्री, अंतरण अथवा निपटान करना;
- (8) अप्रतिभूतित अथवा प्रतिभूतित राशि के भुगतान की गारंटी देना, किसी संविदा अथवा दायित्व के निष्पादन के लिए गारंटी देना अथवा जमानती बनना;
- **(9) अपने दम पर या विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना करके या सार्वजनिक-निजी भागीदारी विधि से अथवा विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से किसी अन्य संविदात्मक व्यवस्था या समझौते के माध्यम से उधार देना और/या निवेश करना।
- * 25.10.2004 को हुई 34^{वाँ} स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा पुराने के स्थान पर नया उप-खण्ड III ख (1) रखा गया।
- ** दिनांक 25.09.2024 को हुई 54^{वां} वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा पुरानी उप क्लॉज के स्थान पर नई उप क्लॉज III बी (2) और (9) प्रतिस्थापित की गई जिसे कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा दिनॉक 18.11.2024 को पंजीकृत किया गया।

- (10) to make, draw, accept, endorse, execute, and issue cheques, promissory notes, bills of lading, debentures and other negotiable or transferable instruments;
- (11) to pay for any properties, rights or privileges acquired by the Company either in shares of the Company or partly in shares and partly in cash;
- **(12) to enter (**) into any arrangement for sharing or pooling profits, amalgamation, union of interests, co-operation, joint venture or reciprocal concession or otherwise or amalgamate with any person or company carrying on or engaged in or about to carry on or engage in any business or transactions which this Company is authorised to carry on or engage in any business undertaking or transactions which may seem capable of being carried on or conducted so as directly or indirectly to benefit this Company;
- (13) to receive grants, loans, advances or other moneys on deposit or otherwise from a State or Central Government, Banks, Companies, Trusts or, individuals with or without allowance of interest thereon;
- (14) to promote and undertake the formation of any institution or company for the purpose of acquiring all or any of the property, rights and liabilities of this Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Company or form any subsidiary company or companies;
- *(15) to subscribe for, underwrite, purchase or otherwise acquire and to hold, dispose off and deal with the shares, stocks, securities and evidences of indebtedness or the right to participate in profit or other similar documents issued by any Government authority, Corporation or body or by any Company or body or persons and any options or rights in respect thereof;
- (16) to pay all costs, charges and expenses, incurred or sustained in or about the promotion and establishment of the Company, or which the Company shall consider to be in the nature of preliminary expenses, including therein the cost of advertisement, commission for underwriting brokerage, printing and stationery;
- (17) to provide for the welfare of the employees or ex-employees of the Company and the wives, widows and families or the dependents or connections of such persons, by building or contributing to the building of houses, dwellings, or chawls, or by grants of money, pensions and allowances, bonus or other payments or by creating and, from time to time, subscribing or contributing to a provident fund and other associations, institutions, funds, or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other assistance as the Company may think fit and to subscribe or otherwise to assist or to guarantee money to charitable, benevolent, religious, scientific, national, public or other institutions or objects or purposes;
- ***(18) (a) to train and pay for the training in India or abroad of any of the Company's employees or any candidate or to recruit and employ foreign experts in the interest or furtherance of the Company's objects

(b) to conduct research, training, accredited certificate course, to bring out publication, to undertake advisory work, etc., for furtherance of the Company's objects

- * New sub clause III B (15) inserted and existing sub-clauses (15) to (19) renumbered as (16) to (20) by Special Resolution passed at the Adjourned Extra-ordinary General Meeting held on 4.9.85. Alteration confirmed by the Company Law Board vide their order No 199/17/CLB/86 dated 21.7.86 which was registered by the Registrar of Companies on 8th October, 1986.
- ** Deleted the words 'into a partnership or' by Special Resolution passed by the shareholders at the 53rd Annual General Meeting held on 21.09.2023.
- *** New sub-clause III B (18) substituted in lieu of old by Special Resolution passed by Shareholders at the 54th Annual General Meeting held on 25.09.2024 and registered by the Registrar of Companies on 18.11.2024.

- (10) चेक, वचन पत्र, बिल्टी, डिबेंचर और अन्य पराक्रम्य अथवा हस्तांतरणीय दस्तावेज तैयार करना, प्राप्त करना, स्वीकार करना, मंजूर करना, निष्पादित करना और जारी करना;
- (11) कंपनी द्वारा अर्जित किसी संपत्ति, अधिकार, विशेषाधिकार के लिए, चाहे कंपनी के शेयरों अथवा आंशिक रूप से शेयरों में और आंशिक रूप से नकदी में भुगतान करना;
- **(12) लाभों में हिस्सेदारी(**) के लिए कोई भागीदारी अथवा समझौता करना, अथवा लाभ अर्जित करने के लिए विलयन, एकीकरण, सहयोग, संयुक्त उद्यम अथवा परस्पर रियायत अथवा अन्यथा अथवा किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के साथ विलयन, जो कोई कारोबार अथवा सौदा करने अथवा उसके लिए वचनबद्ध हो अथवा करने के लिए तैयार हो अथवा वचनबद्धता के लिए तैयार हो, जो ऐसा करने के लिए अथवा किए गए कार्य के लिए सक्षम प्रतीत हो, जिससे इस कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ हो;
- (13) किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार, बैंकों, कंपनियों, न्यासों अथवा व्यक्तियों से जमा अथवा अन्यथा राशि पर ब्याज के साथ अथवा बिना ब्याज प्रदान किए अनुदान, ॠण, अग्रिम, अथवा अन्य धनराशि प्राप्त करनाय
- (14) इस कंपनी की सभी अथवा किसी संपत्ति, अधिकार तथा देनदारियों को अर्जित करने के प्रयोजन से अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए प्रतीत हो, किसी संस्थान अथवा कंपनी की स्थापना करना और प्रोत्साहित करना अथवा कोई सहायक कंपनी अथवा कंपनियां स्थापित करनाय
- *(15) शेयरों, स्टॉक, प्रतभिूतियों तथा ॠणभार के साक्ष्यों अथवा लाभ में भागीदारी के अधिकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण, निगम या किसी निकाय या किसी कंपनी या किसी निकास अथवा व्यक्तियों द्वारा जारी अन्य समान दस्तावेजों का समर्थन करना, हस्ताक्षर करना और उन्हें रखना, उनका निपटान करना और उन पर विचार करना तथा इसके संबंध में कोई विकल्प अथवा अधिकार रखना;
- (16) कंपनी के संवर्धन और संस्थापन पर अथवा उसके संबंध में सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान करना, जिन पर कंपनी प्रारंभिक व्यय के रुप में विचार करें, जिसमें विज्ञापन की लागत, दलाली के लिए कमीशन, मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय शामिल है;
- (17) कंपनी के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों और व्यक्तियों की पत्नियों, विधवाओं, और परिवारों अथवा आश्रितों अथवा संबंधितों के कल्याण के लिए प्रावधान करना, जिसमें मकान, रिहायश अथवा चालों का निर्माण करना अथवा निर्माण के लिए अंशदान करना अथवा धन, पेंशन और भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतान प्रदान करना अथवा समय-समय पर भविष्य निधि के लिए अंशदान देना और भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतान प्रदान करना अथवा समय-समय पर भविष्य निधि के लिए अंशदान देना और अन्य संघों, संस्थाओं, कोषो, न्यासों की स्थापना करना और शिक्षण व मनोरंजन, अस्पताल तथा डिस्पेंसरियों, चिकित्सा के लिए स्थलों का प्रावधान अथवा अंशदान करना और शिक्षण व मनोरंजन, अस्पताल तथा डिस्पेंसरियों, चिकित्सा के लिए स्थलों का प्रावधान अथवा अंशदान करना और रिक्षिण व मनोरंजन, अस्पताल तथा डिस्पेंसरियों, चिकित्सा के लिए स्थलों का प्रावधान अथवा अंशदान करना और ऐसी अन्य सहायता प्रदान करना, जो कंपनी उपयुक्त समझे और धर्मार्थ, परोपकार, धार्मिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, सार्वजनिक अथवा अन्य संस्थाओं अथवा उद्देश्यों अथवा प्रयोजनों के लिए अंशदान करना अथवा अन्यथा सहायता करना अथवा धनराशि की गारंटी देना;
- ***(18) (क) कंपनी के किसी कर्मचारी या किसी उम्मीदवार को भारत में या विदेश में प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना अथवा कंपनी के उद्देश्यों के हित या उन्नति के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भर्ती और नियुक्ति करना।

(ख) कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करना, प्रकाशन करना, सलाहकार कार्य करना आदि।

- * 04.09.1985 को हुई स्थगित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा नया उप-खण्ड (15) को शामिल किया गया तथा वर्तमान उप-खण्ड (15) से (19) को (16) से (20) को पुन: गिना गया। परिवर्तन को कंपनी कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश सं. 99/17/सीएलबी/86 दिनांक 21.07.1986 द्वारा पुष्टि की गई जिसको 08.10.1986 को कंपनीज रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किया गया।
- ** 21.09.2023 को आयोजित 53^{वाँ} वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा 'अथवा साझेदारी' शब्दों को हटा दिया गया।
- *** दिनांक 25.09.2024 को हुई 54^{र्बां} वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा पुरानी उप क्लॉज के स्थान पर नई उप क्लॉज III बी (18) प्रतिस्थापित की गई जिसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दिनॉंक 18.11.2024 को पंजीकृत किया गया।

(19) generally to do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them and to carry on any business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with any of the Company's objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the Company's property or rights; and

**(20) to finance Housing and Infrastructure Sectors/ Sub-sectors in the Rural Areas or undertake or assist in development thereof

Liability	IV.	The liability of the members is limited.
*Share Capital	V.	The Share Capital of the Company is Rs 2500 crore (Rupees two thousand and five hundred crore) divided into 250,00,000 (Two hundred and fifty crore) equity shares of Rs 10/- each.

Originally the share capital of the Corporation was Rs 10 crores. It was raised by Special Resolutions passed at the General Meetings as indicated below:-

From	То	Date of Meeting
Rs 10 crores	Rs 20 crores	Adjourned Extra-ordinary General Meeting held on 6.8.76.
Rs 20 crores	Rs 30 crores	Eighth Annual General Meeting held on 30.12.78.
Rs 30 crores	Rs 35 crores	Extra-ordinary General Meeting held on 29.5.80.
Rs 35 crores	Rs 45 crores	Extra-ordinary General Meeting held on 18.7.81.
Rs 45 crores	Rs 75 crores	Extra-ordinary General Meeting held on 29.6.82.
Rs 75 crores	Rs 100 crores	Adjourned Extra-ordinary General Meeting held on 4.9.85.
Rs 100 crores	Rs 125 crores	Adjourned Extra-ordinary General Meeting held on 6.9.88.
Rs 125 crores	Rs 160 crores	19th Annual General Meeting held on 28.9.89.
Rs 160 crores	Rs 165 crores	Adjourned Extra-ordinary General Meeting held on 24.6.91.
Rs 165 crores	Rs 185 crores	Extra-ordinary General Meeting held on 4.6.92.
Rs 185 crores	Rs 385 crores	Adjourned Extra-ordinary General Meeting held on 30.6.93.
Rs 385 crores	Rs 1250 crores	Extra-ordinary General Meeting held on 30.9.98 (President's approval received vide Ministry of Urban Affairs & Employment Letter No. N-14024/2/97-H/l/VoL. 11 dated 26.3.1999)
Rs 1250 crores	m Rs~2500~crores	31st Annual General Meeting held on 28.9.2001.

Clause V has been altered by way of Special Resolution passed in the Extra-ordinary General Meeting held on 28.03.2016. (Sub-division of equity shares of the face value of Rs. 1000/- per equity share into 100 equity shares of the face value of Rs 10/- each)

** New sub-clause III B (20) substituted in lieu of old by Special Resolution passed by Shareholders at the 54th Annual General Meeting held on 25.09.2024 and registered by the Registrar of Companies on 18.11.2024.

- (19) सामान्यत; ऐसे सभी कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों अथवा इनमें से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक अथवा अनुकूल प्रतीत हो और कंपनी के किसी भी उद्देश्य के संबंध में कंपनी के कारोबार को सुविधाजनक बनाने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से सक्षम बनाना ताकि कंपनी की किसी संपत्ति अथवा अधिकारों को लाभकारी बनाने अथवा मुल्यवान बनाया जा सके; और
- **(20) ग्रामीण क्षेत्रों में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के लिए वित्तपोशण अथवा उनके विकास में सहायता करना।
- IV. सदस्यों की सीमित देनदारी है।

देनदारी

 V. कंपनी की शेयर पूंजी 2500 करोड़ रुपये (दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) है जो 250,00,000 (दो सौ पचास *शेयर पूंजी करोड़ रुपये) के इक्विटी शेयरों में विभक्त है, जिसमें प्रत्येक शेयर 10/- रुपये का है।

मूल रुप से निगम की शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये थी। इसमें आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के तहत वृद्धि की गई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है;

से	तक	बैठक की तारीख
10 करोड़ रुपये	20 करोड़ रुपये	06.08.76 को हुई स्थगित असाधारण आम बैठक में।
20 करोड़ रुपये	30 करोड़ रुपये	30.12.78 को हुई आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में।
30 करोड़ रुपये	35 करोड़ रुपये	29.05.80 को हुई असाधारण आम बैठक में।
35 करोड़ रुपये	45 करोड़ रुपये	18.07.81 को हुई असाधारण आम बैठक में।
45 करोड़ रुपये	75 करोड़ रुपये	29.06.82 को हुई असाधारण आम बैठक में।
75 करोड़ रुपये	100 करोड़ रुपये	04.09.85 को हुई स्थगित असाधारण आम बैठक में।
100 करोड़ रुपये	125 करोड़ रुपये	06.09.88 को हुई स्थगित असाधारण आम बैठक में।
125 करोड़ रुपये	160 करोड़ रुपये	28.09.89 को हुई उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में।
160 करोड़ रुपये	165 करोड़ रुपये	24.06.91 को हुई स्थगित असाधारण आम बैठक में।
165 करोड़ रुपये	185 करोड़ रुपये	04.06.92 को हुई असाधारण आम बैठक में।
185 करोड़ रुपये	385 करोड़ रुपये	30.06.93 को हुई स्थगित असाधारण आम बैठक में।
385 करोड़ रुपये	1250 करोड़ रुपये	30.09.88 को हुई असाधारण आम बैठक में।
		(राष्ट्रपति की स्वीकृति शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र क्रमांक एन-14024/2/97-एचआई/खंड-II दिनांक 26.03.1999 द्वारा प्राप्त हुई।
1250 करोड़ रुपये	2500 करोड़ रुपये	28.09.2001 को हुई इक्तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में।

- * 28.03.2016 को हुई असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा खण्ड V को संशोधित किया गया (रु.1000/- के सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर को रु.10/- के सममूल्य वाले 100 इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया गया)।
- ** दिनांक 25.09.2024 को हुई 54^{वां} वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा पुरानी उप क्लॉज के स्थान पर नई उप क्लॉज III बी (20) प्रतिस्थापित की गई जिसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दिनॉॅंक 18.11.2024 को पंजीकृत किया गया।

We, the several persons whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names:

Sl. No.	Name of Subscribers	Address, description and occupation, if any	No. of shares	Signature of Subscribers	Signature of witness and his address and occupation
1	2	3	4	5	6
	President of India, through:				
	Shri PK Nayak S/o Late Shri PP Nayak	Secretary to the Govt. of India, Department of Works, Housing & Urban Development, Ministry of Health, Family Planning & Works, Housing & Urban Development, New Delhi	One(1)		
	Shri TN Srivastava S/o Late Shri Maheshri Prasad	Deputy Secretary, Department of Works, Housing & Urban Development, Ministry of Health, Family Planning & Works, Housing & Urban Development, New Delhi	One(1)		
	Shri CR Bose S/o Late Shri KC Bose	Under Secretary, Department of Works, Housing & Urban Development, Ministry of Health, Family Planning & Works, Housing & Urban Development, New Delhi	One(1)		

Three (3)

Dated this twenty first day of April, 1970.

.

पता, विवरण, व्यवसाय शेयरों की अभिदाताओं के नाम अभिदाताओं गवाह के क्रम सं. यदि कोई है संख्या के हस्ताक्षर हस्ताक्षर और उसका पता तथा व्यवसाय 1 2 3 4 5 6 भारत के राष्ट्रपति की ओर से श्री पी के नायक सचिव, भारत सरकार, निर्माण, एक (1) 1. पुत्र स्वर्गीय श्री पी पी आवास और शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य, परिवार नायक कल्याण तथा निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली श्री टी एन श्रीवास्तव उप सचिव, निर्माण, आवास और 2. एक (1) पुत्र स्वर्गीय श्री महेश्री शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा प्रसाद निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली श्री सी आर बोस अवर सचिव, निर्माण, आवास एक (1) 3. पुत्र स्वर्गीय श्री के और शहरी विकास विभाग. सी बोस स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली तीन (3)

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे उल्लिखित हैं, इस मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी के रुप में संगठित होने के इच्छुक हैं और हम कंपनी की पूंजी में हमारे संबंधित नामों के सामने अंकित संख्या में शेयर लेने के लिए क्रमश; सहमत हैं;

दिनांक 21 अप्रैल, 1970

ARTICLES OF ASSOCIATION*

OF

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

1.	In the interpretation of these Articles, the following expressions shall have the following meanings, unless repugnant to the subject or context:	Interpretation Clause
	"The Act" or "the said Act" means the Companies Act, 2013, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force containing the provisions of The Legislature in relation to Companies.	The Act or the said Act
	"The Articles" means the Articles of Association of the Company, for the time being in force.	The Articles
	"Annual General Meeting" means a general meeting of the members held in accordance with the provisions of Section 96 of the Act or any adjourned meeting thereof.	
	"Applicable Law" means the Act, and as appropriate, includes any statute, law, listing agreement, regulation, ordinance, rule, judgment, order, decree, bye-law, clearance, directive, guideline, policy, requirement, notifications and clarifications or other governmental instruction or any similar form of decision of, or determination by, or any interpretation or administration having the force of law of any of the foregoing, by any governmental authority having jurisdiction over the matter in question, or mandatory standards as may be applicable from time to time.	
	"Beneficial Owner" means and include beneficial owner as defined in clause (a) sub- Section (1) of Section 2 of the Depositories Act, 1996 or such other Act as may be applicable.	Beneficial Owner
	"Board Meeting" means a meeting of the Directors duly called and constituted.	Board Meeting
	"Board of Directors" or "Board" means the collective body of the directors of the Company.	Board of Directors or Board
	"Capital" means the Capital for the time being raised or authorized to be raised for the purposes of the Company.	Capital
	"The Chairman" means the Chairman of the Board of Directors for the time being of the Company.	The Chairman
	"Committee" means any committee of the Board of Directors of the Company formed as per the requirements of Act or for any other purpose as the Board may deem fit.	Committee
	"The Company" or "this Company" means "Housing and Urban Development Corporation Limited"	The Company or this Company
	"Chief Executive Officer" (CEO) or "Chairman and Managing Director" (CMD) means an officer of a Company, who has been designated as such by the Company.	Chief Executive Officer/Chairman and Managing Director (CEO/ CMD)

*

New Set of Articles of Association adopted in the Extra-ordinary General Meeting held on 28.03.2016 by way of Special Resolutions.

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन*

1.	इन अनुच्छेदों की व्याख्या में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का, जब तक कि विषय अथवा प्रसंग के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित अर्थ होगा।	व्याख्यात्मक खंड
	"अधिनियम" अथवा "कथित अधिनियम" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 से है, जिसमें तत्समय लागू कोई सांविधिक संशोधन अथवा उसका तत्संबंधी पुन: अधिनियमन शामिल है।	अधिनियम अथवा कथित अधिनियम
	"अनुच्छेद" से तात्पर्य कंपनी के संगम अनुच्छेद से है ।	अनुच्छेद
	"वार्षिक आम बैठक" से तात्पर्य अधिनियम की धारा–96 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित आम बैठक अथवा उसकी स्थगित बैठक से है ।	वार्षिक आम बैठक
	"लागू कानून" से तात्पर्य अधिनियम और इसमें समुचित रूप से कोई सांविधि, कानून, सूचीबद्ध करार, विनियम, अध्यादेश, नियम, निर्णय, आदेश, डिक्री, उपनियम, स्वीकृतियां, निर्देश, दिशानिर्देश, नीति, अपेक्षा, अधिसूचना और स्पष्टीकरण अथवा कोई अन्य सरकारी निर्देश अथवा कोई समान रूप से कोई निर्णय अथवा कोई व्याख्या अथवा प्रशासन, किसी सरकारी प्राधिकरण, जिसका इस मामले में क्षेत्रधिकार हो अथवा समय-समय पर यथा लागू अनिवार्य मानक शामिल है ।	
	"लाभग्राही स्वामी" से तात्पर्य और इसमें शामिल है, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा-2 की उप धारा (1) के खंड (क) में यथावर्णित अथवा लागू किसी अन्य अधिनियम में यथा परिभाषित कोई लाभग्राही स्वामी ।	लाभग्राही स्वामी
	"बोर्ड बैठक" से तात्पर्य विधिवत बुलाई गई और गठित की गई निदेशकों की बैठक से है।	बोर्ड बैठक
	"निदेशक मंडल" अथवा "बोर्ड" से तात्पर्य कंपनी के निदेशकों के साझा निकाय से है।	निदेशक मंडल
	"पूंजी" से तात्पर्य कंपनी के प्रयोजन के लिए तत्समय जुटाई गई अथवा जुटाने के अधिकृत की गई पूंजी से है।	पूंजी
	"अध्यक्ष" से तात्पर्य कंपनी के तत्कालीन निदेशक मंडल के अध्यक्ष से है ।	अध्यक्ष
	"समिति" से तात्पर्य अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो बोर्ड उचित समझे, गठित कंपनी के लिए निदेशक मंडल की किसी समिति से है ।	समिति
	"कपंनी" अथवा "इस कंपनी" से तात्पर्य "हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" से है।	कपंनी अथवा इस कंपनी
	"मुख्य कार्यकारी अधिकारी" (सीईओ) अथवा "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक" (सीएमडी) से तात्पर्य कंपनी के एक ऐसे अधिकारी से है जिसे कंपनी द्वारा यह पदनाम दिया गया है।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(सीईओ⁄ सीएमडी)
	"मुख्य वित्तीय अधिकारी" (सीएफओ) से तात्पर्य कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त/पदनामित व्यक्ति से है।	मुख्य वित्तीय अधिकारी

दिनांक 28.03.2016 को हुई असाधारण सामान्य बैठक में विशेष संकल्पों द्वारा नए आर्टिकल्स को पारित किया गया।

*

"Company Secretary or Secretary" means a company secretary as defined in clause Company (c) of sub-section (1) of section 2 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) Secretary or who is appointed by the Company to perform the functions of a company secretary Secretary under the Act. "Debenture" includes debenture-stock, bonds or any other debt instrument of Debenture a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the Company or not. **Depositories** "Depositories Act" shall mean the Depositories Act, 1996 and includes any statutory Act modification or enactment thereof. "Depository" shall mean a Depository as defined in clause (e) sub-section (1) of Depository section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996); "Director" means the director of the Company for the time being, appointed as **Director** such. "Dividend" includes any interim dividend. Dividend "Executor" or "administrator" means a person who has obtained probate or Letters Executor. of Administration, as the case may be, from some competent court. Administrator "Extra Ordinary General Meeting" means general meeting of the Members of the Extra Ordinary company 'other than the Annual General Meeting' duly called and constituted and General Meeting any adjourned meeting thereof. "Electronic Mode" means electronic medium of communication including video Electronic conferencing or other audio-visual means or other electronic communication facility Mode capable of being recorded, as may be applicable. "Financial Year" means the same as in Section 2(41) of the Act. **Financial Year** "Free Reserves" means such reserves which, as per the latest audited balance sheet Free Reserves of a company, are available for distribution as Dividend: Provided that-(i) any amount representing unrealized gains, notional gains or revaluation of assets, whether shown as a reserve or otherwise, or (ii) any change in carrying amount of an asset or of a liability recognized in equity, including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or the liability at fair value, shall not be treated as free reserves. "Government" means either Central Government or the Government of India. Government Government "Government Company" means a Government Company as defined in Section 2(45) Company of the Act. "In writing or written" means and include printing, typing, lithographing, computer In writing or mode and other modes of reproducing words in visible form. written "Independent Director" means an Independent Director referred to in subsection (6) Independent of section 149 of the Act. Director "Key Managerial Personnel" (KMP) mean such persons as defined in Section 2(51) Key Managerial Personnel read with section 203 of Act. "Managing Director" (MD) means a Director who, by virtue of the articles of the Company Managing or an agreement with the company or a resolution passed in its General Meeting, or by its **Director**

"कंपनी सचिव अथवा सचिव" से तात्पर्य कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा-2 की उप धारा-(1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट एक कंपनी सचिव से है जिसे कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत एक कंपनी सचिव के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।	कंपनी सचिव अथवा सचिव
"डिबेंचर" में एक कंपनी के डिबेंचर-स्टॉक, बांड अथवा कोई अन्य ऋण दस्तावेज शामिल है, चाहे कंपनी की परिसंपत्तियां गिरवी हो अथवा नहीं।	डिबेंचर
"निक्षेपागार अधिनियम" से तात्पर्य निक्षेपागार अधिनियम, 1996 से है और इसमें कोई सांविधिक संशोधन अथवा उसका अधिनियमन शामिल है ।	निक्षेपागार अधिनियम
"निक्षेपागार" से तात्पर्य निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा-2 की उप धारा-(1) की खंड (ड़) में यथावर्णित एक निक्षेपागार से है।	निक्षेपागार चिरोणन
"निदेशक" से तात्पर्य तत्समय नियुक्त कंपनी के निदेशक से है ।	निदेशक लाभांश
"लाभांश" में कोई अंतरिम लाभांश शामिल है ।	्यानाश
"निष्पादक" अथवा "प्रशासक" से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर लिया है ।	निष्पादक, प्रशासक
"असाधारण आम बैठक" से तात्पर्य कंपनी के सदस्यों की विधिवत बुलाई गई और गठित की गई वार्षिक आम बैठक के अलावा आम बैठक और उसकी किसी स्थगित बैठक से है।	असाधारण आम बैठक
"इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" से तात्पर्य संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है जिसमें वीडियो कॉन्मेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यम अथवा कोई अन्य रिकार्ड करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधा, जो भी लागू हो, शामिल है।	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
"वित्तीय वर्ष" से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(41) में वर्णित तात्पर्य से है ।	वित्तीय वर्ष
"मुक्त आरक्षित राशि" से तात्पर्य ऐसी आरक्षित राशि से है जो किसी कंपनी के नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के तहत लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध है: परन्तु -	मुक्त आरक्षित राशि
(i) अप्राप्त लाभ, अनुमानित लाभ अथवा परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को प्रदर्शित करने वाली कोई राशि, जो आरक्षित अथवा अन्यथा दर्शायी गई होय अथवा	
(ii) इक्विटी में अभिज्ञात किसी देनदारी अथवा किसी परिसंपत्ति की राशि में कोई परिवर्तन जिसमें परिसंपत्ति के मापन के संबंध में लाभ और हानि लेखे से अधिक्य राशि अथवा उचित मूल्य पर देनदारी शामिल है, को मुक्त आरक्षित राशि नहीं माना जाएगा ।	
"सरकार" से तात्पर्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से है ।	सरकार
"सरकारी कंपनी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (45) में वर्णित एक सरकारी कंपनी से है।	सरकारी कंपनी
"लिखित रुप में अथवा लिखित" से तात्पर्य और इसमें शामिल है मुद्रण, टंकण, लिथोग्राफिंग, कम्प्यूटर माध्यम अथवा दृश्यव्य रूप में शब्दों की प्रतिलिपि का कोई माध्यम।	लिखित रुप में अथवा लिखित
"स्वतंत्र निदेशक" से तात्पर्य अधिनियम को धारा-149 को उप धारा (6) में यथा उल्लिखित स्वतंत्र निदेशक से है।	स्वतंत्र निदेशक
"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" (केएमपी) से तात्पर्य अधिनियम की धारा-203 के साथ पठित धारा-2 (51) में यथावर्णित किसी व्यक्ति से है।	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
"प्रबंध निदेशक" (एमडी) से तात्पर्य एक निदेशक से है, जो कंपनी के अंतर्नियमों के तहत अथवा कंपनी के साथ किए गए करार अथवा उसकी आम बैठक में अथवा निदेशक मंडल द्वारा पारित एक संकल्प के द्वारा कंपनी के कार्यों के प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां सौंपी गई है और इसमें एक ऐसा निदेशक	प्रबंध निदेशक

Board of Directors, is entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company and includes a Director occupying the position of Managing Director, by whatever name called as defined in Section 2(54) of the Act.

Director, by whatever name caned as defined in Section 2(34) of the Act.	
"Meeting or General Meeting" means a meeting of Members.	Meeting or General Meeting
"Member or Members" in relation to a company, means-	Member or
(a) the subscribers to the Memorandum of Association of the Company who shall be deemed to have agreed to become members of the company, and on its registration, shall be entered as member in its register of members;	Members
(b) every other person who agrees in writing to become a member of the company and whose name is entered in the register of members of the company;	
(c) every person holding shares in the company and whose name is entered in Register of Beneficial Owners as Beneficial Owner.	
"Month" means a calendar month.	Month
"Office" means the Registered Office of the Company.	Office
"Officer" means any director, manager or key managerial personnel or any person in accordance with whose directions or instructions the Board of Directors or any one or more of the directors is or are accustomed to act;	Officer
"Officer who is in default", for the purpose of any provision in this Act, means, as referred to in subsection (60) of section 2 of the Act.	Officer who is in default
"Ordinary Resolution" means a resolution referred to in Section 114 of the Act. 0	ordinary Resolution
"President" means the President of India.	President
Paid Up Capital means 'Paid up share capital' as referred to in section 2(64) of the Act.	Paid-up
"Persons" includes any artificial juridical person, corporations or such other entities as are entitled to hold property in their own name, as prescribed under the applicable laws.	Persons
"Postal Ballot" means voting by post through postal papers distributed amongst eligible voters and shall include voting by Electronic Mode or any other mode as permitted under Applicable Law.	Postal Ballot
Public Financial Institution means 'financial institution' as referred to in section $2(72)$ of the Act.	Public Financial Institution
"Register of Beneficial Owners" means the register of members in case of shares held with a Depository in any media as may be permitted by law, including in any form of Electronic Mode.	Register of Beneficial Owners
"Register of Members/Register of Debenture holders" means the Register of Members including any Foreign Register/Register of Debenture holders which the Company may maintain pursuant to the Act and includes Register of Beneficial Owners.	Register of Members/Register of Debenture holders
"Registrar" means a Registrar, an Additional Registrar, a Joint Registrar, a Deputy Registrar or an Assistant Registrar having the duty of registering companies and discharging various functions, as referred to section 2(75) of the Act.	Registrar
"Seal" means the Common Seal of the Company.	Seal
"SEBI' means the Securities Exchange Board of India, a statutory body set up under the Securities Exchange Board of India Act, 1992.	SEBI

शामिल है जो प्रबंध निदेशक के पद पर है, चाहे उसे अधिनियम की धारा-2 (54) में यथावर्णित कोई भी दिया हो।	नाम
"बैठक अथवा आम बैठक" से तात्पर्य सदस्यों की बैठक से है।	बैठक अथवा आम बैठक
"सदस्य अथवा सदस्यों" का एक कंपनी के संबंध में तात्पर्य है-	सदस्य अथवा सदस्यों
(क) कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन ज्ञापन का अभिदाता, जिसे कंपनी का सदस्य बनने के लिए सह प्राप्त माना जाएगा और उसका पंजीकरण होने के बाद सदस्यों की पंजिका में सदस्य के रूप में प्रविष्टि जाएगी।	
(ख) प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो लिखित में कंपनी का सदस्य बनने के लिए सहमत है और जिसका नाम कंपनी सदस्य पंजिका में प्रविष्ट किया गया है:	को
 (ग) कंपनी में शेयरधारक कोई व्यक्ति, जिसका नाम लाभार्थी स्वामी के रूप में लाभार्थी स्वामियों की पंजिक प्रविष्ट किया गया है। 	न में
"माह" से तात्पर्य एक कलेंडर माह से है।	माह
"कार्यालय" से तात्पर्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से है।	कार्यालय
"अधिकारी" से तात्पर्य किसी निदेशक, प्रबंधक अथवा प्रमुख प्रबंधीयक कार्मिक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति सं जिसके निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल अथवा कोई एक अथवा अधिक निदेशक कार्य करते	
"चूककर्ता अधिकारी" से इस अधिनियम के किसी प्रावधान के प्रयोजन के लिए तात्पर्य, अधिनियम की धारा-2 उप धारा (60) में यथा उल्लिखित अनुसार है।	को चूककर्ता अधिकारी
"सामान्य संकल्प" से तात्पर्य अधिनियम की धारा−114 में यथा उल्लिखित किसी संकल्प से है।	सामान्य संकल्प
"राष्ट्रपति" से तात्पर्य भारत के राष्ट्रपति से है।	राष्ट्रपति
"चूकता पूंजी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (64) में यथा उल्लिखित "चूकता अंश पूंजी" से है।	चूकता पूंजी
"व्यक्ति" में शामिल है, लागू कानूनों के तहत यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति, निगम अथवा ऐसी किसी संस्था, f अपने नाम से संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है।	जेसे व्यक्ति
"डाक मतपत्र" से तात्पर्य पात्र वोटरों में वितरित पोस्टल पेपर के माध्यम से डाक द्वारा वोट डालने से है और इ लागू कानून के तहत यथा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा वोट डालना शामिल	
"सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (72) में यथा उल्लिखित "वित्तीय संस्थान" से	। है। सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
"लाभार्थी स्वामी पंजिका" से तात्पर्य कानून के अनुसार यथा अनुमोदित किसी माध्यम सहित किसी माध्यम निक्षेपागार में रखे गए शेयरों के मामले में, सदस्यों की पंजिका से है।	न में लाभार्थी स्वामी पंजिका
"सदस्य पंजिका/डिबेंचर धारक पंजिका" से तात्पर्य सदस्यों की पंजिका से है, जिसमें कोई विदेशी पंजिका/डिबे धारक पंजिका शामिल है, जिसका कंपनी द्वारा अधिनियम के अनुसार रख रखाव किया जाएगा और इसमें लाभ स्वामियों की पंजिका शामिल है।	
"पंजीयक" से तात्पर्य एक पंजीयक, एक अपर पंजीयक, एक संयुक्त पंजीयक, एक उप पंजीयक, अथवा सहायक पंजीयक से है जिसे अधिनियम की धारा-2 (75) में यथा उल्लिखित कंपनियों का पंजीकरण और विधि कार्यों को करने का दायित्व दिया गया है।	
"मुहर" से तात्पर्य कंपनी की साझा मुहर से है ।	मुहर
"सेबी" से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एक सांविधिक निक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से है।	जाय, सेबी

	"Section" means the relevant section of the Act; and shall, in case of any modification or re-enactment of the Act shall be deemed to refer to any corresponding provision of the Act as so modified or re-enacted.	Section
	Securities means the securities as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.	Security or Securities
	"Shares" means the shares in the share capital of a company and includes stock.	Shares
	"Statutory Auditors" means and include those persons appointed as such for the time by the Comptroller & Auditor General of India.	Statutory Auditors
	"Special Resolution" means a resolution referred to in Section 114 of the Act. Sp	ecial Resolution
	"Vice-Chairman" (VC) means the Vice-Chairman of the Company.	Vice-Chairman
	"Whole-Time Director"("WTD") means and includes a director in the whole-time employment of the company.	Whole Time Director (WTD)
	Words importing the masculine gender also include the feminine gender.	Gender
	Words importing the plural number also include the singular number.	Singular Number
	Words importing the singular number include the Plural number.	Plural Number
	"These presents" or "Regulations" means these Articles of Association as originally framed or altered from time to time and include the Memorandum where the context so requires	These presents or Regulations
	"Subject as aforesaid, any words or expression defined in the Act shall, except so where the subject or context forbids, bear the same meaning in these Articles".	Expression in the Act to bear the same meaning in Articles
	"The marginal notes hereto shall not affect the construction hereof".	Marginal Notes
2.	The regulation in Table 'F' in the First Schedule to 'the Act', shall not be applicable to the Company.	apply to the Company except so far as the same are repeated or contained in Table F not to apply
3.	The regulations for the management of the Company and for the observance of the members thereof and their representatives shall, subject as aforesaid and to any exercise of the statutory powers of the Company in reference to the repeal or alteration of or addition to its Articles of Association by Special Resolution as prescribed or permitted by the Act be such as are contained in these Articles.	Company to be governed by these Articles of Association
4.	The Company is a public limited company.	Company is a public limited Company
5.	The intention of these Articles is to be in consonance with the contemporary rules and regulations prevailing in India. If there is an amendment in any Act, rules and regulation(s) allowing what was not previously allowed under the statute, the Articles herein shall be deemed to have been amended to the extent that Articles will not be capable of restricting what has been allowed by the Act by virtue of an amendment subsequent to registration of the Articles	Articles to be contemporary in nature

9

amendment subsequent to registration of the Articles.

	"धारा" से तात्पर्य अधिनियम की संगत धारा से है और अधिनियम के किसी संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन के मामले में इसे अधिनियम के संबंधित प्रावधानों से संदर्भित और संशोधित अथवा पुन: अधिनियमित माना जाएगा।	धारा
	''प्रतिभूतियां'' से तात्पर्य प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा-2 के खंड (ज) में यथावर्णित प्रतिभूतियों से है ।	प्रतिभूति अथवा प्रतिभूतियां
	"शेयर" से तात्पर्य किसी कंपनी की शेयर पूंजी में शेयरों से है और इसमें स्टॉक शामिल है।	श्रेयर
	"सांविधिक लेखा परीक्षक" से तात्पर्य और इसमें शामिल ऐसे व्यक्तियों से है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए हों ।	सांविधिक लेखा परीक्षक
	"विशेष संकल्प" से तात्पर्य अधिनियम की धारा-114 में यथा उल्लिखित एक संकल्प से है।	विशेष संकल्प
	"उपाध्यक्ष" से तात्पर्य कंपनी के उपाध्यक्ष से है ।	उपाध्यक्ष
	"पूर्णकालिक निदेशक" से तात्पर्य और उसमें शामिल कंपनी के पूर्णकालिक रूप से नियुक्त एक निदेशक से है। पृ	र्णकालिक निदेशक
	पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग भी शामिल है ।	लिंग
	एक वचन शब्दों के साथ बहुवचन भी शामिल है ।	एक वचन
	बहुवचन शब्दों के साथ एक वचन भी शामिल है ।	बहुवचन
	"यह दस्तावेज" अथवा "विनियम" से तात्पर्य मूल रूप से तैयार अथवा समय-समय पर संशोधित आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अनुच्छेदों से है तथा इसमें संदर्भ की अपेक्षानुसार मेमोरेण्डम ज्ञापन शामिल है।	यह दस्तावेज अथवा विनियम
	" पूर्वोक्तानुसार, अधिनियम में यथावर्णित कोई शब्द अथवा अभिव्यक्ति, जब तक कि विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनका वही अर्थ होगा जो इन अनुच्छेदों में है।"	अधिनियम में अभिव्यक्त का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेदों में है
	"यहां दी गई पार्श्व टिप्पणी (मार्जिनल नोट) इसकी संरचना को प्रभावित नहीं करेगें।"	जनुच्छदा म ह पार्श्व टिप्पणी (मार्जिनल नोट)
2.	अधिनियम को प्रथम अनुसूची में सारणी- "च" में विनियम कंपनी पर लागू नहीं होगें।	जब तक कि सारणी- "च" में लागू न होने के लिए पुनरावृत्ति अथवा निहित न हो कंपनी पर लागू होंगे
3.	कंपनी के प्रबंधन और उसके सदस्यों तथा प्रतिनिधियों के लिए अनुपालनार्थ विनियम, उपरोक्तानुसार और अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा अनुमत विशेष संकल्प द्वारा संगम अनुच्छेदों के निरसन अथवा परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन के संदर्भ में कंपनी की सांविधिक शक्तियों के किसी प्रत्यायोजन के अध्यधीन होगें जो इन अनुच्छेदों में निहित है।	
4.	कंपनी एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है ।	कंपनी एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है
5.	इन अनुच्छेदों का आशय भारत में विद्यमान समसामयिक नियमों और विनियमों के अनुसार है । यदि अधिनियम, नियमों और विनियमों में कोई संशोधन होता है, जिसमें कानून के तहत पहले कोई अनुमति नहीं थी, तो इन अनुच्छेदों को उस सीमा तक संशोधित किया हुआ माना जाएगा, जिस सीमा तक अनुच्छेदों के पंजीकरण के बाद किसी संशोधन के फलस्वरूप अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है।	समसामयिक प्रकृति

CAPITAL AND SHARES 6

The share capital shall be as in Clause V of the Memorandum of Association (MOA) of the Company

7. Increase of Capital by the Company and how carried into effect

Subject to applicable law(s) and approval of the shareholders in general meeting, the Board may from time to time, increase the capital by creation of new Shares. Such increase shall be of such aggregate amount and be divided into such shares of such respective amounts and shall be issued upon such terms and conditions and with such rights and privileges annexed thereto, as approved by the shareholders. Whenever the Capital of the Company has been increased under the provisions of this Article, the Directors shall comply with the provisions of Section 64 of the Act or any other provisions/such compliance as may be required by the Act for the time being in force.

- Subject to the provisions of Section 62 of the Act and these Articles and other 8. provisions of the applicable laws, the Shares and Securities in the capital of the Company for the time being shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par at such time as they may from time to time think fit and to give to any person or persons the option or right to call for any Shares either at par or premium during such time and for such consideration as the Directors think fit, and may issue and allot Shares in the Capital of the Company or other Securities on payment in full or part of any property sold and transferred or for any services rendered to the Company in the conduct of its business and any Shares which may so be allotted may be issued as fully paid up shares and if so issued, shall be deemed to be fully paid shares. Provided that issue or allotment of the shares to persons other than the existing shareholders or to Employees under the 'Employees Stock Option Scheme' shall not be made without the sanction of the Company in the General Meeting by way of special resolution.
- Subject to the requirements of Listing Agreement and the bye laws of the Stock 9. Exchanges, every member shall be entitled, without payment, to one or more certificates in marketable lots, for all the shares of each class or denomination registered in his name, or if the Directors so approve (upon paying such fees as the Directors may from time to time determine) to several certificates, each for one or more of such shares and the Company shall complete and have ready for delivery such certificates within two months from the date of allotment or such time as may be prescribed under the Act or listing agreement unless the conditions of issue thereof otherwise provide, or within fifteen days of the receipt of application of registration of transfer, transmission, sub-division, consolidation or renewal of any of its shares, as the case may be or such time as may be prescribed under the Act or listing agreement. Every certificate of shares shall be under the seal of the Company and shall specify the number and distinctive numbers of shares in respect of which it is issued and amount paid-up thereon and shall be in such form as the directors may prescribe or approve, provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a certificate of shares to one of several right holders shall be sufficient delivery to all such holders.

Provided that in case of securities held by the member/ Bond/ Debenture holder in dematerialized form, no Share/Bond/Debenture Certificates shall be issued.

No Certificates of any Share or shares shall be issued either in exchange for those which are sub-divided or consolidated or in replacement of those which are defaced, torn or old, decrepit, worn out or where the cages on the reverse for recording transfers have been fully utilized unless the certificates in lieu of which it is issued is surrendered to the Company or otherwise as may be decided by the Board as per requirements of the Act or listing agreement.

10. If any security certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back thereof for endorsement of transfer upon production and surrender

Mode of Increasing Capital

Shares and **Securities** under the control of the Directors

Right of Members or **Debenture** holders to certificate

Issue of new Certificate in place

	जान बठक न रायरवारको के अनुमादन जार लागू कानून के जव्यवान बांड समय-समय पर पर पर रायर जुटाकर पूंचा न वृद्धि कर सकता है। यह वृद्धि कुल राशि होगी और ऐसी संगत राशि ऐसे शेयरों में बांटी जाएगी और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के तहत जारी की जाएगी और ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों, जो इसके साथ संबद्ध है और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित है। जब भी कंपनी की पूंजी में इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत वृद्धि की गई है, निदेशक अधिनियम की धारा-64 के प्रावधानों अथवा किसी अन्य प्रावधानों/ऐसे अनुपालनों, जो तत्समय लागू अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित है, का अनुपालन करेगा ।	माध्यम
8.	अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों और इन अनुच्छेदों तथा लागू नियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन कंपनी की पूंजी में शेयर और प्रतिभूतियां तत्समय के लिए ऐसे निदेशकों के नियंत्र्णाधीन होंगे, जो उनका अथवा उनमें से किसी का किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अनुपात में और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर और प्रीमियम पर या उसके समान उस समय जब वे उपयुक्त समझें, जारी, आबंटित अथवा अन्यथा निपटान कर सकते हैं और किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को या तो बराबर अथवा प्रीमियम पर ऐसी अवधि के दौरान किसी शेयर को लेने का विकल्प अथवा अधिकार लेने के लिए और उस पर विचार करने के लिए, जो निदेशक उपयुक्त समझें और कंपनी की पूंजी में शेयर जारी और आबंटित कर सकते हैं अथवा कंपनी के कारोबार में कंपनी को बिक्री और हस्तांतरित अथवा किसी सेवा के लिए संपत्ति के आंशिक या पूर्ण भुगतान पर प्रतिभूतियों और किसी शेयर को, जो इस प्रकार आबंटित किए जा सकते हैं, पूर्ण चुकता शेयरों के रुप में जारी किए जा सकते हैं और इस प्रकार से जारी किए जाने पर उन्हें पूर्ण चुकता शेयरों के रुप में माना जाएगा। परंतु मौजूदा शेयरधारकों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों और कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत शेयरों का निर्गमन अथवा आबंटन कंपनी की आम बैठक में विशेष संकल्प के द्वारा कंपनी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।	निदेशकों के नियंत्रणाधीन शेयर और प्रतिभूतियां
9.	सूचीबद्ध करार की अपेक्षाओं और स्टॉक एक्सचेंज के उप नियमों के अध्यधीन प्रत्येक सदस्य मार्केटबल लॉट में एक या अधिक प्रमाण पत्र के लिए बिना भुगतान के प्रत्येक श्रेणी अथवा मूल्य वर्ग के सभी शेयरों के लिए उनके नाम से पंजीकृत कराने का हकदार होगा अथवा यदि निदेशक अनेक प्रमाण पत्र, प्रत्येक को एक या अधिक शेयर के लिए अनुमोदित करते हैं (निदेशकों द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्कों के भुगतान पर) और कंपनी द्वारा आबंटन की तारीख से दो माह के अंदर अथवा इसके किसी शेयरों के पंजीकरण, अंतरण, हस्तांतरण, उप विभाजन, समेकन अथवा नवीकरण के आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, अथवा अधिनियम के तहत अथवा सूचीबद्ध करार के तहत विनिर्दिष्ट समय के अंदर ऐसे प्रमाणपत्रें की सुपुर्दगी पूरी करेगी, जब तक कि उन्हें जारी करने की शर्त में ऐसा उल्लेख न हो। प्रत्येक शेयर प्रमाण पत्र पर कंपनी की मुहर होगी और उसमें शेयरों की संख्या और विशिष्ट संख्या का उल्लेख होगा जिसमें इन्हें जारी किया गया है और भुगतान की गई राशि का उल्लेख होगा और उस	सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों का प्रमाण पत्र का अधिकार

को शेयर प्रमाण पत्र प्रदान करना पर्याप्त होगा।

परन्तु सदस्य/बांड/डिबेंचर धारकों द्वारा डिमैट रुप में रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में कोई शेयर/बांड/डिबेंचर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

रुप में होगे जिसमें निदेशक विनिर्दिष्ट या अनुमोदित करें, परन्तु यदि कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रुप से शेयर रखे गए हैं तो कंपनी एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी और ऐसे अनेक धारकों में से किसी एक

किसी भी उप विभाजित अथवा समेकित अथवा विकृत, फटे, पुराने, घिसे, खराब, जहां पीछे के भाग में रिकार्डिंग, अंतरण के लिए केज का पूरा उपयोग कर लिया गया है, जब तक कि इसके स्थान पर, प्रमाण पत्र कंपनी को सरेन्डर न कर दिया जाए अथवा बोर्ड द्वारा यथानिर्णित न किया जाए शेयर अथवा शेयरों के लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

10. यदि कोई प्रतिभूति प्रमाणपत्र फट जाता है, खराब, विकृत अथवा घिस जाता है अथवा यदि उसके पीछे अन्तरण करने विरुपित, गुम के लिए आगे कोई स्थान नहीं है, तो उसे कंपनी को प्रस्तुत करने अथवा वापस करने पर उसके बदले एक नया अथवा नष्ट प्रमाण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और यदि प्रमाण पत्र गुम हो गया है, नष्ट हो गया है, तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करने पर पत्र के स्थान पर

पूंजी और शेयर

पूंजी में वृद्धि करने का

पूंजी और शेयर

7.

शेयर पूंजी कपंनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के अनुच्छेद खंड-5 के अनुसार होगी।

आम बैठक में शेयरधारकों के अनमोदन और लाग कानन के अध्यधीन बोर्ड समय-समय पर नए शेयर जटाकर पंजी में

कंपनी द्वारा पूंजी में वृद्धि और इसे कैसे प्रभावी किया गया

thereof to the Company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any of one defaced, certificate be lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the Company and on execution of such indemnity as the Company may deem adequate, being given, a new certificate in lieu thereof shall be given to the party entitled to such lost or destroyed certificate. Every certificate under the article shall be issued without payment of fees.

Provided that notwithstanding what is stated above, the Directors shall comply with such Rules or Regulations or requirements of any Stock Exchange or the Rules made under the Act or the rules made under Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or any other Act, or rules applicable in this behalf. The provision of this Article shall mutatis mutandis apply to issue of certificates of Debentures of the Company.

11. Transfer and Transmission of shares

- (a) Subject to the provisions of the Listing Agreements between the Company and the Stock Exchanges, in the event that the proper documents have been lodged, the Company shall register the transfer of securities in the name of the transferee except:
 - (i) When the transferee is, in exceptional circumstances, not approved by the Directors in accordance with the provisions contained herein;
 - (ii) When any statutory prohibition or any attachment or prohibitory order of a competent authority restrains the Company from transferring the securities out of the name of the transferor:
 - (iii) When the transferor object to the transfer provided he serves on the company within a reasonable time a prohibitory order of a court of competent jurisdiction.
- (b) Subject to the provisions of Section 56 of the Act, these Articles and other applicable provisions of the Act or such Rules or Regulations or requirements of any Stock Exchange or the rules made under Securities Contracts (Regulation) Act,1956 or any other law for the time being in force, the Board may refuse, in the interest of the Company or in pursuance of power under any Applicable Law, to register the transfer of, or the transmission by operation of law of the right to, any shares or interest of a member in or Debentures of the Company. The Company shall within such time as may be prescribed from the date on which the instrument of transfer, or the intimation of such transmission, as the case may be, was delivered to the Company, send notice of the refusal to the transferee and the transferor or to the person giving intimation of such transmission, as the case may be, giving reasons for such refusal. Provided that the registration of a transfer shall not be refused on the ground of the transferor being either alone or jointly with any other person or persons indebted to the Company on any account whatsoever except where the Company has a lien on shares.
- (c) The Board may, subject to the right of appeal conferred by Section 58 of the Act and other Applicable Law decline to register—
 - (i) the transfer of a Share, not being a fully paid Share, to a person of whom they do not approve; or
 - any transfer of shares on which the Company has a lien. (ii)
- (d) The Board may decline to recognize any instrument of transfer unless—
 - (i) the instrument of transfer is in the form as prescribed under sub-section (1) of Section 56 of the Act or Applicable Law;
 - (ii) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
 - (iii) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.

11

lost or destroyed.

Transfer/ Transmission of shares

कंपनी की संतुष्टि होने पर और कंपनी जैसा उपयुक्त समझे, क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित करने पर ऐसे गुम अथवा नष्ट नया प्रमाण पत्र प्रमाणपत्र के पात्र पक्षकार को उसके बदले एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। अनुच्छेद के तहत प्रत्येक प्रमाण जारी करना पत्र बिना शुल्क के भगतान के जारी किया जाएगा।

परंतु, उपर्युक्त पर ध्यान दिए बिना, निदेशक ऐसे नियमों अथवा विनियमों अथवा स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं और अधिनियम के तहत बने नियमों अथवा प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 अथवा किसी अन्य अधिनियम अथवा इस संबंध में लागू नियमों का पालन करेगा। इस अनुच्छेद के प्रावधान कंपनी के डिबेंचर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

11. शेयरों का अन्तरण और हस्तांतरण

शेयरों का अंतरण⁄हस्तांतरण

- (क) कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच सूचीबद्ध करार के प्रावधानों के अध्यधीन कि उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, कंपनी निम्नलिखित को छोड़कर अंतरिती के नाम से प्रतिभूति का अंतरण पंजीकृत करेगी:-
 - जब अंतरिती, किसी अपवाद की स्थिति में, प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया;
 - (ii) जब कोई सांविधिक प्रतिबंध अथवा कुर्की अथवा सक्षम प्राधिकारी का प्रतिनिषेधात्मक आदेश कंपनी को अंतरणकर्ता के नाम से प्रतिभूतियों को अंतरित करने से रोकता हो;
 - (iii) जब अंतरणकर्ता अंतरण करने के लिए रोकता हो, बशर्ते वह कंपनी को उचित समय के भीतर सक्षम न्यायालय का एक निषेधात्मक आदेश प्रदान करे।
- (ख) अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों, इन अनुच्छेदों और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों अथवा ऐसे नियमों अथवा विनियमों अथवा किसी स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून प्रतिभूति, अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अध्यधीन बोर्ड कंपनी के हित में अथवा लागू किसी कानून के तहत शक्तियों के अनुसरण में किसी सदस्य के कोई शेयर अथवा आय अथवा कंपनी के डिबेंचरों को अंतरण करने के लिए किसी शेयर के अधिकार के कानून के प्रचालन से अंतरित अथवा हस्तांतरित करने का पंजीकरण करने से मना कर सकता है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कंपनी अंतरण दस्तावेज की तारीख से अथवा कंपनी को ऐसे हस्तांतरण की सूचना देने से, जैसा भी मामला हो, अंतरिती और अंतरणकर्ता अथवा ऐसे हस्तांतरण की सूचना देने वाले को, जैसा भी मामला हो, इंकार करने के लिए कारण देते हुए इंकार का नोटिस दे सकती है।

परंतु अंतरण का पंजीकरण करने से, अंतरणकर्ता के अकेले होने अथवा संयुक्त रुप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ होने अथवा किसी भी तरह से कंपनी का ऋणी होने के कारण, केवल इस बात को छोड़कर, जहां कंपनी का शेयरों पर पुनर्ग्रहणधिकार है, इंकार नहीं किया जाएगा।

- (ग) बोर्ड, अधिनियम की धारा 58 और अन्य लागू कानून द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अध्यधीन पंजीकरण से इंकार कर सकता है;-
 - (i) ऐसे व्यक्ति के नाम, जिसके लिए अनुमोदन नहीं किया गया, पूर्ण चुकता शेयर न होने के कारण शेयर का अन्तरणय अथवा
 - (ii) ऐसे शेयरों का कोई अंतरण, जिन पर कंपनी का पुनर्ग्रहणधिकार है ।
- (घ) बोर्ड, अन्तरण के किसी दस्तावेज को पहचानने से मना कर सकता है, जब तक कि;-
 - (i) अंतरण दस्तावेज अधिनियम की धारा 56 की उप धारा (।) के तहत विनिर्दिष्ट रुप में हो;
 - (ii) अंतरण दस्तावेज के साथ शेयर प्रमाणपत्र हो, जिससे वह संबंधित हो, और ऐसा कोई साक्ष्य हो, जिसकी बोर्ड को अंतरण करने के लिए अंतरणकर्ता के अधिकार को दिखाने के लिए समुचित आवश्यकता होय और
 - (iii) अंतरण दस्तावेज शेयरों की केवल एक ही श्रेणी से संबंधित हों ।

- (e) No fee shall be charged for registration of transfer, transmission, probate, succession certificate and letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney or similar other document.
- (f) The instrument of transfer shall be in common form and in writing and all provision of Section 56 of the Act and statutory modification thereof for the time being shall be duly complied with in respect of all transfer of shares and registration thereof.
- (g) The Company shall not register the transfer of its securities in the name of the transferee(s) when the transferor(s) objects to the transfer: Provided that the transferor serves on the Company, within sixty working days of raising the objection, a prohibitory order of a Court of competent jurisdiction.
- (h) The board of directors of the Company may delegate the power of transfer of securities to a committee or to compliance officer or to the registrar to an issue and/or share transfer agent(s). Provided further that the delegated authority shall report on transfer of securities to the board of directors in each meeting.
- 12. The Company shall keep a book to be called the "Register of Transfer of Shares and Transfer of Debentures", and therein shall be fairly and directly Entered particulars of every transfer or transmission of any Share or Debenture. The Register of Transfers shall not be available for inspection or making of extracts by the Members of the Company or any other Persons. Entries in the register should be authenticated by the secretary of the Company or by any other person authorized by the Board for the purpose, by appending his signature to each entry.
- 13. (a) Every such instrument of transfer shall be executed both by transferor and the **Execution of** Transfer transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of such Share until the name of the transferee has been entered in the Register of Members in respect thereof.
 - (b) Application for the registration of the transfer of a Share may be made either by the transferee or the transferor. No registration shall, in the case of the partly paid Share, be effected unless the Company gives notice of the application to the transferee subject to the provisions of these Articles and Section 56 of the Act and/or Applicable Law unless objection is made by the transferee within two weeks from the date of receipt of the notice, enter in the Register the name of transferee in the same manner and subject to the same conditions as if the application for registration of the transfer was made by the transferee.
- 14. On the death of a member, his legal heirs as per Hindu Succession Act or any other similar acts providing for succession of estate of the deceased for other communities Shares in India shall be the only persons recognized by the Company as having any title to his interest in the shares.

Provided nevertheless that it shall be lawful for the Directors in their absolute discretion to dispense with the production of any evidence including any legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise as the Directors may deem fit.

Provided nevertheless, that if such person shall elect to have his nominee registered he shall testify the election by executing to his nominee an instrument of transfer in accordance with the provisions herein contained and until he does so, he shall not be freed from any liability in respect of the shares.

- 15. Nothing contained in Article 11 shall prejudice any power of the Company to register as shareholders [or debenture holder] any persons to whom the right to any shares [or debentures] in the Company has been transmitted by operation of law.
- 16. No transfer shall be made to a minor or insolvent or person of unsound mind. However in No transfer to

Register of Transfer of shares and debentures

Transmission of

- (ड.) अंतरण, हस्तांतरण, पंजीकरण प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और प्रशासन पत्र, मृत्यु अथवा शादी के प्रमाणपत्र, मुख्तारनामा अथवा ऐसे ही अन्य दस्तावेज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- (च) अन्तरण दस्तावेज साझा रुप में और लिखित में होगा तथा अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान और तत्समय के लिए तत्संबंधी सांविधिक संशोधन का शेयरों के अंतरण और उनके पंजीकरण के लिए विधिवत अनुपालन किया जाएगा।
- (छ) कंपनी, अन्तरिती(यों) के नाम से उसकी प्रतिभूतियों का अंतरण पंजीकृत नहीं करेगी, यदि अंतरणकर्ता अन्तरण करने से मना कर देते हैं। बशर्ते अंतरणकर्ता आपत्ति उठाए जाने के सात कार्य दिवसों में कंपनी को सक्षम क्षेत्रधिकार के न्यायालय का एक निषेधात्मक आदेश प्रस्तुत करें।
- (ज) कंपनी का निदेशक मंडल एक समिति अथवा अनुपालन अधिकारी अथवा पंजीयक को किसी मामले में और/ अथवा शेयर अंतरण एजेंट को प्रतिभूतियों के अंतरण का अधिकार प्रदान कर सकता है बशर्ते कि प्रत्यायोजित प्राधिकारी प्रतिभूतियों के अन्तरण पर प्रत्येक बैठक में निदेशक मंडल को सूचित करें।
- 12. कंपनी "शेयर अंतरण और डिबेंचर अंतरण पंजिका" नामक एक पंजिका रखेगी और उसमें किसी शेयर अथवा डिबेंचर शेयरों और के प्रत्येक अन्तरण अथवा हस्तांतरण के ब्यौरे की उचित और प्रत्यक्ष प्रविष्टियां होंगी। अन्तरण पंजिका कंपनी के सदस्यों डिबेंचरों के अंतरण अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए अथवा सारांश तैयार करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। पंजिका में प्रविष्टियां कंपनी के सचिव अथवा प्रविष्टि के लिए हस्ताक्षर करने के प्रयोजन से बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
- 13. (क) प्रत्येक ऐसा अन्तरण दस्तावेज अंतरणकर्ता और अंतरिती, दोनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा और अन्तरणकर्ता, अंतरण का इस संबंध में सदस्य पंजिका में अन्तरिती के नाम की प्रविष्टि होने तक ऐसा शेयरधारक बना रहेगा ।
 - (ख) शेयर के अन्तरण के पंजीकरण के लिए आवेदन अन्तरिती अथवा अन्तरणकर्ता द्वारा किया जाएगा। आंशिक रुप से भुगतान किए गए शेयर के मामले में जब तक कि कंपनी इन अनुच्छेदों और अधिनियम और/अथवा लागू कानून की धारा 56 के प्रावधानों के तहत अन्तरिती आवेदन का नोटिस न दें, कोई पंजीकरण प्रभावी नहीं होगा, जब तक अन्तरिती द्वारा नोटिस प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर आपत्ति न उठाई जाए अंतरिती का नाम पंजिका में उसी तरीके से और उसी शर्त के अध्वधीन रहेगा, जैसा कि अंतरण क पंजीकरण के लिए अंतरिती ने आवेदन किया हो।
- 14. किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अथवा भारत में अन्य समुदायों के लिए मृतक की संपदा शेयरों का के उत्तराधिकार के प्रावधान संबंधी किसी अन्य ऐसे ही अधिनियम के तहत, कंपनी द्वारा शेयरों के किसी उत्तराधिकार हस्तांतरण के लिए अभिज्ञात किए गए व्यक्तियों को ही उसका कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा। परंतु फिर भी निदेशकों के लिए उनके पूर्ण विवेकाधिकार में यह विधि सम्मत होगा कि निबटान के लिए किसी कानूनी प्रतिवेदन के साथ अथवा अन्यथा शर्त पर जो निदेशक उपयुक्त समझे, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करके समाधान किया जाए। परंतु फिर भी निदेशकों के लिए उनके पूर्ण विवेकाधिकार में यह विधि सम्मत होगा कि निबटान के लिए किसी कानूनी प्रतिवेदन के साथ अथवा अन्यथा शर्त पर जो निदेशक उपयुक्त समझे, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करके समाधान किया जाए। परंतु फिर भी यदि ऐसा व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी चुनकर पंजीकृत कराए तो वह निहित प्रावधानों के अनुसार अंतरण दस्तावेज का निष्पादन करके चुनाव को प्रमाणित करेगा और जब तक वह ऐसा करता है, उसे शेयरों के संबंध में उसे किसी जिम्मोदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा ।
- 15. अनुच्छेद 11 में निहित प्रावधान किसी व्यक्ति को, जिसके पास लागू कानून के तहत कंपनी में किन्हीं शेयरों का अधिकार (अथवा डिबेंचर) प्रदान किया गया है, उसे शेयर धारक (अथवा डिबेंचरधारक) के रुप में पंजीकरण करने के लिए कंपनी की किसी शक्ति के प्रतिकूल प्रभावी होंगे।
- 16. किसी अव्यस्क अथवा दिवालिए अथवा विक्षिप्त व्यक्ति को अंतरण नहीं किया जाएगा। तथापि, अव्यस्क,

respect of fully paid up shares, shares may be transferred in favor of minor acting minor, through legal guardian, in accordance with the provisions of Law. insolvent etc.

17. The Company shall not incur any liability or responsibility whatsoever in consequence of its registering or giving effect to any transfer of shares made or purporting to be made by any apparent legal owner thereof (as shown or appearing in the Register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any equitable right, title or interest to or in the said shares, notwithstanding that the Company may have had notice of such equitable right, title or interest or notice prohibiting registration of such transfer, and may have entered such notice, or deferred thereto, in any book of the Company, and the Company shall not be bound or required to regard or attend or give effect to any notice which may be given to it of any equitable right title or interest, or be under any liability whatsoever for refusing or neglecting so to do, though it may have been entered or referred to in some book of the Company; but the Company shall nevertheless be at liberty to regard and attend to any such notice and give effect thereto, if the Board of Directors so think fit.

18. ALTERATION OF CAPITAL

The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share Alteration of capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in Capital the resolution.

A. Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution-

- (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
- (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;
- (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum, so , however, that in the sub division the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each reduced share shall be the same as it was in the case of the share from which the reduced share is derived;
- (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of share capital by the amount of share so cancelled.
- B. Where shares are converted into stock,—
 - (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:

Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.

- (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.
- (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.
- C. The company may, by special resolution, reduce in any manner subject to, any Reduction of consent required by law,— Capital

13

Conversion of shares into stock

Company not liable for disregard of

a notice in prohibiting registration of transfer पूर्ण रुप से चुकता शेयरों के मामले में शेयरों को कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी संरक्षक के माध्यम से कार्य को अंतरण नहीं कर रहे अव्यस्क के पक्ष में अंतरित किया जा सकता है।

- कंपनी शेयरों के किसी अंतरण के पंजीकरण अथवा उसे प्रभावी बनाने अथवा उसके किसी कानूनी स्वामी के अभिप्राय कंपनी अंतरण 17. के पंजीकरण से (सदस्य पंजिका में दर्शाए अथवा प्रस्तुत अनुसार) किसी व्यक्तियों को समान अधिकार, मालिकाना हक अन्यथा उन को मना करने में शेयरों में हित का दावा करने पर कोई भी, कैसी भी जिम्मेदारी अथवा जवाबदेही नहीं होगी। इस बात पर ध्यान दिए किसी नोटिस के बिना कि कंपनी को ऐसे समान अधिकार, मालिकाना हक अथवा हित अथवा ऐसे अंतरण के पंजीकरण को रोकने न मानने के लिए के लिए नोटिस मिल सकता है और ऐसे नोटिस को कंपनी की किसी पंजिका में प्रविष्टि अथवा आस्थगन किया गया जिम्मेदार नहीं हो सकता है और कंपनी उसे दिए गए किसी समान अधिकार अथवा हित अथवा किसी देनदारी के लिए उसे प्रभावी बनाने के लिए बाध्य अथवा ध्यान देने अथवा उस पर कार्रवाई करने को बाध्य नहीं होगी लेकिन कंपनी इसके बावजद किसी भी नोटिस पर कार्रवाई अथवा सुनवाई करने और उसे प्रभावी बनाने में लिए स्वतंत्र होगी, यदि निदेशक मंडल इसे उपयुक्त समझें ।
- 18. पूंजी में परिवर्तन

कंपनी समय-समय पर सामान्य संकल्प के द्वारा संकल्प में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि के शेयरों में विभाजन किए जाने के लिए शेयर पूंजी में वृद्धि कर सकती है;

- क. धारा 61 के प्रावधानों के अध्यधीन कंपनी सामान्य संकल्प के द्वारा
 - (क) अपनी सभी अथवा किसी शेयर पूंजी को मौजूदा शेयरों से बड़ी राशि के शेयरों में समेकित और विभाजित कर सकती है;
 - (ख) अपने सभी अथवा किन्हीं पूर्ण चुकता शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित और उस स्टॉक को किसी मूल्यवर्ग के पूर्ण चुकता शेयरों में पुनरू परिवर्तित कर सकती है;
 - (ग) अपने मौजूदा शेयरों अथवा उनमें से किसी को ज्ञापन में निर्धारित छोटी राशि के शेयरों में इस प्रकार से उप-विभाजित कर सकती है, ताकि उप -विभाजन में चुकाई गई राशि और प्रत्येक कम की गई राशि के शेयर पर न चुकाई गई राशि, यदि कोई हो, के बीच का अंतर वही हो, जैसा कि ऐसे शेयर के मामले में था, जिसमें से शेयर कम किया गया है,
 - (घ) किसी शेयर को निरस्त कर सकती है, जो संकल्प पारित करने के समय किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया अथवा सहमत नहीं हुआ और शेयर पूंजी की राशि में से इस प्रकार से निरस्त शेयर की राशि को कम किया जाएगा।
- ख. जहां शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित किया गया है-
 - (क) स्टॉक धारक उन्हें अथवा उनके किसी भाग को उसी तरीके से और विनियम के अध्यधीन, जिसके तहत वे शेयर जिनमें से स्टॉक बनाया गया, परिवर्तन से पूर्व अंतरित कर दिया गया हो अथवा परिस्थितियों के अनुसार अंतरित किया जाने वाला हो, अंतरित कर सकता हैय
 - (क) परंतु बोर्ड, समय-समय पर अन्तरणीय स्टॉक की न्यूनतम राशि इस प्रकार से निर्धारित कर सकता है
 कि यह न्यूनतम राशि ऐसे शेयरों की सामान्य राशि से अधिक नहीं हो, जिनसे स्टॉक बनाया गया है।
 - (ख) स्टॉक धारकों को उनके पास धारित स्टॉक की राशि के अनुसार, वही अधिकार, विशेषाधिकार और लाभ होंगे जो लाभांश, कंपनी की बैठक में मत देने और अन्य मामलों में होते, यदि उनके पास वे शेयर होते, जिनसे स्टॉक बनाया गयाय लेकिन कोई ऐसा विशेषाधिकार अथवा लाभ (कंपनी के लाभांश और लाभों में भागीदारी और परिसमापन पर परिसंपत्तियों में भागीदारी को छोड़कर) स्टॉक की उतनी राशि के लिए प्रदान नहीं किए जाएंगे जो यदि शेयरों में होते, तो वे विशेषाधिकार अथवा लाभ प्रदत्त होते ।
 - (ग) कंपनी के ऐसे विनियम, जो चुकता शेयरों पर लागू है, स्टॉक के लिए लागू होंगे और उन विनियमों
 में "शेयर" और "शेयरधारक" शब्दों में क्रमश: "स्टॉक" और "स्टॉक धारक" शामिल होंगे।
- ग. कंपनी, विशेष संकल्प के द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार सहमति से किसी भी तरीके से इन्हें कम कर सकती पूंजी की कमी है-

शेयरों का स्टॉक

में परिवर्तन

पूंजी में परिवर्तन

its share capital; any capital redemption reserve account; or any share premium account.

18.A CAPITALISATION OF PROFITS

- (i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, Capitalization resolve— of Profits
 - (a) that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the profit and loss account, or otherwise available for distribution; and
 - (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.
- (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in Art.18B(iii), either in or towards—
 - (a) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively;
 - (b) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid;
 - (c) partly in the way specified in sub-clause (a) and partly in that specified in sub-clause (b);
 - (d) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares;
 - (e) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.
- 18B. (i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall—
 - (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and
 - (b) generally do all acts and things required to give effect thereto.
 - (ii) The Board shall have power—
 - (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and
 - (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalization, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalized, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares;
 - (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.

19. ISSUE OF SHARES

(a) New shares shall be issued upon such terms and conditions and with such rights and privileges annexed thereto as the general meeting may resolve, provided that no shares (not being preference share) shall be issued carrying voting rights or rights in the company as to dividend, capital or otherwise, which are disproportionate/ superior to the rights attached to the holders of other shares (not being preference shares).

उसकी शेयर पूंजीय कोई पूंजी विमोचन आरक्षी खाताय अथवा कोई शेयर प्रीमियम खाता

18.(क) लाभों का पूंजीकरण

- (i) कंपनी सामान्य बैठक में, बोर्ड की सिफारिश पर संकल्प करेगी-
 - (क) कि कंपनी के किसी आरक्षी खाते में जमा अथवा लाभ और हानि खाते में जमा अथवा अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध राशि को तत्समय के लिए उस राशि के किसी भाग से पूंजी में परिणत करना आवश्यक है; और
 - (ख) यह कि वह राशि तदनुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट ढंग से ऐसे सदस्यों, जो उसके लिए पात्र किए गए हों,
 के बीच वितरण के लिए रखी जाएगी, यदि लाभांश के रुप और उसी अनुपात में वितरण हो।
- (ii) उपरोक्त राशि नकदी में भुगतान नहीं की जाएगी बल्कि अनुच्छेद 18 ख(iii) में निहित प्रावधान के अध्यधीन निम्नलिखित में अथवा इसके लिए प्रयुक्त की जाएगी:-
 - (क) ऐसे सदस्यों द्वारा धारित किसी शेयरों पर न चुकाई जा रही किसी धनराशि का भुगतान।
 - (ख) कंपनी के जारी न किए गए शेयरों जिन्हें उपरोक्त अनुपात में ऐसे सदस्यों के बीच पूर्ण चुकता के रुप में आबंटित और वितरित किया जाना है, के लिए पूर्ण भुगतान।
 - (ग) आंशिक रूप से उप खंड (क) और आंशिक रूप से उप खंड (ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से।
 - (घ) एक प्रतिभूति प्रीमियम खाता और एक पूंजीगत मोचन आरक्षी खाता, इस विनियम के प्रयोजन के लिए जारी न किए शेयरों को कंपनी के सदस्यों को जारी करने के लिए पूर्ण रुप से चुकता बोनस शेयर के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
 - (ड.) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प को प्रभावी करेगा।
- 18.(ख) (i) जब भी उपरोक्तानुसार ऐसा संकल्प पारित किया जाएगा, बोर्ड -
 - (क) पूंजीकृत संकल्प से वितरित लाभों का समग्र विनियोजन और अनुप्रयोग तथा पूर्ण चुकता शेयरों, यदि कोई हो, का पूरा आबंटन करेगा और जारी करेगा और
 - (ख) सामान्यत: उसे प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और कार्रवाई करेगा।
 - (ii) बोर्ड को ये शक्तियां होंगी -
 - (क) शेयरों को खंडों में वितरित करने के मामले में खंडों में प्रमाणपत्र जारी करके अथवा नकदी में भुगतान करके अथवा अन्यथा, ऐसे तरीके से, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे, ऐसे प्रावधान करना; और
 - (ख) कंपनी के साथ करार करने के लिए पात्र सभी सदस्यों की ओर से किसी व्यक्ति को, उन्हें क्रमश: पूर्ण रूप से चुकता ऐसे शेयरों के रूप में आबंटन के लिए, जिनके लिए वे ऐसे पूंजीकरण के लिए अथवा मौजूदा शेयरों को चुकाने के लिए शेष राशि अथवा उसके किसी भाग के पूंजीकृत किए जाने वाले लाभों के लिए उनके संबंधित अंश का उनकी ओर से कंपनी द्वारा भुगतान के लिए मामले की अपेक्षा के अनुसार पात्र होंगे।
 - (iii) ऐसे किसी प्राधिकार के तहत किया गया कोई करार ऐसे सदस्यों पर प्रभावी और बाध्यकर होगा।
- 19. शेयर जारी करना
 - (क) आम बैठक में संकल्प के अनुसार ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर और उनसे संबद्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ नए शेयर जारी किए जाएंगे, बशर्ते कि मताधिकार वाले अथवा कंपनी में लाभांश, पूंजी अथवा अन्यथा किसी अधिकार वाले ऐसे कोई शेयर (अधिमान्य शेयर नहीं) जारी किए जाएंगे, जो अन्य शेयर धारकों के साथ संबद्ध अधिकारों के लिए अनुपातहीन/बेहतर हैं।

- (b) Subject to the provisions of Section 62 of the Act, Where at any time it is proposed to increase the subscribed Capital of the Company by allotment of further shares, then:
 - (i) Such further shares shall be offered to the persons who on the date of the offer are holders of the equity shares of the Company, in proportion as nearly as circumstances admit, to the Capital paid-up on those shares at the date.
 - (ii) Such offer shall be made by a notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than fifteen days and not exceeding 30 days from the date of the offer within which the offer, if not accepted, shall be deemed to have been declined.
 - (iii)The offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favour of any other person and the notice referred to in 19 (b) (ii) hereof shall contain a statement of this right.
 - (iv)After the expiry of the time specified in the aforesaid notice or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that he declines to accept the shares offered, the Board of Directors may dispose of them in such manner as they think most beneficial to the interest of the Company.
- (c) Notwithstanding anything contained in the Article no. 19 (b) the further shares aforesaid may be offered in any manner whatsoever, to:
 - (i) employees under a scheme of employees' stock option scheme.
 - (ii) to any persons on private placement or on preferential basis, whether or not those persons include the persons referred to clause (a) and (b) of Article 19, either for cash or for a consideration other than cash, if the price of such share is determined by valuation report of a registered valuer, subject to such conditions as may be prescribed, if so decided by a Special Resolution, as per Applicable Law.;
- (d) Nothing in Article no. 19 (c) hereof shall be deemed;
 - (i) To extend the time within which the offer should be accepted; or
 - (ii) To authorize any person to exercise the right of renunciation for a second time, on the ground that the person in whose favour the renunciation was first made has declined to take the shares comprised in the renunciation.
- (e) Nothing in this Article shall apply to the increase of the subscribed capital of the Company caused by the exercise of an option attached to the debenture issued or loans raised by the Company to convert such debentures or loans into shares in the Company, provided that the terms of issue of such debentures or the terms of such loans include a term providing for such option and such term have been approved before the issue of such debenture or the raising of loan by special resolution passed by the company in general meeting
- (f) Subject to the provisions of Section 62(4) of the Act and other Applicable Law, where any debenture have been issued or loan has been obtained from any Government by a Company and if that Government, considers, if necessary in the public interest so to do, it may, by order direct that such debenture or loan or any part thereof shall be converted into shares in the company.
- 20. The new shares resulting from an increase of (capital as aforesaid) may be issued or When to be offered disposed of in accordance with the provisions of Article 8. to existing Members
- 21. Except so far as otherwise provided by the conditions of issue or by these Articles, any Same as original capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital Capital and shall be subject to the provisions herein contained with reference to the payment of

- (ख) अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के अध्यधीन, जहां किसी समय कंपनी की अभिदत्त पूंजी में आगे शेयर आबंटित करके वृद्धि करने का प्रस्ताव है; तब
 - (i) ऐसे शेयर ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तावित किए जाएंगे जो प्रस्ताव की तारीख से कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक हैं, जो उस तारीख को उन शेयरों पर परिस्थितियों के अनुरूप शेयरों की चुकता पूंजी के अनुपात में है।
 - (ii) ऐसा प्रस्ताव एक नोटिस द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित शेयरों की संख्या तथा प्रस्ताव की तारीख से न्यूनतम पन्द्रह दिनों और अधिकतम तीस दिनों की समय सीमा का उल्लेख होगा और इसके अन्दर यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो इसे अस्वीकार माना जाएगा।
 - (iii) उपरोक्त प्रस्ताव में संबंधित व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तावित शेयरों अथवा उनमें से किसी शेयर को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में छोड़ने के अधिकार का प्रयोग शामिल माना जाएगा और यहां 19 (ख) (ii) में यथा उल्लिखित नोटिस में इस अधिकार का एक विवरण शामिल होगा।
 - (iv) उपरोक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होने अथवा जिस व्यक्ति को यह नोटिस दिया गया है, उससे पूर्व सूचना प्राप्त होने पर कि वह प्रस्तावित शेयरों को स्वीकार करने से मना करता है, निदेशक मंडल कंपनी के हित में अधिक लाभ के लिए ऐसे ढंग से जिसे, वह उपयुक्त समझे, निपटान कर सकता है।
- (ग) अनुच्छेद 19(ख) में निहित किसी प्रावधान के बावजूद उपरोक्त शेयरों के लिए निम्नलिखित को किसी भी तरीके से प्रस्ताव किया जा सकता है:
 - (i) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना की एक योजना के तहत कर्मचारी;
 - (ii) किन्हीं व्यक्तियों को निजी तौर पर अथवा अधिमान्य आधार पर चाहे वे व्यक्ति अनुच्छेद 19 के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों में शामिल है अथवा नहीं, नकदी में अथवा नकदी के अलावा विचार करने के लिए है, यदि ऐसे शेयरों की कीमत एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित है जो ऐसी शर्त के अध्यधीन है, जो लागू कानून के तहत एक विशेष संकल्प द्वारा विनिर्धारित है:
- (घ) अनुच्छेद 19 (ग) में निम्नलिखित को नहीं माना जाएगा:
 - (i) समय का विस्तार, जिसके अंदर प्रस्ताव स्वीकार किया जाए; अथवा
 - (ii) किसी व्यक्ति को दूसरी बार छोड़ने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए इस आधार पर अधिकृत करना कि जिस व्यक्ति के पक्ष में पहले त्याग किया गया था, उसने शेयरों को लेने से इंकार किया है।
- (ड.) इस अनुच्छेद में कुछ भी कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर अथवा ऋणों को कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने के लिए विकल्प का प्रयोग करके कंपनी की अभिदत्त पूंजी में वृद्धि करने के लिए लागू नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसे डिबेंचर जारी करने की शर्तों अथवा ऐसे ऋणों की शर्तों में ऐसे विकल्प के लिए शर्त शामिल हो और ऐसी शर्त को ऐसे डिबेंचर जारी करने अथवा ऋण जुटाने से पूर्व कंपनी द्वारा आम बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (च) अधिनियम की धारा 62(4) के प्रावधानों और लागू कानूनों के अध्यधीन, जहां कोई डिबेंचर जारी किया गया है अथवा कंपनी द्वारा किसी सरकार से ऋण प्राप्त किया गया है और यह कि यदि सरकार जन हित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह ऐसा आदेश द्वारा यह निर्देशित करके कर सकती है कि ऐसा डिबेंचर अथवा ऋण अथवा उसका कोई अंश कंपनी में शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा।
- 20. अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार किसी वृद्धि के कारण (उपरोक्त पूंजी) नए शेयर जारी अथवा उनका निपटान किया मौजूदा सदस्यों जा सकता है। का कब प्रस्तावित किए जाए
- 21. इन अनुच्छेदों के द्वारा अथवा जारी करने की शर्त द्वारा अन्यथा प्रदत्त को छोड़कर, नए शेयरों के सृजन मूल पूंजी के से जुटाई गई कोई पूंजी मूल पूंजी का भाग मानी जाएगी और यह किस्तों के भुगतान, अनुसार

calls and installments, transfer and transmission, forfeiture, lien, surrender, voting and otherwise.

22. Subject to the provisions of Section 55 of the Act and other Applicable Law, any Issue of redeemable preference shares may be issued from time to time, on the terms that they are preference shares redeemable within 20 years and such other terms as may be decided at the time of the issue.

Further,

- (i) Such preference shares shall always rank in priority with respect to payment of Dividend or repayment of Capital vis-à-vis equity shares;
- (ii) The Board may decide on the participation of preference shareholders in the surplus Dividend, type of preference shares issued whether cumulative or otherwise, conversion terms into equity if any;

The Board may decide on any premium on the issue or redemption of preference shares.

- 23. Notwithstanding anything contained in these Articles but subject to the provisions **Buy-Back of** of sections 68-70 of the Act and other Applicable laws as prescribed by the Securities **Shares** /Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other authority for the time being in force, the Company may purchase its own shares or other specified securities. The powers conferred herein may be exercised by the Board, at any time and from time to time, where and to the extent permitted by Applicable Law, and shall be subject to such rules or approval as required.
- 24. The Board shall be entitled to issue, from time to time, subject to Applicable Law, **Provisions** any other Securities, including convertible Securities into Shares, exchangeable into **applicable to any** Shares, or carrying a warrant, with or without any attached Securities, carrying **other Securities** such terms as to coupon, returns, repayment, servicing, as may be decided by the terms of such issue. Such Securities may be issued either at par or premium and redeemed either at par or premium, as may be determined by the terms of the issue.
- 25. Whenever the Share Capital is divided into different types or classes of shares, all Variations/ or any of the rights and privileges attached to each type or class may, subject to the Modification of provisions of Sections 48 of the Act, be varied with the consent in writing by holders shareholders of at least three-fourths of the issued Shares of the class or is confirmed by a Special rights Resolution passed at a separate Meeting of the holders of Shares of that class.
- 26. Except as required by law, no person shall be recognized by the Company as holding **Shares not to be** any Share upon any trust, and the Company shall not be bound by, or be compelled **held in trust** in any way to recognize (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any Share, or any interest in any fractional part of a Share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any Share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

27. CALLS

- (i) The Board of Directors may, from time to time and subject to the terms on Calls which Securities have been issued and subject to the conditions of allotment, by a resolution passed at a meeting of the Board, or otherwise as permitted by Applicable Law make such call as it thinks fit upon the members in respect of all moneys unpaid on the Shares held by them respectively, and each member shall pay the amount of every call so made on him to the person or persons and at the times and places appointed by the Board of Directors. A call may be made payable by installments.
- (ii) The option or right to make calls on Securities shall not be given to any person except with the sanction of the issuer in general meetings.

अंतरण और हस्तांतरण, जब्ती, पुनर्ग्रहणाधिकार, अभ्यर्पण, मतदान और अथवा संदर्भ में निहित प्रावधानों के अध्यधीन होगी।

मोचनीय

जारी करना

मांग

अधिनियम की धारा 55 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अध्यधीन कोई अधिमान्य शेयर समय-समय पर ऐसी 22. अधिमान्य शेयर शर्तों पर जारी किए जा सकते हैं जिन्हें 20 वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है और ऐसी अन्य शर्तों पर होंगे, जो जारी करते समय निर्णीत की जाएगी।

इसके अलावा.

- ऐसे अधिमान्य शेयर प्राय; लाभांश के भुगतान अथवा पूंजी अथवा पूंजी व इक्विटी शेयरों की अदायगी के संबंध (i) में प्राथमिकता पर होंगे।
- बोर्ड अधिमान्य शेयरधारकों की भागीदारी के संबंध में अधिक्य लाभांश, जारी अधिमान्य शेयरों के प्रकार, संचित (ii) अथवा अन्यथा, इक्विटी में परिवर्तन, यदि हो, लाभांश में इक्विटी, में परिवर्तन की शर्तों के संबंध में निर्णय ले सकता है।

बोर्ड अधिमान्य शेयरों के जारी होने अथवा मोचन के संबंध में किसी प्रीमियम पर निर्णय ले सकता है ।

- इन अनुच्छेदों में निहित प्रावधानों के बावजूद, लेकिन अधिनियम की धारा 68-70 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति शेयरों/ 23. प्रतिभूतियों की और विनिमय बोर्ड (सेबी) अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित लागू कानूनों के अध्यधीन कंपनी अपने पुनर्खरीद शेयर अथवा अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभुतियां खरीद सकती हैं । यहां प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग समय-समय पर और किसी भी समय बोर्ड द्वारा लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक किया जा सकता है और यह यथा अपेक्षित ऐसे नियमों अथवा अनुमोदन के अध्यधीन होगा ।
- बोर्ड को समय-समय पर, लागू कानून के अध्यधीन कोई अन्य प्रतिभूतियां जारी करने का अधिकार होगा, जिसमें किसी अन्य 24. प्रतिभुतियों के शेयरों में परिवर्तनीय, शेयरों में विनिमेय प्रतिभूतियां अथवा वारंट लेना किसी संबद्ध प्रतिभूतियों के साथ अथवा उनके लिए प्रावधान बिना, ऐसी शर्ते रखना जिनमें कृपन, प्रक्रिल, अदायगी, सर्विसिंग शामिल है, जो इस प्रकार से जारी करने की शर्तों द्वारा लागू निर्धारित को जा सकती है।
- जब भी शेयर पूंजी को विभिन्न प्रकार के अथवा विभिन्न श्रेणियों के शेयरों में विभाजित किया जाना है, प्रत्येक प्रकार शेयरधारकों 25. के अधिकारों के अथवा प्रत्येक श्रेणियों से संबद्ध सभी अथवा कोई अधिकार और विशेषाधिकार अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों में परिवर्तन/ के अध्यधीन, उस श्रेणी के जारी किए गए शेयरों के कम से कम तीन-चौथाई धारकों द्वारा लिखित में सहमति के साथ संशोधन परिवर्तित होंगे अथवा इस श्रेणी के शेयर धारकों की एक अलग बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा पष्टि की जाएगी।
- कानन के तहत अपेक्षित के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी न्यास का कोई शेयर धारण करने की न्यास में शेयर 26. नहीं रखे जाएंगे स्वीकृति नहीं दी जाएगी और कंपनी किसी भी तरह से किसी शेयर में अथवा किसी शेयर के आंशिक भाग में अथवा केवल इन विनियमों अथवा अन्यथा कानून द्वारा प्रदत्त को छोडकर किसी शेयर के संबंध में पंजीकृत धारक में उसके समूचे निरपेक्ष अधिकार को छोड़कर कोई उचित, आकस्मिक, भावी अथवा आंशिक हित स्वीकार करने के लिए बाध्य अथवा विवश नहीं होगी (चाहे उसके लिए नोटिस हो)।
- 27. मांग
 - निदेशक मंडल समय-समय पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन पर प्रतिभूतियां जारी की गई है और आबंटन (i) की शर्तों के अध्यधीन, बोर्ड की एक बैठक में पारित एक संकल्प के द्वारा अथवा लागू कानून द्वारा अन्यथा यथा अनुमत अनुसार उनके द्वारा धारित शेयरों पर सभी अचुकता धनराशियों के संबंध में, सदस्यों को, जैसा उचित समझे, मांग भेज सकता है और प्रत्येक सदस्य उन्हें इस प्रकार से प्रत्येक मांग पर धनराशि का व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को बोर्ड नियत समय और स्थानों पर भुगतान करेगा। किसी मांग का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है ।
 - सामान्य बैठकों में जारीकर्ता की स्वीकृति के अलावा किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के संबंध में मांग के लिए (ii) विकल्प अथवा अधिकार नहीं होगा।

- (iii) Fourteen days' notice in writing of any call shall be given by the Company specifying the time and place of payment, and the person or persons to whom such call shall be paid.
- (iv) A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution authorizing such call was passed at a meeting of the Board.
- (v) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.
- (vi) The joint-holders of a share or debenture shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
- (vii) The Board may, from time to time at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call, but no Member or Debenture holder shall be entitled to such extension save as a matter of grace and favour.
- (viii) If the sum payable in respect of any call not paid on or before the day appointed When interest on for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the Securities Calls is payable in respect of which a call shall have been made, shall pay interest on the same at 10% or at such lower rate, if any as Board of Directors may determine, from the day appointed for the payment thereof to the day of actual payment, but the Board of directors may waive payment of such interest wholly or in part.
- (ix) Any sum, which by the terms of issue of Securities becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Articles be deemed to be call duly made and payable on the date on which by the terms of issue the same becomes payable, and in case of non-payment all the relevant provisions of these Articles as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.
- (x) On the trial or hearing of any action or suit brought by the Company against any Member or Debenture holder or his representatives for the recovery of any money claimed to be due to the Company in respect of his shares or debentures, it shall be sufficient to prove that the name of the Member or Debenture holder in respect of whose shares or debentures the money is sought to be recovered, appears entered on the Register of Members or Debenture holders as the holder, at or subsequently to the date at which the money sought to be recovered is alleged to have become due on the share and debentures in respect of which such money is sought to be recovered, that the resolution making the call is duly recorded in the Minute Book; and that notice of such call was duly given to the Member or Debenture holder or his representatives sued in pursuance of these Articles; and that it shall not be necessary to prove the appointment of the Directors who made such call, nor that a quorum of Directors was present at the Board at which any call was made nor that the meeting at which any call was made was duly convened or constituted nor any other matters whatsoever, but the proof of the matters aforesaid shall be conclusive of the debt.
- (xi) Neither the receipt by the Company of a portion of any money which shall from time to time be due from any Member or Debenture holder to the Company in respect of his shares or debentures, either by way of principal or interest, nor any indulgence granted by the Company in respect of the payment of any such money, shall preclude the company from thereafter proceeding to enforce a forfeiture of such shares or debentures as hereinafter provided.
 - (a) The Directors may, if it thinks fit, subject to the provision of the Act agree to Calls paid in and receive from any Member willing to advance the same, all or any part of Advance the amounts of his shares beyond the sums actually called up and upon the

- (iii) कंपनी द्वारा भुगतान के समय और स्थान तथा जिस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को मांग का भुगतान किया जाएगा, उसका उल्लेख करते हुए किसी मांग के लिए लिखित में चौदह दिन का नोटिस दिया जाएगा।
- (iv) कोई मांग उस समय भेजी गई मानी जाएगी जब उस मांग को अधिकृत करते हुए बोर्ड की उस बैठक में एक संकल्प पारित किया जाए ।
- कोई मांग बोर्ड के विवेकाधिकार पर रद्द अथवा स्थगित किया जा सकती है । (v)
- (vi) किसी शेयर अथवा डिबेंचर का संयुक्त धारक तत्संबंधी सभी मांगों का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार होगा ।
- (vii) बोर्ड, समय-समय पर अपने विवेक पर किसी मांग के भुगतान के लिए निर्धारित समय को बढ़ा सकता है लेकिन कोई भी सदस्य अथवा डिबेंचर धारक को अनुग्रह और पक्षपात के रूप में इस प्रकार से समय बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा ।
- (viii) यदि किसी मांग के संबंध में देय धनराशि का भुगतान नियत दिवस को अथवा उससे पूर्व नहीं किया जाता तो ब्याज देय हो धारक अथवा प्रतिभूति का आबंटी, जिसके संबंध में मांग भेजी गई है उसके भुगतान के लिए नियत दिवस से वास्तविक भुगतान की तारीख तक उस पर 10% अथवा कम दर से ब्याज का भुगतान करेगा, जिसे निदेशक मंडल निर्धारित करेंगे लेकिन निदेशक मंडल ऐसे ब्याज का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान माफ कर सकते हैं।

जब मांग पर

- (ix) कोई धनराशि, प्रतिभूतियों के जारी होने की शर्तों के द्वारा आबंटन पर अथवा नियत तारीख को देय हो जाती है, चाहे वह शेयर के सामान्य मूल्य के संबंध मे अथवा प्रीमियम के संबंध में इन अनुच्छेदों के प्रयोजन के लिए विधिवत भाग मानी जाएगी और उस तारीख को देय होगी, जब जारी होने की शर्तों पर वह देय बन जाएगी और इन अनुच्छेदों के ब्याज और व्यय का भुगतान करने जैसे सभी संगत प्रावधानों के अनुसार भुगतान न होने के मामले में जब्ती अथवा अन्यथा कार्रवाई लागू होगी, ऐसी धनराशि विधिवत मांग भेजने पर और अधिसूचित करने पर लागू होगी।
- किसी सदस्य अथवा डिबेंचर धारक अथवा उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ, उसके शेयरों अथवा डिबेंचर के (x) संबंध में कंपनी को देय राशि के लिए दावा की गई किसी राशि की वसूली के लिए कंपनी द्वारा किए गए किसी ट्रायल अथवा किसी सुनवाई अथवा बाद के लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि सदस्य अथवा डिबेंचर धारक का नाम, जिनके संबंध में शेयर अथवा डिबेंचर, धनराशि की वसुली की मांग की गई है, वह ऐसे शेयरों और डिबेंचर पर देय बन जाती है, जिनके संबंध में ऐसी धनराशि की वसूली की मांग की गई है, कि मांग का संकल्प कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत दर्ज कर लिया गया है और यह कि ऐसी मांग का नोटिस सदस्यों, डिबेंचर धारकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को इन अनुच्छेदों के अनुसरण में दिया गया था और यह कि निदेशकों की नियुक्ति को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होगी जिसने मांग भेजी है, और न ही बोर्ड में निदेशकों का एक कोरम था, जहां पर कि मांग भेजी गई थी, विधिवत आयोजित की गई थी, अथवा गठित की गई थी और न ही कोई अन्य मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, लेकिन उपरोक्त मामलों में सबत ऋण के लिए निर्णायक थे।
- कंपनी द्वारा किसी धनराशि के एक अंश के लिए पावती जो समय-समय पर सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों (xi) से उसके शेयरों अथवा डिबेंचर के लिए या तो मूलधन अथवा ब्याज के द्वारा और न ही ऐसी राशि के भुगतान के संबंध में कंपनी द्वारा अनुग्रह किया गया था, उसे रोका जाएगा। कंपनी को इसमें प्रदत्त ऐसे शेयरों अथवा डिबेंचर को जब्त करने के लिए बाध्य करने के लिए आगे कार्यवाई रोकनी होगी।
 - (क) निदेशक, यदि उपयुक्त समझे तो अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, इसके लिए इच्छुक किसी सदस्य से अग्रिम में मांगों का भुगतान पूरी अथवा शेयरों की आंशिक राशि, वास्तविक राशि से अधिक और अग्रिम में इस प्रकार भुगतान की गई राशि अथवा समय–समय पर और उसके बाद किसी समय मांग की राशि और ऐसे शेयरों के संबंध में देय. जिनके लिए अग्रिम लिया गया था, के लिए और भुगतान करने के लिए सहमत हैं, तो बोर्ड ऐसी दर पर ब्याज के साथ भुगतान स्वीकृति के बिना कर सकता है, (सामान्य बैठक में कंपनी की मंजूरी के बिना 12% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं) यदि सदस्य अग्रिम में धनराशि का भुगतान करना चाहे और बोर्ड सहमत हो। बोर्ड किसी भी समय अग्रिम की राशि की अदायगी के लिए सहमत हो सकता है अथवा किसी भी समय, सदस्य को

money so paid in advance, or upon so much thereof, from time to time, and at any time thereafter as exceeds the amount of the calls then made upon and due in respect of the shares on account of which such advances are made, the Board may pay or allow interest, at such rate (not exceeding without the sanction of the company in General Meeting 12% p.a.) as the member paying the sum in advance and the Board agree upon. The Board may agree to repay at any time any amount so advanced or may at any time repay the same upon giving to the Member three months notice in writing. Provided the moneys paid in advance of calls shall not confer a right to dividend or to participate in profits.

(b) No Member paying any such sum in advance shall be entitled to participate in profits or dividend or to voting rights in respect of the money so paid by him until the same would but for such payment become presently payable

28. LIEN

- (i) The Company shall have a first and paramount lien upon all the Shares (other than fully paid-up shares)/debentures/securities registered in the name of each member (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof, for all moneys (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of such shares/debentures/securities and no equitable interest in any shares shall be created except upon the footing and condition that this Article will have full effect. And such lien shall extend only to moneys called or payable at a fixed time in respect such shares. Unless otherwise agreed the registration of a transfer of shares/debentures/securities shall operate as a waiver of the Company's lien if any on such shares/debentures/securities. The Directors may at any time declare any shares/debentures/securities wholly or in part to be exempt from the provisions of this clause.
- (ii) The net proceeds of any such sale shall be received by the Company and applied in or towards payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares/debentures/securities at the date of the sale.

29. FORFEITURE OF SHARES/DEBENTURES

- (i) If any Member or Debenture holder or security holder fails to pay any call or installment of a call on or before the day appointed for the payment of the same or any such extension thereof as aforesaid, the Board may at any time thereafter, during such time as the call or installment remains unpaid, give notice to him requiring him to pay the same together with any interest that may have accrued and all expenses that may have been incurred by the Company by reason of such nonpayment.
- (ii) The notice shall name a day (not being less than fourteen days from the date of service of notice) and a place or places on and at which such call or installment and such interest thereon at such rate not exceeding 20 percent per annum as the Directors shall determine from the day on which such call or installment ought to have been paid and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that, in the event of the non-payment on or before the date and at the place appointed, the shares or debentures or Securities in respect of which the call was made or installment is payable will be liable to be forfeited.
- (iii) If any of the requirements as stated in the notice as aforesaid are not be complied with, every or any share or debenture or Securities in respect of which such notice has been given, may at any time thereafter before payment of all calls or installments, interest and expenses due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.

Forfeiture of Shares/ Debentures तीन माह का लिखित नोटिस देकर उसकी अदायगी कर सकता है। परंतु मांग के लिए इस प्रकार से भुगतान की गई अग्रिम राशि से लाभांश का अधिकार अथवा लाभ में भागीदारी का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

(ख) अग्रिम में भुगतान करने वाले किसी सदस्य की, लाभ अथवा लाभांश में भागीदारी के लिए अथवा ऐसे भुगतान के वर्तमान में देय बनने तक उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के लिए मताधिकार की पात्रता होगी।

28. पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन)

पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन)

- (i) कंपनी के पास प्रत्येक सदस्य (अन्य के साथ पूर्ण अथवा संयुक्त) के नाम से पंजीकृत सभी शेयरों का (पूर्ण चुकता शेयरों के अलावा)/डिबेंचर/प्रतिभूतियों पर तथा मांगी गई अथवा ऐसे शेयरों/डिबेंचर/प्रतिभूतियों के संबंध में निर्धारित समय पर देय सभी धनराशि (चाहे वर्तमान में देय हैं या नहीं) पर प्रथम और सर्वोपरि प्रहणाधिकार होगा और किसी भी शेयरों पर कोई उचित ब्याज सृजित नहीं किया जाएगा, केवल इस आधार पर और इस शर्त के अलावा कि इस अनुच्छेद का पूर्ण प्रभाव होगा और ऐसा ग्रहणाधिकार ऐसे शेयरों के संबंध में निर्धारित समय पर मांगी शेयरों पर कोई उचित ब्याज सृजित नहीं किया जाएगा, केवल इस आधार पर और इस शर्त के अलावा कि इस अनुच्छेद का पूर्ण प्रभाव होगा और ऐसा ग्रहणाधिकार ऐसे शेयरों के संबंध में निर्धारित समय पर मांगी गई अथवा देय धनराशियों पर ही प्रदान किया जा सकेगा। जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, शेयरों/डिबेंचरों/प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण कंपनी के ऐसे शेयरों/डिबेंचरों/प्रतिभूतियों के ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, की माफी के रूप में होगा। निदेशक किसी भी समय इस खंड के प्रावधानों से किसी भी शेयर/डिबेंचरों/प्रतिभूतियों को अंतरण का पंजीकरण कंपनी को ऐसे शेयरों/डिबेंचरों/प्रतिभूतियों के ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, की माफी के रूप में होगा। निदेशक किसी भी समय इस खंड के प्रावधानों से किसी भी शेयर/डिबेंचरं/प्रतिभूतियों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से छूट की घोषणा कर सकता है।
- (ii) ऐसी किसी बिक्री की निबल आय कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी और ऐसी आंशिक राशि के भुगतान के लिए प्रयुक्त होगी, जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार है, जैसा कि वर्तमान में देय है, बकाया है (बशर्ते कि वर्तमान में अदेय राशि के लिए समान ग्रहणधिकार, जो शेयरों पर बिक्री से पूर्व देय है, मौजूद हो), वह बिक्री के समय शेयरों/डिबेंचरों/प्रतिभूतियों के लिए पात्र व्यक्ति को भुगतान की जाएगी।

29. शेयरों/डिबेंचरों को जब्ती

- (i) यदि कोई सदस्य अथवा डिबेंचर धारक अथवा प्रतिभूति धारक किसी मांग अथवा मांग की किस्त का उसके भुगतान के लिए अथवा उसके लिए कोई बढ़ाई गई अवधि के लिए नियत तारीख को अथवा उससे पूर्व भुगतान करने में किल होता है तो बोर्ड उसके बाद किसी भी समय, जब तक मांग अथवा किस्त चुकाई न जाएगी, उसे उस पर ब्याज सहित और सभी व्ययों सहित, जो कंपनी को ऐसी अदायगी न किए जाने पर व्यय करने पड़े हों, भुगतान करने का नोटिस दे सकता है ।
- (ii) नोटिस में उस दिवस का नाम (जो नोटिस देने की तारीख से चौदह दिन से कम नहीं हो) और ऐसे स्थान अथवा स्थानों का नाम होगा, जहां पर कि ऐसी मांग अथवा किस्त और उनका ब्याज, जो अधिकतम 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर होगा, जिसका निर्धारण निदेशक उस दिन से करेगा, जब वह मांग अथवा किस्त भुगतान की जानी चाहिए थी और साथ ही उन पर हुए व्यय का भी भुगतान करना होगा। नोटिस में यह भी कहा जाएगा कि निर्धारित तारीख को अथवा उससे पूर्व और नियत स्थान पर भुगतान न करने की स्थिति में, जिन शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा प्रतिभूतियों के संबंध में मांग की गई थी अथवा किस्त का भुगतान किया जाना था, वे जब्त किए जा सकते हैं।
- (iii) यदि उपरोक्तानुसार नोटिस में यथा उल्लिखित किसी भी अपेक्षा की पूर्ति न की गई तो प्रत्येक अथवा कोई भी शेयर अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियां, जिनके संबंध में नोटिस दिया गया है, किसी भी समय, सभी मांगों अथवा किस्तों ब्याज और उनके संबंध में देय व्यय का भुगतान करने से पूर्व, इस संबंध में बोर्ड के एक संकल्प द्वारा जब्त किए जा सकेंगे। इस प्रकार की जब्ती में, घोषित सभी लाभांश अथवा ब्याज अथवा जब्त शेयर या डिबेंचर या प्रतिभूतियों, जिनके लिए जब्ती से पूर्व वास्तविक भुगतान न किया गया है, के संबंध में देय कोई अन्य धनराशि शामिल है।

शेयरों/डिबेंचरों

को जब्ती

Such forfeiture shall include all dividends declared or interest or any other moneys payable in respect of the forfeited share or debenture or securities and not actually paid before the forfeiture.

- (iv) When any share or debenture or Securities have been so forfeited, notice of the forfeiture shall be given to the Member or Debenture holder or security holder in whose name it stood immediately prior to the forfeiture, and an entry of the forfeiture, with the date thereof, shall forthwith be made in the Register of Members/ Debenture holders/Security holders but no forfeiture shall in any manner be invalidated by any-omission or neglect to give such notice or to make any such entry as aforesaid.
- (v) Any share or debenture or Securities so forfeited shall be deemed to be the property of the Company, and may be sold, re-allotted, or otherwise disposed of, either to the original holder thereof or to any other person, upon such terms & conditions and in such manner as the Board shall think fit in compliance of the provisions of Section 62 of the Act and/or such Rules or Regulations or requirements of any Stock Exchange or the rules made under Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, as may be applicable.
- (vi) Any Member whose shares or Debenture holder whose debentures or security holder whose securities have been forfeited shall notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Company, on demand all calls, installments, interest and expenses owing upon or in respect of such shares or debentures or securities at the time of the forfeiture, together with interest thereon from the time of the forfeiture until payment, at such rate not exceeding 20 percent per annum as the Board may determine and the Board may enforce the payment thereof, as it may think fit.
- (vii) The forfeiture of a share or debenture or security shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Company, in respect of the share or debenture or securities and all other rights incidental to the share or debenture or securities, except only such of these rights as by these Articles are expressly saved.
- (viii) A declaration in writing that the declarant is a Director or Secretary of the Company and that a share or debenture or securities in the Company has been duly forfeited in accordance with these Articles on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts stated therein as against all persons claiming to be entitled to the shares or debentures or securities.
- (ix) Upon any sale after forfeiture or for enforcing a lien in purported exercise of the powers herein before given, the Board may appoint some person to exercise an instrument of transfer of the shares or debentures or securities sold and cause the purchaser's name to be entered in the Register in respect of the shares or debentures or securities sold and the purchaser shall not be bound to see to the regularity of the proceedings, or to the application of the purchase money, and after his name has been entered in the Register in respect of such shares or debentures or securities, the validity of the sale shall not be impeached by any person and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.
- (x) Upon any sale, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding Articles, the certificate or certificates originally issued in respect of the relative shares or debentures or securities shall (unless the same shall on demand by the Company have been previously surrendered to it by the defaulting Member or Debenture holder or security holders) stand cancelled and become null and void and of no effect, and the Directors shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares or debentures or securities to the person or persons entitled thereto.

- (iv) जब कोई शेयर अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियां इस प्रकार जब्त की गई हो, तो ऐसे सदस्यों, डिबेंचरधारकों/ प्रतिभूतिधारकों, जिनके नाम से ये जब्त किए जाने से पूर्व थी, उन्हें जब्ती के लिए नोटिस दिया जाएगा और जब्ती की प्रविष्टि उसकी तारीख सहित सदस्यों/डिबेंचर धारकों/प्रतिभूतिधारकों की पंजिका में तत्काल की जाएगी लेकिन कोई भी जब्ती किसी भी तरीके से ऐसा नोटिस देने अथवा प्रविष्टि करने में किसी चूक अथवा लापरवाही के कारण अवैध नहीं की जाएगी।
- (v) इस प्रकार से जब्त कोई शेयर अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियां, कंपनी की संपत्ति मानी जाएगी और इन्हें उसके मूल धारकों को अथवा किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों अथवा सुरक्षा अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 के तहत बने नियमों अथवा स्टॉक एक्सचेंज के नियमों अथवा विनियमों अथवा अपेक्षाओं के अनुपालन में ऐसी निबंधन व शर्तों पर जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझे, बिक्री पुन: आबंटन अथवा अन्य का निपटान कर सकता है ।
- (vi) कोई सदस्य, जिसके शेयरों अथवा डिबेंचरधारकों, जिसको डिबेंचर अथवा प्रतिभूति धारक, जिसकी प्रतिभूति जब्त की जा चुकी है, जब्ती के बावजूद, भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे और कंपनी को तुरंत सभी मांगों, किस्तों, ब्याज और जब्ती के समय ऐसे शेयरों, अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियों के संबंध में या उनके कारण ब्याज का भुगतान करेंगे, तथा साथ ही उन पर जब्ती के समय से लेकर भुगतान करने तक, बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे और बोर्ड द्वारा उसके भुगतान के लिए प्रवर्तित किया जाएगा।
- (vii) किसी शेयर अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूति की जब्ती में, जब्ती के समय, शेयरों अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी से सभी दावों और मांगों की परिसम्पति शामिल होगी और शेयर अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूति के संबंध में केवल इन अनुच्छदों के तहत स्पष्ट रूप से सुरक्षित अधिकारों के अलावा सभी अन्य अधिकारों का परिसमापन शामिल है ।
- (viii) लिखित में एक घोषणा की जाएगी कि कंपनी का निदेशक अथवा सचिव एक घोषणाकर्ता है और यह कि कंपनी में शेयर, डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियां इन अनुच्छेदों के अनुसार घोषणा में उल्लिखित तारीख को जब्त हो गए है, जिसमें शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा प्रतिभूतियों के लिए पात्र होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में उल्लिखित तथ्यों के साक्ष्य सम्मिलित होंगे।
- (ix) जब्ती के बाद किसी बिक्री अथवा शक्तियों के कथित प्रत्यायोजन में धारणाधिकार के प्रतर्वन के लिए बोर्ड बिक्री किए गए शेयरों अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियों के अन्तरण के दस्तावेजों के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और बिक्री किए गए शेयरों अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियों के संबंध में पंजिका में क्रेता का नाम प्रविष्ट कराएगा और क्रेता नियमित कार्यवाई अथवा खरीद राशि के उपयोग की जानकारी के लिए बाध्य नहीं होगा और उसका नाम पंजिका में प्रविष्ट हो जाने के बाद बिक्री की वैधता पर किसी व्यक्ति द्वारा संदेह नहीं किया जाएगा और बिक्री से प्रभावित किसी व्यक्ति की मदद केवल और विशेष रूप से कंपनी द्वारा क्षति की अवस्था में की जाएगी ।
- (x) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत कोई बिक्री, पुन: आबंटन अथवा अन्य निपटान होने पर संगत शेयरों अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियों के संबंध में मूल रूप से जारी प्रमाणपत्र अथवा प्रमाणपत्रों (जब तक कि उन्हें कंपनी की मांग पर चूककर्ता सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों अथवा प्रतिभूति धारकों द्वारा पहले से अभ्यार्थित न कर दिए गए हों) को निरस्त माना जाएगा और अमान्य तथा अप्रभावी हो जाएंगे तथा निदेशकों को कथित शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा प्रतिभूतियों के संबंध में पात्र व्यक्तियों को नया प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया जाएगा।

(xi) The Board may at any time before any share or debentures or securities so forfeited shall have been sold, re-allotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it thinks fit.

30. EMPLOYEES STOCK OPTIONS

Subject to the provisions of Section 62 of the Act and the Applicable Law, the Company may issue options to any Directors, not being Independent/Government Nominee Directors, officers, or employees of the Company, its subsidiaries which would give such Directors, officers or employees, the benefit or right to purchase or subscribe at a future date, the securities offered by the Company at a predetermined price, in terms of schemes of employee stock options or employees Share purchase or both: Provided that it will be lawful for such scheme to require an employee, officer, or Director, upon leaving the Company, to transfer securities acquired in pursuance of such an option, to a trust or other body established for the benefit of employees.

31. POWER TO ISSUE SWEAT EQUITY SHARES

Subject to and in compliance with Section 54 and other Applicable provisions/ Law, the Company may issue sweat equity shares to its employees or Director(s) at par or at discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions, by whatever name called.

32. DEMATERIALISATION OF SECURITIES

- (a) Notwithstanding anything contained in these Articles, the Board shall be entitled to dematerialize or rematerialize its Securities (both present and future) held by it with the Depository and to offer its Securities for subscription in a dematerialized form pursuant to the Depositories Act, 1996 and the Rules framed there under, if any.
- (b) Every person subscribing to securities offered by the Company shall have the option to receive the security certificates or to hold the Securities with a depository. Such a person who is the beneficial owner of Securities can at any time opt out of a Depository, if permitted by law, in respect of any security and the Company shall, in the manner and within the time prescribed provided by the Depositories Act, 1996 issue to the beneficial owner the required Certificates of Securities.

If a person opts to hold his Securities with a depository, then notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in these Articles, the Company shall intimate such Depository the details of allotment of the Securities and on receipt of the information, the Depository shall enter in its record the name of the allottee as the beneficial owner of the Securities.

- (c) All Securities held by a Depository shall be dematerialized and shall be in fungible form. Nothing contained in Sections 89 of the Act shall apply to a Depository in respect of securities held by it on behalf of the beneficial owners.
- (d) (i) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in these Articles, a Depository shall be deemed to be the registered owner for the purposes of effecting transfer of ownership of security on behalf of the beneficial owner.
 - (ii) Save as otherwise provided in (i) above, the Depository as the registered owner of the Securities shall not have any voting rights or any other rights in respect of the Securities held by it.
 - (iii) Every person holding Securities of the company and whose name is entered as the beneficial owner in the records of the Depository shall be deemed to be a member/debenture holder, as the case may be, of the Company.

Employees Stock Option

Sweat Equity shares

Dematerialization of Securities

Options to Investors

Securities in Depositories to be in fungible form Rights of

Rights of Depositories & Beneficial Owners (xi) बोर्ड इस प्रकार से जब्त किसी शेयर अथवा डिबेंचर अथवा प्रतिभूतियों के जब्त होने से पूर्व ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे उसका बिक्री, पुन: आबंटन अथवा अन्यथा निपटान कर सकता है अथवा उसकी जब्ती को निष्प्रभावी बना सकता है।

30 कर्मचारी स्टॉक के विकल्प

अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों और लागू कानून के अध्यधीन कंपनी किसी निदेशक को, स्वतंत्र/सरकारी नामित निदेशकों, अधिकारियों अथवा कंपनी उसकी सहायक कंपनी के कर्मचारियों को छोड़कर, विकल्प जारी कर सकती है, जिससे ऐसे निदेशकों. अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को किसी भावी तारीख को कंपनी द्वारा पर्व निर्धारित कीमत पर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना अथवा कर्मचारी शेयर खरीद अथवा दोनों के संदर्भ में खरीद अथवा अभिदत्त करने के लिए लाभ अथवा अधिकार प्रदत्त होंगे। ऐसी योजना के लिए कर्मचारी, अधिकारी, अथवा निदेशक के लिए ऐसे विकल्प के अनुसरण में किसी न्यास अथवा कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित किसी निकाय को, अर्जित प्रतिभूतियां अंतरित करना न्यायोचित होगा ।

31. स्वीट इक्विटी शेयर जारी करने की शक्तियाँ

शेयर जारी करने धारा 54 और अन्य लागू प्रावधानों/कानूनों के अध्यधीन और उनके अनुसरण में कंपनी अपने कर्मचारियों अथवा निदेशकों को, समान अथवा छट पर, नकदी के अलावा अन्य पर विचार के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार अथवा मुल्यवर्धन, चाहे जो नाम हो, के रूप में जानकारी प्रदान करके अथवा उपलब्ध कराने के लिए स्वीट इक्विटी शेयर जारी कर सकती है।

- 32. प्रतिभूतियों को डिमैट रूप में करना
 - (क) इन अनुच्छेदों में कुछ नहीं होने हुए भी यह कोई न्यासी के पास इसके द्वारा आधारित इसकी प्रतिभूतियों (वर्तमान और भावी दोनों) को डिमेट्रीकरण अथवा पुन: मेट्रीकरण और डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार डिमेट्रीकृत रूप में अंशदान के लिए अपनी प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
 - निवेशकों को इस कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों के लिए अंशदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा (ख) कि वह प्रतिभूति प्रमाणपत्रें को प्राप्त अथवा किसी डिपोजिटरी के पास प्रतिभूतियों को रखे। यदि कानून द्वारा अनमति दी गई हो तो प्रतिभतियों के हितकारी स्वामी वाला ऐसा व्यक्ति किसी भी समय किसी प्रतिभति के लिए किसी डिपोजिट्री का चयन करे और कंपनी डिपोजिट्रीज अधिनियम, 1996 के द्वारा दी गई व्यवस्था के ढंग से और निर्धारित समय के भीतर लाभदायक स्वामी को प्रतिभूतियों के अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायधारी के पास अपनी प्रतिभूतियों को रखने के विकल्प का चयन करता है, तो इस अधिनियम अथवा इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिकुल न होते हुए भी कंपनी ऐसे न्यासधारी को प्रतिभूतियों के आबंटन के विवरणों को सूचित करेगी और सूचना के प्राप्त होने पर न्यासधारी इन प्रतिभूतियों के लाभदायक स्वामी के रूप में आबंटी के नाम को अपने रिकार्ड में प्रविष्ट करेगा।

किसी डिपोजिटी (न्यासधारी) द्वारा रखी गई सभी प्रतिभूतियों को डिमेटीकृत किया जाएगा और ये प्रतिमोच्य रूप डिपोजिटीयों के (ग) में होंगी। इस अधिनियम की धारा 89 में कुछ भी हितकारी स्वामियों की और से इसके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के लिए किसी डिपोजिट्री पर लागू नहीं होगा।

- इस अधिनियम अथवा इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिकूल न होते हुए भी किसी डिपोजिट्री को हितकारी स्वामी (ਬ) (i) की ओर से प्रतिभुत के स्वामित्व को हस्तांतरण करने के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत स्वामी माना जाएगा।
 - उपर्युक्त (i) अन्यथा यथाउपबंधित के आलावा प्रतिभूतियों के पंजीकृत स्वामी के रूप में डिपोजिटी इसके (ii) द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के लिए कोई वोट देने अथवा कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

(iii) कंपनी की प्रतिभूतियों को रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और जिसका नाम जिपोजिट्री के रिकार्डों में हितकारी स्वामी के रूप में प्रविष्ट हो, को कंपनी सदस्य/ऋणपत्र धारी माना जाएगा, जैसा भी मामला हो। प्रतिभूतियों का हितकारी स्वामी को सभी अधिकारों और लोगों का हकदार होगा और इसकी प्रतिभूतियों जिनको किसी डिपोजिटी द्वारा रखा जाता है, की देयताओं के अधीन होंगी।

कर्मचारी स्टॉक के विकल्प

प्रतिभूतियों को डिमैट रूप में

स्वीट इक्विटी

की शक्तियाँ

करना

विकल्प

अधिकार और हितकारी स्वामी

डिपोजिटीयों के अधिकार और हितकारी स्वामी The beneficial owner of Securities shall be entitled to all the rights and benefits and be subject to all the liabilities in respect of his securities which are held by a Depository.

- (e) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in these Articles where Securities are held in a Depository, the records of the beneficial ownership may be served by such Depository on the Company by means of Electronic Mode.
- (f) Nothing contained in the Act or in these Articles, shall apply to a transfer or transmission of Securities where the company has not issued any certificates and where such Securities are being held in an electronic and fungible form in a Depository. In such cases the provisions of the Depositories Act, 1996 shall apply.
- (g) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in these Articles, after any issue where the Securities are dealt with by a Depository, the Company shall intimate the details thereof to the depository immediately on allotment of such Securities.
- (h) Nothing contained in the Act or in these Articles regarding the necessity of having distinctive numbers for Securities issued by the Company shall apply to Securities held by a Depository.
- Notwithstanding anything contained in these Articles the Company shall have (i) the right to issue Securities in a public offer in dematerialized form as required by Applicable Law and subject to the provisions of Applicable Law, trading in the Securities of the Company post-listing shall be in the demat segment of the relevant Stock Exchanges, in accordance with the directions of SEBI, the Stock Exchanges and the terms of the listing agreements to be entered into with the relevant Stock Exchanges.
- (j) The hundred percent of shareholding of promoter(s) and promoter group shall be in dematerialized form and the same shall be maintained on a continuous basis in the manner as specified by the Applicable Law.

33. UNDERWRITITNG AND BROKERAGE

- Subject to provision of Section 40 (6) of the Act and the Rules made there under, (i) Underwriting and subject to the applicable SEBI guidelines and subject to the terms of issue of the shares or debentures or any securities, as defined in the Securities Contract (Regulations) Act, 1956 the Company may at any time pay a commission out of proceeds of the issue or profit or both to any person in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely on conditionally) for any shares or debentures or securities of the Company, or underwriting or procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for shares, debentures, securities of the Company but so that the commission shall not exceed in the case of shares, five per cent of the price at which the shares are issued, and in the case of debentures, two and a half per cent of the price at which the debentures are issued or at such rates as may be fixed by the Board within the overall limit prescribed under the Act or Securities and Exchange Board of India Act, 1992. Such commission may be satisfied by payment of cash or allotment of fully or partly paid shares/ debentures/securities or partly in one way and partly in the other.
- The Company may, subject to Applicable Law pay a reasonable and lawful sum (ii) **Brokerage** of brokerage.

34. BORROWING POWERS

The Board may, from time to time, at its discretion subject to the provisions of Borrowing **Powers** these Articles, Section 73 to 76, 179 and 180 of the Act or other Applicable Law(s),

Service of documents

Transfer/ **Transmission of** documents held in Demat form

Allotment of securities

Commission

- (ड.) इस अधिनियम अथवा इन अनुच्छेदों में कुछ नहीं प्रतिकूल होते हुए भी जहां पर प्रतिभूतियों को किसी डिपोजिट्री दस्तावेजों की में रख जाता है, हितकारी स्वामित्व के रिकार्डें कंपनी पर ऐसी डिपोजिट्री द्वारा इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से रखे जाते हैं।
- (च) इस अधिनियम अथवा इन अनुच्छेदों में कुछ नहीं प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा प्रेषण पर लागू होगा जहां कंपनी डिमैट रूप में रखे ने कोई प्रमाण–पत्र जारी नहीं किए हैं और जहां पर प्रतिभूतियों को किसी डिपोजिट्री में इलेक्ट्रानिक और प्रतिमोच्य रूप में रखा जा रहा है। ऐसे मामलों में डिपोजिट्री अधिनियम, 1996 के उपलब्ध लागू होंगे।
- (छ) इस अधिनियम अथवा उन अनुच्छेदों में कुछ नहीं प्रतिकूल होते हुए भी, किसी इश्यू के पश्चात् जहां प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों का किसी डिपोजिट्री द्वारा डील किया जाता है, कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन पर डिपोजिट्री को इसके विवरणों ^{आबंटन} को तत्काल सूचित करेगी।
- (ज) कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के लिए विशिष्ट संख्याएं रखने की आवश्यकता के संबंध में इस अधिनियम अथवा इन अनुच्छेदों में कुछ भी नहीं किसी डिपोजिट्री द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों पर लागू होगा।
- (झ) इन अनुच्छेदों में कुछ नहीं होते हुए भी कंपनी को लागू कानून के द्वारा यथापेक्षित और लागू कानून के उपबंधों के अधीन सार्वजनिक अक्रर में प्रतिभूतियों को जारी करने का अधिकार होगा, कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होने क पश्चात उनका व्यापार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निदेशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले सूचीबद्ध करने के करारों के अनुसार एक्सचेंजों के डिमैट खंड में होगा।
- (त्र) प्रवर्तक (प्रवर्तकों) और प्रवर्तक, समूह की सौ प्रतिशत अंशधारिता डिमैट रूप में होगी और उसको इस तरीख से सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा। जैसाकि लागू कानून द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

33. बीमा करना (अंडरराइटिंग) और दलाली

- (i) कंपनी इस अधिनियम की धारा 40 (6) के उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन और लागू सेबी दिशा-निर्देशों के अधीन तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 में यथा परिभाषित अंशों अथवा ऋण-पत्रें अथवा किसी प्रतिभूति के इश्यू की शर्तों के अधीन किसी भी समय किसी व्यक्ति को इश्यू अथवा लाभ अथवा दोनों की आयों में से कमीशन कंपनी के किसी अंश अथवा ऋण-पत्र अथवा प्रतिभूति के लिए अंशदान (चाहे वह पूर्णतया शर्त के रूप में हो) करने के लिए उसके अंशदान करने अथवा सहमत होने अथवा कंपनी के अंशों, ऋण-पत्रें प्रतिभूतियों के लिए अंडरराइटिंग करने अथवा अंशदानों (चाहे वह पूर्णतया शर्त के रूप में हो) को खरीदने अथवा उसके लिए सहमत होने की बात को ध्यान में रखते हुए भुगतान कर सकती है, परंतु यह बात ध्यान में रखनी होगी कि कमीशन अंशों के मामले में उस मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिस पर वे अंश जारी किए गए हों, और ऋण-पत्रें के मामलें में यह ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिस पर ये ऋण-पत्रे जारी किए गए हों, और ऋण-पत्रें के मामलें में यह ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिस पर ये ऋण-पत्रे जारी किए गए हों अथवा ऐसी दरें जो बोर्ड दूवारा इस अधिनियम अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर नियत की जाएं। ऐसी कमीशन को नगद भुगतान करक अथवा पूर्णत: अथवा अंशतरू प्रदत्त अंशों/ऋण-पत्रों/प्रतिभूतियों अथवा अंशत: एक तरीके से अथवा अंशतरू किसी दूसरे तरीके से आबंटन करके पूरा किया जा सकता है।
- (ii) कंपनी लागू कानून के अधीन दलाली की उचित और वैध राशि का भुगतान कर सकती है।

34. ऋण लेने की शक्तियाँ

यह बोर्ड समय-समय पर अपने विवेक पर इस अधिनियम के इन अनुच्छेदों, इसकी धारा 73 से 76, 179 और 180 अथवा अन्य लागू कानून (कानूनों) के उपबंधों के अधीन निदेशकों अथवा कहीं और से धन की उगाही अथवा उधार ले सकते हैं और अथवा बोर्ड के एक संकल्प द्वारा कंपनी के परियोजना के लिए किसी धन राशि अथवा धन राशियों

अंडर राइटिंग कमीशन

दलाली

ऋण लेने की शक्तियाँ raise or borrow money, either from the Directors or from elsewhere and secure the payment of any sum or sums of money for the purpose of the Company; by a resolution of the Board, or where a power to delegate the same is available, by a decision/resolution of such delegatee, provided that the Board shall not without the requisite sanction of the Company in General Meeting borrow any sum of money which together with money borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) exceed the aggregate for the time being of the paid up capital of the Company and its free reserves.

The Board may raise or secure the repayment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as it thinks fit and in particular, by the issue of bonds, or other Securities, or any mortgage, or other security on the undertaking of the whole or any part of the property of the Company (both present and future including its uncalled capital for the time being).

- 34.A* The Board of Directors of the company (the 'Board') or any duly constituted Committee of the Board or such other authority as may be approved by the Board have powers to consolidate or re-issue securities including debentures, bonds or any other debt instruments issued and/or to be issued from time to time, upon such terms and conditions and in such manner as the 'Board' or any duly constituted Committee of the Board or such other authority as may be approved by the Board shall consider fit/ beneficial for the Company.
 - 35. Any debentures, debenture stock, bonds or other Securities may be issued on such terms and conditions as the Board may think fit. Provided that debenture with a right to allotment or conversion into shares shall be issued in conformity with the provisions of Section 62 of the Act. Debentures, debenture stock, bonds and other securities may be made assignable free from any equities from the Company and the person to whom it may be issued. Debentures, debenture stock, bonds or other securities with a right of conversion into or allotment of shares shall be issued only with such sanctions as may be applicable.

36. REGISTER OF CHARGES

The company shall keep at its registered office a Register of Charges in the manner prescribed under the Act or Rules made thereunder and enter therein particulars of all charges registered with the Registrar on any property acquired subject to a charge as well as particulars of any modification of a charge and satisfaction of charge.

The above Register and the instrument of charges kept by the company shall be open for inspection-

- (a) by any member or creditor of the company without fees.
- (b) by any other person on payment of a fee as may be decided.

37. GENERAL MEETING

Subject to the provisions of the Act or Rules made thereunder or exemption(s) granted thereunder:

 (a) Every Annual General Meeting shall be called during business hours, that is, between 9 a.m. and 6 p.m. on any day that is not a national holiday and shall be held either at the registered office of the Company or at such other place as the Central Government may approve in this behalf.

Consolidation & Re-issue of Debt Securities

Terms of Issue of Securities

Register of Charges

^{*} Inserted clause 34A with the approval of the shareholders of the Company through 'Postal Ballot Process' completed on 20th May, 2018.

का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं अथवा जहां उसकी प्रत्यायोजित करने की शद्रि उपलब्ध हो, ऐसे प्रत्यायुक्ती के निणय/ संकल्प के द्वारा यह शक्ति उपलब्धों बशतें कि यह बोर्ड साधारण बैठक में कंपनी की अपेक्षित स्वीकृति के बीना किसी धन राशि को उधार नहीं लेगा जो इस समय कंपनी द्वारा लिए गए उधार धन राशि (व्यवसाय की समान्य अवधि में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त किए गए अस्थाई ऋणों के अतिरिक्त) की धन राशि कंपनी की प्रदत्त पूंजी और इसके स्वतंत्र रिजर्वो की कुल धन राशि से अधिक नहीं होगी।

यह बोर्ड ऐसे ढंग से और सभी तरह से ऐसी शर्तों पर ऐसी राशि अथवा राशियों के पुन: भुगतान करने के लिए बाँडों को जारी करके अथवा विशेषत: कंपनी की पूर्ण अथवा संपत्ति के किसी भाग की वचनबद्धता पर अन्य प्रतिभूतियों अथवा कोई बंधकपत्र अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा कोई बंधकपत्र अथवा अन्य प्रतिभूति से उगाही अथवा प्राप्त कर सकता है। (इस समय के लिए इसकी अप्रार्थित पूंजी सहित वर्तमान और भावी दोनों) जो वह ठीक समझे।

- 34.क*कंपनी का निदेशक मंडल (बोर्ड) अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा कोई उधार प्रतिभूतियों प्राधिकरण जिसे जारी किए गए डिबेंचर, बाँड या कोई अन्य उधार पत्र/या समय-समय पर जारी किए जाने वाले इन पुनः निर्गम दस्तावेजों को निबंधन एवं शर्तों पर और बोर्ड या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण को समेकित करने या पुनः जारी करने की शक्तियाँ दी गई हैं, जो इन पर पूर्ण/कंपनी के हित में विचार करेगी।
 - 35. कोई ऋण-पत्र, ऋण-पत्र स्टॉक, बाँड अथवा अन्य प्रतिभूतियां ऐसी शर्तों पर जारी किए जा सकते हैं जो बोर्ड ठीक समझे प्रतिभूतियों को बशर्ते कि आबंटन के अधिकार सहित ऋण-पत्र अथवा अंशों में बदलने वाले ऋण-पत्र इस अधिनियम की धारा 62 के उपबधों के अनुरूप जारी किए जाएंगे। ऋण-पत्रें, ऋण-पत्र स्टॉक, बाँड और अन्य प्रतिभूतियों को कंपनी से किसी इक्विटी और व्यक्ति जिसको यह जारी किए जाएं, से निर्धार्य मुक्त बनाया जाना चाहिए। ऋण-पत्र, ऋण-पत्र स्टॉक, बाँड अथवा अंशों में बदलने के अधिकार सहित अन्य प्रतिभूतियों को केवल ऐसी स्वीकृतियों को जारी किया जाएगा अथवा अंशों का आबंटन किया जाएगा जो लागू हों।
 - 36. प्रभारों का रजिस्टर

कंपनी इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग से अपने पंजीकृत कार्यालय में प्रभारों प्रभारों का का एक रजिस्टर रखेगी और जिसमें अधिगृहित किसी संपत्ति पर पंजीयक से पंजीकृत सभी प्रभारों के विवरणों के प्रविष्ट प्रभार के किसी आशोधन के विवरण हों और प्रभार का शोधन हों।

कंपनी द्वारा रखे गए उपर्युक्त रजिस्टर और प्रभारों का प्रपत्र/दस्तावेज निरीक्षण के लिए रखा जाएगा-

- (क) शुल्कों के बिना कंपनी के किसी सदस्य अथवा ऋणदाता।
- (ख) किसी शुल्क जैसा निर्णय लिया जाए, के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

37. साधारण बैठक

इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा इसके अंतर्गत मंजूर की गई छूट (छूटों) के अधीन: वार्षिक साधारण

बैठक

- (क) प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक किसी दिन जो एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं होगा, कार्यालय घंटों अर्थात् प्रात: 9 बजे और सांय 6 बजे के दौरान बुलाया जाएगा
- *
- 20 मई, 2018 को डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के साथ सम्मिलित धारा 34क डाला गया।

	of Applicable Law in this behalf.	
4.	The intent of these Articles is that in respect of seeking the consent of the Members or Members of a class or any Security holders, the Company shall, subject to Applicable Law, be entitled to seek their assent using such contemporaneous methods of communication as is permitted by Applicable Law. A written resolution including written consent obtained through Electronic Mode shall be deemed to be sanction provided by the member, member of a class or other Security holder by way of personal presence in a meeting.	
5.	The Board may call an EGM upon a requisition made in writing by any member or members holding in the aggregate not less than one-tenth of such of the paid-up Capital as at the date carries the right of voting in regard to the matter in respect of which the requisition has been made.	EGM
6.	Any meeting called as above by the requisitionists shall be called in the same manner, as nearly as possible, as that in which meetings are to be called by the Board.	
7.	Where the Company conducts General Meetings by way of e-voting, the Company shall follow the procedure laid down under the Act and Applicable Law.	E - Voting
8.	Where Member has been allowed the option of voting through Electronic Mode as per Applicable Law and who has exercised such option, such Member or Members generally, shall be allowed to speak at a Meeting, but shall not be allowed to vote at the meeting.	
9.	Where there is voting at General Meeting in addition to E-voting, the person chairing the General Meeting may require a poll to be conducted.	
10.	At least twenty one clear days notice in writing, specifying the place, date, day and hour of General Meetings, with a statement of the business to be transacted at the meeting shall be served in writing or through Electronic Mode, to every member or legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member, every Auditor(s) and Director of the Company.	Notice of General Meetings
	23	

- 3. Where permitted or required by Applicable Law, Board may, instead of calling a **Postal Ballot** Meeting of any members/ class of members/ Debenture holders, seek their assent by Postal ballot, including e-voting. Such Postal ballot will comply with the provisions of A
- 1. In case of any other meeting, all business shall be deemed special. 2. The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.

(iv) the appointment of Auditors by the Comptroller & Auditor General of India and fixing of their remuneration by the shareholders of the company.

meeting shall be deemed special, with the exception of business relating to: (i) the consideration of financial statements and the reports of the Board of Directors and auditors;

(ii) the declaration of any dividend;

(iii) the appointment of Directors in place of those retiring;

- extraordinary general meeting.
- (b) All general meetings other than annual general meeting shall be called as an Extraordinary
- (c) In the case of an Annual General Meeting, all businesses to be transacted at the

General Meeting

Business to be transacted at AGM

- (ख) वार्षिक साधारण बैठक को छोड़कर सभी साधारण बैठकों को एक असाधारण बैठक के रूप में कहा जाएगा।
- (ग) वार्षिक साधारण बैठक के मामलों में सभी बैठक में किए जाने वाले सभी कार्यों को निम्नलिखित से संबंधित कार्य को छोड़कर विशेष माना जाएगा:

असाधारण आम

वार्षिक साधारण

बैठक में किया

जाने वाला कार्य

बैठक

- (i) वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने।
- (ii) किसी लाभाशं की घोषणा।
- (iii) सेवा-निवृत होने वाले निदेशकों के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति।
- (iv) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और कंपनी के अंशधारकों
 द्वारा उनका पारिश्रमिक नियत करना।
- 1. किसी अन्य बैठक के मामले में सभी कार्यों के विशेष माना जाएगा।
- 2. यह बोर्ड जब कभी ठीक समझे, एक असाधारण आम बैठक बुलाए।
- 3. जहां लागू कानून द्वारा अनुमत्य अथवा अपेक्षित हो, बोर्ड किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग धारकों की एक बैठक बुलाने के डाकमत पत्र बजाय ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट द्वारा उनकी सहमति मांगे। ऐसा पोस्टल बैलेट (मत-पत्र) इस के लिए लागू कानून के उपबंधों का अनुपालन करेगा।
- 4. इन अनुच्छेदों की मंशा यह है कि सदस्यों अथवा सदस्यों के एक वर्ग अथवा किसी प्रतिभूति धारक की सहमति मांगने के लिए कंपनी लागू कानून की शर्त पर संप्रेषण की ऐसी समकालीन विधियों का उपयोग करते हुए उनकी सहमति मांगने की अधिकारी होगी जैसाकि लागू कानून द्वारा अनुमति दी गई हो। इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से प्राप्त लिखित सहमति सहित एक लिखित संकल्प को सदस्य, सदस्य के एक वर्ग अथवा किसी अन्य प्रतिभूति धारक द्वारा किसी बैठक में व्यक्तिगत उपस्थिति के जरिए प्रदान की हुई स्वीकृति माना जाएगा।
- 5. यह बोर्ड उस तारीख को ऐसी कम से कम प्रदत्त पूंजी के कुल 1/10वीं पूंजी के अंश रखने वाले किसी सदस्य अथवा असाधारण आम सदस्यों के द्वारा लिखित में की गई मांग पर एक असाधारण आम सभा की बैठक बुला सकता है। उसके पास इस मामले के संबंध में मत देने का अधिकार होता है जिसके लिए इस बैठक के बुलाने की मांग की गई हो।
- मांगकर्ताओं द्वारा उपर्युक्त बुलाई गई किसी बैठक को उसी तरीके से जितना निकट से निकट संभव हो, बुलाया जाएगा जिसमें बैठकों को बोर्ड द्वारा बुलाया जाएगा।
- जहां कंपनी ई-वोटिंग के जरिए साधारण बैठकों आयोजित करती है, कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित ई-वोटिंग क्रियाविधि और लागू कानून का अनुपालन करेगी।
- 8. जहां सदस्य को लागू कानून के अनुसार इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से मत देने के विकल्प की अनुमति दी गई हो और जिसने ऐसे सदस्य अथवा सदस्यों को सामान्यतया किसी बैठक में बोलने की अनुमति दी जाएगी, पंरतु, उस बैठक में मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जहां पर ई-वोटिंग के अतिरिक्त साधारण बैठक में मत दिए जाते हैं, साधारण बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को मतदान आयोजित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है।
- 10. बैठक में किए जाने वाले कार्य के विवरण सहित साधारण बैठकों का स्थान, तारीख, दिन और समय विनिर्दिष्ट करते साधारण बैठकों हुए प्रत्येक सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि अथवा किसी परिक्षीण/दिवालिए सदस्य के प्रतिनिधि कंपनी के प्रत्येक लेखा-परीक्षकों और निदेश को लिखित में अथवा इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से व्यय से व्यस 21 दिनों का पूरा नोटिस दिया जाएगा।

- 11. A General Meeting may be called at a shorter notice if consent is given in writing or any Electronic Mode by not less than 95% of the Members entitled to vote at such meeting.
- 12. Any accidental omission to give notice to or the non-receipt thereof by any member shall not invalidate any resolution passed at any such meeting.
- 13. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.
- 14. Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as **Quorum** provided in Section 103 of the Act.
- 15. If, at the expiration of half an hour from the time appointed for holding a meeting of the Company, a quorum is not present, the meeting, if convened by or upon the requisition of members shall stand cancelled, but in any other case the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or, if that day is a public holiday, until the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place, or to such other day and at such other time and place as the Board may determine and if at such adjourned meeting a quorum is not present at the expiration of half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called.
- 16. No business shall be conducted at any General Meeting except the election of a Chairman, while the chair is vacant. Get
- 17. The Chairman, if any, of the Board of Directors shall be entitled to take the chair at every General Meeting of the Company.
- 18. If there is no such Chairman or if he is not to be present within fifteen minutes after the time appointed for holding such meeting or is unwilling to act as Chairman of the Meeting, the Directors present shall choose another Director as Chairman of the Meeting.
- 19. If at any Meeting no Director is willing to act as Chairman or if no director is present within 15 minutes after the time appointed for holding the Meeting, the members present shall choose one of their member to be Chairman of the Meeting.
- 20. A declaration by the Chairman of the meeting of a passing of a resolution or otherwise d by show of hand and an entry to that effect in the books containing the minutes of d the meeting of the company shall be conclusive evidence of the fact of passing of such resolution or otherwise.
- 21. The Chairman of General meeting may with the consent of any Meeting at which a quorum is present, shall, if so directed by the meeting adjourns the same, from time to time and from place to place.
- 22. No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.
- 23. When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.
- 24. Save as aforesaid, and as provided in Section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

Chairman of General Meeting

Chairman's decision conclusive

Adjournment of General Meeting

- 11. यदि ऐसी बैठक में मत देने का हकदार व्यय से व्यय 95% सदस्यों को लिखित में अथवा किसी इलेक्ट्रानिक मोड में सहमति दी जाती है, तो अल्पकाल के नोटिस पर एक साधारण बैठक बुलाई जा सकती है।
- 12. नोटिस देने में को सांयोगिक चूक अथवा किसी सदस्य द्वारा उसकी प्राप्ति न होने से ऐसी किसी बैठक में पारित किसी संकल्प को अवैध नहीं करेगा।
- 13. किसी साधारण बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक में कार्य होने के समय पर सदस्यों का कोरम पूरा न हो।
- 14. अन्यथा रूप से इसमें यथा उपबंधित के सिवाय साधारण बैठकों के लिए कोरम हुई अधिनियम की धारा 103 में दिया गया कोरम होगा।
- 15. यदि कंपनी की बैठक को आयोजित करने के लिए नियम किए गए समय से आधा घंटा समाप्त होने पर कोरम उपस्थित कोरम नहीं है, तो बैठक को, यदि सदस्यों के द्वारा उन की मांग पर बुलाई गई हो, रद्द समझा जाएगा, परंतु किसी अन्य मामले में बैठक को उस दिन आस्थगित हुआ समझा जाएगा। यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो अगले सप्ताह उसी समय और स्थान पर वह बैठक होगी। अगले आने वाले दिन जो एक सार्वजनिक अवकाश हो, तो अगले सप्ताह उसी समय और स्थान पर वह बैठक होगी। अगले आने वाले दिन जो एक सार्वजनिक अवकाश नहीं है, को उसी समय और स्थान पर वह बैठक होगी। अगले आने वाले दिन जो एक सार्वजनिक अवकाश नहीं है, को उसी समय और स्थान अथवा ऐसे किसी अन्य समय और स्थान पर बैठक होगी जैसा कि बोर्ड निर्धारित करे और यदि किसी आन्य समय और स्थान जिस्थगित बैठक में इस बैठक के आयोजनके लिए निर्धारित समय से आधा घंटा समाप्त होने पर कोरम उपस्थित नहीं हो तो उपस्थित सदस्य कोरम होगा और वह कार्य करेंगे जिसके लिए बैठक को बुलाया गया था।
- 16. किसी साधारण बैठक में अध्यक्षता पद रिक्त हो, किसी अध्यक्ष के चुनाव को छोड़कर कोई मार्ग नहीं किया साधारण बैठक जाएगा।
- 17. निदेशक मंडल का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी की प्रत्येक साधारण बैठक में अध्यक्षता करने का हकदार होगा।
- 18. यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है अथवा यदि वह ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिए निर्धारित समय के पश्चात् पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है अथवा उस बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अनिच्छुक हो, तो उपस्थित निदेशक किसी अन्य निदेशक को इस बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।

19. यदि किसी बैठक में कोई निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं हो, अथवा यदि कोई निदेशक इस बैठक को आयोजित करने के लिए निर्धारित समय के पश्चात् 15 मिनटों के भीतर उपस्थित नहीं हो, तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।

- 20. किसी संकल्प को पारित करने की अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा अथवा अन्यथा हाथ दिखाकर और कंपनी को बैठक के अध्यक्ष का निर्णय कार्यवृत्तों की पुस्तकों में इस आशय की प्रविष्टि को ऐसे संकल्प अथवा अन्यथा को पारित करने के तथ्य का निर्णायक ^{निर्णायक} साक्ष्य होगा।
- 21. साधारण बैठक का अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित कोरम की सहमति से यदि बैठक द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए तो साधारण बैठक उसे समय-समय पर और स्थान से स्थान पर आस्थगित कर सकता है। का आस्थगन
- 22. किसी भी आस्थगित बैठक में असमाप्त छूट एक कार्य जिससे आस्थगन हुआ हो, को छोड़कर कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा।
- 23. जब कोई बैठक तीस दिनों अथवा इससे अधिक दिनों के लिए आस्थगित की जाती है, तो आस्थगित बैठक का नोटिस एक मूल बैठक के मामले दिए गए नोटिस के रूप में दिया जाएगा।
- 24. पूर्वोक्त यथा उपबंधित के सिवाय और जैसाकि इस अधिनियम की धारा 103 में व्यवस्था की गई है, यह आवश्यक नहीं होगा कि किसी आस्थगन का कोई नोटिस अथवा किसी आस्थगित बैठक में किए जाने वाले कार्य का विवरण दिया जाए।

25. The President, so long, he is a shareholder of the Company, may from time to time appoint such person as he thinks fit (who need not be a member or members of the Company) to represent him at all or any meetings of the Company.

38. VOTES OF MEMBERS

(a) No member shall be entitled to vote either personally or by proxy, at any General Meeting or Meeting of a class of shareholders in respect of any shares registered in his name on which any calls or other sums presently payable by him have not been paid or, in regard to which the Company has exercised any right of lien.

Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,—

- (i) on a show of hands, every member present in person shall have one vote;
- (ii) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his Share in the paid-up equity Share Capital of the Company;
- (iii) a person who has voted through e-voting mechanism shall not be debarred from participation in the general meeting physically. But he shall not be able to vote in the meeting again, and his earlier vote (cast through e-means) shall be treated as final.
- (b) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.

For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.

- (c) A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.
- (d) Any business other than that upon which a poll has been demanded may be preceded with, pending the taking of the poll.
- (e) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.
- (f) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairman of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.
- (g) Any person entitled under the Transmission Clause to transfer any shares may vote at General Meeting in respect thereof as if he was the registered holder of such shares provided that at least 72 hours before the time of holding the meeting or adjourned meeting as the case may be at which he proposes to vote he shall satisfy the Directors of his right to transfer such shares unless the Directors shall have previously admitted his right to vote at such meeting in respect thereof.
- (h) Subject to the provisions of these Articles, votes may be given either Proxy personally or by proxy. A body corporate being a member may vote by a representative duly authorised in accordance with Section 113 of the Act, and such representative shall be entitled to exercise the same rights and powers (including the rights to vote by proxy) on behalf of the body corporate which he represents as the body could exercise if it were an individual member.

25

Vote in respect of shares of deceased/ insolvent member

Votes of Members

- 25. प्रसीडेंट जब तक वह कंपनी का एक अंश धारक हो, समय-समय पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसे प्रसीडेंट का वह ठीक समझे (जिसको कंपनी का एक सदस्य अथवा सदस्यों के रूप में होने की जरूरत नहीं है) और वह प्रतिनिधि उसका कंपनी की सभी अथवा किसी बैठक में प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करे।
- 38. सदस्यों के मत
 - (क)कोई सदस्य, व्यक्गित रूप से अथवा प्रतिनिधि द्वारा किसी साधारण बैठक अथवा अंशधारकों के एक वर्ग की सदस्यों के मत बैठक में उसके नाम में पंजीकृत किसी अंश जिस पर उसके द्वारा समय देय किसी राशि अथवा राशियों की मांग बकाया है, को नहीं दिया है अथवा जिसके संबंध में कंपनी ने किसी पुनर्ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।

इस समय के लिए अंशों की किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के लिए किसी अधिकार अथवा प्रतिबंधों के अधीन-

- (i) हाथ दिखाने पर व्यक्गित रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- (ii) मतदान पर सदस्यों के मत देने के अधिकार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- (iii) ई-वोटिंग तंत्र के माध्यम से मतदान करने वाले व्यक्ति को साधारण बैठक में व्यक्तिगत रूप से सहभागिता से वंचित नहीं किया जाएगा। परंतु वह बैठक में पुन: मत नहीं दे सकेगा और उसके पहले के मत (ई-साधन के माध्यम से मत देना) को अंतिम माना जाएगा।
- (ख)संयुक्त अंश धारकों के मामले में वोट देने वाले वरिष्ठ के वोट चाहे वह व्यक्गित अथवा प्रतिनिधि के रूप में हो, को अन्य संयुक्त अंशधारकों के मतों को छोड़कर स्वीकार किया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठता को उसी क्रम से निर्धारित किया जाएगा जिसमें उनके नाम सदस्यों की पंजी में हैं।

- (ग) विकृत मानसिकता वाला कोई सदस्य जिसके लिए पागलपन के क्षेत्रधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, उसकी समिति द्वारा अन्यथा किसी अन्य कानूनी संरक्षक द्वारा मत दे सकता है, चाहे वह हाथ दिखाए अथवा मतदान को और वह किसी ऐसी समिति अथवा संरक्षक द्वारा चुनाव पर प्रतिनिधि के द्वारा वोट दे सकता है।
- (घ) कोई कार्य जिस पर चुनाव की मांग की गई हो, को छोड़कर चुनाव लेने तक किया जा सकता है।
- (ड.)किसी बैठक या आस्थगित बैठक, जिसमें कोई विवादित मत दिया जाता है या दिया गया हो, को छोड़कर किसी मतदाता की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी, और ऐसी बैठक में अस्वीकृत कोई मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध रहेगा।
- (च) निश्चित समय में की गई किसी आपत्ति को बैठक के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।
- (छ) कोई व्यक्ति, जो हस्तांतरण शर्त के अंतर्गत पात्र किसी शेयर को अंतरित करने का पात्र हो, उसके संबंध में आम मृतक/दिवालिया बैठक में मतदान कर सकता है जैसे कि वह ऐसे शेयरों का पंजीकृत धारक हो, बशर्ते कि ऐसी बैठक आयोजित सदस्य के शेयरों होने या आस्थगित होने, जैसी स्थिति हो, से कम से कम 72 घंटे पहले हो, जिसमें वह मतदान करने का प्रस्ताव के संबंध में कोई करता है, तो वह तब तक ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के अपने अधिकार के बारे में निदेशकों को संतुष्ट करेगा, जब तक कि निदेशकों द्वारा इसके संबंध में हुई ऐसी बैठक में मतदान क उसके अधिकार के बारे में पूर्व में स्वीकृति प्रदान न कर दी हो।
- (ज) इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन, मतदान व्यक्गित रूप से या किसी प्रोक्सी द्वारा दिया जा सकता है। कोई प्रोक्सी कॉर्पोरेट निकाय सदस्य होने के नाते अधिनियम की धारा 113 के अनुसार किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत मतदान कर सकता है, और ऐसा प्रतिनिधि कॉर्पोरेट निकाय की ओर से समान अधिकारों और शक्तियों (प्रोक्सी के रूप में मतदान करने के अधिकार सहित) का प्रयोग करने का पात्र होगा, जिसका वह निकाय के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, और इसका प्रयोग तब भी कर सकता है जब वह कोई व्यक्तिगत सदस्य हो।

- (i) The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarized copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote or in case of poll not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll and in default, the instrument of proxy shall not be treated as valid. The proxy forms sent to the holders of securities shall mention that a holder may vote either for or against each resolution.
- (j) Every proxy (whether a member or not) shall be appointed in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorised in writing, or if such appointer is a body corporate be under its Seal, or be signed by an officer or any attorney duly authorised by it, and any committee or guardian may appoint such proxy.
- (k) (i) A member present by proxy shall be entitled to vote only on a poll, except where Applicable Law provides otherwise.
 - (ii) The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.
 - (iii) A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given;

Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the Company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.

- (iv) A Form of Proxy shall be in the manner laid down under Section 105 of the Form of Proxy Act read with Rule prescribed thereunder and as amended from time to time.
- (l) (a) A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the share capital of the company carrying voting right. Provided that a member holding more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting right may appoint a single person as proxy and such proxy shall not act as proxy for other person or shareholder.
 - (b) A member of a company registered under section 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such other company.
- (m) Where permitted/required by Applicable Law, Board may provide Members/ Members of a class to vote through e-voting, complying with Applicable Law.
- (n) Notwithstanding anything contained in the foregoing, the Company shall transact such business, follow such procedure and ascertain the assent or dissent of Members for a voting conducted by Postal ballot, as may be prescribed by Section 110 of the Act and rules made thereunder and other Applicable Law.
- (o) In case of resolutions to be passed by Postal ballot, no Meeting needs to be held at a specified time and place requiring physical presence of Members to form a quorum.

Passing of Resolution by Postal Ballot.

- (झ) किसी निकाय द्वारा किसी प्रोक्सी को मुख्तारनामा देकर या अन्य प्राधिकारी, यदि कोई हो, की नियुक्ति की जाती है, जिसके अंतर्गत वह अधिकार या प्राधिकारी हस्ताक्षरित या नोटरी से हस्ताक्षित प्रति हो, को बैठक के आयोजित होने या आस्थगित होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, जिसमें निकाय द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा मतदान देने का प्रस्ताव किया जाता है या जहां मतदान होने के कम से कम 24 घंटे पहले मतदान करने का प्रस्ताव हो, में जमा कराया जाएगा और कोई चूक होने पर, निकाय के प्रतिनिधि को वैध नहीं माना जाएगा। प्रतिभूतियों के धारकों को भेजे जाने वाले प्रोक्सी फार्म पर यह उल्लेख किया जाएगा कि कोई धारक प्रत्येक निर्णय पर या उसके खिलाफ मतदान कर सकता है।
- (त्र) प्रत्येक प्रोक्सी (चाहे सदस्य हो अथवा नहीं) को नियोक्ता या उसके अटार्नी द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत करके नियुक्त किया जाएगा, या यदि ऐसा नियोक्ता कॉर्पोरेट निकाय हो तो उसकी सील से, या किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से या किसी अटार्नी द्वारा अधिकृत किया जाएगा, और कोई समिति या संरक्षक ऐसे प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है।
- (ट) (i) प्रोक्सी द्वारा प्रस्तुत कोई सदस्य किसी मतदान केन्द्र में मतदान करने का पात्र होगा, सिवाय उसके जहां विद्यमान कानून में अन्यथा ऐसा प्रावधान हो।
 - (ii) इस प्रकार नियुक्त प्रोक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
 - (iii)किसी प्रोक्सी निकाय की शर्तों के अनुसार दिया गया कोई मत वैध होगा, भले ही प्रधान या प्रतिनिधि या प्राधिकारी की मृत्यु हो गई हो या वह विक्षिप्त हो गया हो जिसके अंतर्गत प्रोक्सी बनाया गया था, या उन शेयरों का हस्तांतरण किया गया था, जिसके बारे में प्रतिनिधित्व दिया गया था।

बशर्ते कि ऐसी मृत्यु, विक्षिप्तता, निरसन या हस्तांतरण के बारे में लिखित में कोई सूचना कंपनी को बैठक के शुरू होने या आस्थगित बैठक से पहले अपने कार्यालय में प्राप्त न हुई हो, जिसके बारे में प्रोक्सी का इस्तेमाल किया गया है।

- (iv)प्रोक्सी फार्म नियम के साथ पठित तथा समय-समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत प्रोक्सी फार्म निर्धारित अनुसार होना चाहिए।
- (ठ)(क) कोई व्यर्कत सदस्यों की ओर से प्रोक्सी के रूप में निष्पादन कर सकता है जिसके पास पचास से अधिक कंपनी की शेयर पूंजी न हो जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक न हो, मतदान का प्रयोग कर सकता है। बशर्ते कि कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाला सदस्य, जिसे मतदान करने का अधिकार हो, किसी व्यक्ति को प्रोक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(ख)धारा 8 के तहत पंजीकृत किसी कंपनी के किसी सदस्य को अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को, जहां तक कि वह अन्य व्यक्ति भी उस अन्य कंपनी का सदस्य न हो, नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा।

- (ड) जहां लागू कानून के द्वारा अनुमत/अपेक्षित है, बोर्ड किसी श्रेणी के सदस्य/सदस्यों को, लागू कानून का अनुपालन करते हुए ई-वोटिंग के माध्यम से मत देने के लिए व्यवस्था कर सकता है।
- (ढ) पूर्व में निहित किसी प्रावधान के बावजूद कंपनी द्वारा, अधिनियम की धारा 110 और उसके तहत बने नियमों तथा डाकमत द्वारा अन्य लागू कानूनों के द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किए जाने पर डाक मत द्वारा मतदान की व्यवस्था के लिए कार्रवाई, प्रक्रिया का अनुपालन और सदस्यों से सहमति या असहमति प्राप्त की जाएगी ।
- (ण)डाक मत द्वारा पारित संकल्प के मामले में, कोरम बनाने के लिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के साथ, विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है ।

- (p) Where a resolution is required to be passed by Postal ballot, the Company shall, in addition to the requirements of giving requisite clear days notice, send to all the Members the following:
 - (i) Draft resolution and relevant explanatory statement clearly explaining the reasons thereof;
 - (ii) Postal ballot for giving assent or dissent, in writing by Members; and
 - (iii) Enable Member, in such manner as prescribed under Applicable Law, for communicating assents or dissents on the Postal ballot to the Company with a request to the Members to send their communications within 30 days from the date of dispatch of the notice.
- (q) Save as herein otherwise provided, the Directors shall be entitled to treat the person whose name appears on the register of members as the holder of any share as the absolute owner thereof and accordingly shall not (except as ordered by a Court of competent jurisdiction or as by law required) be bound to recognize any benami trust or equitable contingent or other claim to or interest in such share on the part of any person whether or not it shall have express or implied notice thereof.
- (r) Where permitted/required by Applicable Law, all records to be maintained by the Company may be kept in electronic form subject to the provisions of the Act and the conditions as laid down in the Applicable Law. Such records shall be kept open to inspection in the manner as permitted by the Act and Applicable Law.
- (s) The Company shall cause minutes of all proceedings of every General Meeting to be kept by making within thirty days or such other period as may be prescribed under the law, of the conclusion of every such meeting concerned, entries thereof in books kept for that purpose with their pages consecutively numbered.
- (t) Any such minutes shall be evidence of the proceedings recorded therein.
- (u) The book containing the minutes of proceedings of General Meetings shall be kept at the registered office of the Company and shall be open during business hours, for such periods not being less than 2 hours on any day, as may be fixed by the Company Secretary from time to time, to the inspection of any Member without charge.
- (v) Any Member of the Company shall be entitled to a copy of minutes of the General Meeting on receipt of a specific request and at a fee of Rs. 10/- (rupees ten only) for each page, or such higher amount as the Board may determine, subject to any Applicable Law.

39. BOARD OF DIRECTORS

- **Board** of (a) The business of the company shall be managed by the Board of Directors subject Directors to the compliance of conditions stipulated under the Act, Listing Agreement, Rules and Regulations of the Stock Exchanges, Department of Public Enterprises Guidelines or under the provisions of any other applicable laws as modified from time to time.
- (b) The number of Directors of the Company which shall be not less than 3 and not Number of Directors more than 15. These directors may be either whole time functional directors or part time directors. However, the Company may appoint more than 15 Directors after passing a Special Resolution. The Directors are not required to hold any qualification shares. Composition of the Board shall be in accordance with the provisions of Section 149 of the Act or requirements of any Stock Exchange or the rules made under Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and other Applicable Laws.

Provided that where there are temporary gaps in meeting the requirements of Applicable Law pertaining to composition of Board of Directors, the remaining Directors shall

Company not bound to recognize any interest in shares other than that of the registered shareholders

Maintenance of records and inspection of minutes of General Meeting by members.

- (त) जहां कोई संकल्प डाक मत से पारित किया जाना अपेक्षित हो, कंपनी अपेक्षित दिनों को स्पष्ट करते हुए नोटिस देने की आवश्यकता के साथ–साथ सभी सदस्यों को निम्नलिखित भेजेगी:
 - (i) प्रारूप संकल्प और संगत स्पष्टीकरण विवरण, जिसमें तत्संबंधी कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो।
 - (ii) सदस्यों की लिखित में सहमति अथवा असहमति देने के लिए डाकमत ।
 - (iii) सदस्यों को लागू कानून के तहत यथाविनिर्दिष्ट ऐसे ढंग से कंपनी को डाक मत के संबंध में सहमति अथवा असहमति की सूचना देने के लिए कहना, जिसमें सदस्यों से नोटिस भेजने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी सूचना भेजने का अनुरोध करना।
- (थ) इसमें अन्यथा प्रदत्त को छोड़कर, निदेशकों को, ऐसे व्यक्ति को शेयर के धारक रूप मे मानने का अधिकार होगा, जिसमें एकमात्र स्वामी के रूप में उसका नाम पंजिका में दर्ज हो और तदनुसार, किसी बेनामी न्यास अथवा किसी व्यक्ति की ओर से किसी शेयर में उसके हित, चाहे है अथवा नहीं, उसे मानने के लिए जब तक कि किसी सक्षम न्यायाधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा आदेशित अथवा कानूनन आवश्यक न हो, बाध्य नहीं होगे, जिसका नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

किसी हित को मानने के लिए कंपनी बाध्य नहीं रिकॉर्ड के अनुरक्षण

पंजीकृत शेयरधारकों को छोड़कर किसी

अन्य के शेयर में

- (द) जहां लागू कानून के अनुसार अनुमत/अपेक्षित है, अधिनियम के प्रावधानो और लागू कानून में विनिर्दिष्ट शर्त के अध्यधीन कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले सभी रिकार्ड इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे। ऐसे रिकार्ड अधिनियम और लागू कानून द्वारा अनुमत ढंग से मुआयने के लिए सामने रखे जाएं।
- रिकॉर्ड के अनुरक्षण और सदस्यों द्वारा आम बैठक के कार्यवृत्त का मुआयना
- (ध) कंपनी द्वारा प्रत्येक आम बैठक की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, संबंधित बैठक के समापन के तीन दिनों की अवधि अथवा ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो कानूनन विनिर्दिष्ट हो, तैयार करके रखे जाएंगे और उस प्रयोजन के लिए उनकी क्रमबद्ध पृष्ठ संख्या के साथ उनकी प्रविष्टि की जाएगी।
- (न) ऐसे कार्यवृत्त, उनमें दर्ज कार्यवाहियों के साक्ष्य होंगे ।
- (प) आम बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त से संबंधित पंजिका, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और यह कार्य समय के दौरान किसी भी दिन कम से कम 2 घंटों की अवधि के लिए या समय-समय पर कंपनी सचिव द्वारा यथानिर्धारित अनुसार, बिना शुल्क के, किसी सदस्य के मुआयने के लिए रखी जाएगी।
- (फ)कंपनी का कोई सदस्य, विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर और प्रत्येक पृष्ठ के लिए 10 रुपये (दस रुपये मात्र) के शुल्क पर अथवा बोर्ड द्वारा कानूनन यथानिर्धारित किसी अधिक राशि के शुल्क पर आम बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति लेने का हकदार होगा ।

39. निदेशक मंडल

- (क)कंपनी के संव्यवहार का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग के लिस्टिंग एग्रीमेंट, स्टॉक निदेशक मंडल एक्सचेंज के नियमों एवं विनियमों एवं अधिनियम कें अंतर्गत दिए गए शर्तों के अधीन अथवा अन्य किसी लागू कानूनों के तहत और समय-समय पर उस पर किए गए संशोधनों के आधार पर किया जाएगा।
- (ख)कंपनी के निदेशकों की संख्या न्यूनतम 3 और अधिकतम 15 होगी ये निदेशक या तो पूर्णकालिक निदेशक होंगे निदेशकों की अथवा अंशकालिक निदेशक होंगे। यद्यपि कंपनी विशेष संकल्प पारित करके 15 से अधिक निदेशकों को नियुक्ति ^{संख्या}
 कर सकती है और निदेशकों से कोई अर्हकता शेयर अपेक्षित नहीं होगा। बोर्ड का स्वरूप अधिनियम की धारा
 149 के तहत होगा अथवा किसी स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत के अनुरूप अथवा प्रतिपूर्ति संविदा (विनियमन)
 अधिनियम 1956 के नियमानुरूप एवं अन्य लागू विधियों के अनुरूप होगा।

बशर्ते जहाँ बैठकों के मध्य अल्प अंतराल होगा वहाँ निदेशक मंडल के स्वरूप से संबंधित विधियों की अपेक्षाएं, अन्य निदेशकों

- (a) be entitled to transact the business for the purpose of attaining the required composition of the Board; and
- (b) be entitled to carry out such business as may be required in the best interest of the Company in the meantime.
- (c) Subject to the provisions of Sections 149, 152 and 161 of the Act and Applicable Laws, the President shall have the power to appoint an Additional Director provided the number of the Directors and additional Directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by these Articles.

Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the Company but shall be eligible for appointment by the Company as a Director at that meeting subject to the provisions of the Act.

- (d) In the event of Company borrowing any money from any financial corporation or institution or Government or any Government body or a collaborator, bank, person or persons or from any other source, while any money remains due to them or any of them, the lender concerned may have and may exercise the right and power to appoint, from time to time, any person or persons to be a Director or Directors of the Company.
- *(d)(d) Subject to the provision of the applicable acts/ laws/ regulations and approval of President of India, as may be required, the debenture trustee appointed in respect of debt securities issued by the Company from time to time, shall have the right to appoint its nominee director in case of occurrence of the defaults on account of failure to service interest and/or redemption amount and/or default in creation of security or such specified defaults as mentioned under relevant debenture trust deed/ notified by regulatory authorities.
 - (e) A nominee Director may at any time be removed from the office by the Appointing Authority who may from the time of such removal or in case of death or resignation of person, appoint any other or others in his place. Any such appointment or removal shall be in writing, signed by the appointer and served on the Company. Such Director need not hold any qualification shares.
 - (f) The Chairman/CMD/Managing Director/CEO of the Company shall be appointed by the President and the terms and conditions of his appointment shall be determined by the President, subject to the provisions of the Act. An Individual may be appointed or reappointed by the President as the Chairman of the Company as well as the Managing Director or Chief Executive Officer of the Company at the same time. Such person shall preside at all meetings of the Director.
 - (g) Subject to the provisions of the Act, in addition to the Chairman/CMD/Managing Director/CEO of the Company, the President shall also appoint Whole-time Functional Directors and other Directors in consultation with the Chairman.
 Appointment of Whole time Director
 - (h) No such consultation will be necessary in case of appointment of the Director(s) representing the Government.
 - (i) Subject to the provisions of the Act, the Directors who are liable to retire by rotation will be appointed in the General Meeting in accordance with the provisions of the Act. These may even include some Whole-time Functional Directors, subject to the provisions of the Act and other Applicable Law, but excluding Independent Directors. Chairman/ CMD is a non-retiring director.

^{*} New Article number 39(d)(d) inserted by special resolution passed by the shareholders at the 53rd Annual General Meeting held on 21st September, 2023

(क)अन्य निदेशकों द्वारा कार्य अपेक्षित बोर्ड के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा एवं

(ख) ऐसे कार्य करने की अपेक्षा है जो तत्समय कंपनी के सर्वोत्तम हित में हो।

- (ग) अधिनियम की धारा 149, 152 एवं 161 के उपबंधों के अनुसार एवं लागू विधियों के अनुसार अध्यक्ष को एक अतिरिक्त अतिरिक्त निदेशक नियुक्ति करने का अधिकार होगा। बशर्ते निदेशकों की कुल संख्या अतिरिक्त निदेशकों की ^{निदेशक} संख्या सहित किसी भी समय बोर्ड द्वारा इन अनुच्छेदों में नियत अधिकतम संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति कंपनी की अगली वार्षिक साधारण बैठक होने तक कार्यरत रहेगा और कंपनी द्वारा उस बैठक में अधिनियम के उपबंधों के तहत निदेशक नियुक्ति किए जाने हेतु पात्र होगा।
- (घ) कंपनी द्वारा किसी वित्तीय निगम अथवा संस्थान अथवा सरकार अथवा किसी सरकारी निकाय अथवा सहयोगी, मनोनित निदेशक बैंक, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा अन्य किसी स्रोत से पैसा उधार लेने की स्थिति में जब कोई रुपये की देनदारी उन पर देए हो अथवा उनमें से किसी पर तो पैसा प्रदान करने वाले संबंधित के पास अधिकार एवं शक्तियाँ होंगी कि वह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कंपनी के निदेशक अथवा निदेशकों को नियुक्ति कर सके।

*(घ)(घ) लागू अधिनियमों/कानूनों/विनियमों के प्रावधानों और आवश्यकतानुसार भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी को अपना नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार होगा। ब्याज और/या मोचन राशि की सेवा में किलता और/या सुरक्षा के निर्माण में चूक या प्रासंगिक डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत उल्लिखित/नियामक अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ऐसे निर्दिष्ट डिफॉल्ट के कारण चूक की घटना के मामले में निदेशक।

(ड) मनोनित निदेशक को किसी भी समय उसके कार्यालय से नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। जो ऐसे बर्खास्ती के समय अथवा उसकी मृत्यु होने पर अथवा उस व्यक्ति द्वारा त्याग-पत्र देने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों उसके स्थान पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी कोई भी नियुक्ति अथवा बर्खास्तगी लिखित रूप में और नियोक्ता के हस्ताक्षर द्वारा एवं कंपनी में दी जानी चाहिए। ऐसे निदेशक से किसी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यत: नहीं होगी।

 (च) अध्यक्ष/सीएमडी/प्रबंध निदेशक/सीईओ की नियुक्ति प्रेसीडेंट द्वारा की जाएगी एवं उनके नियुक्ति की शर्ते एवं निदेशक मंडल विनियमों को प्रेसीडेंट द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसे प्रेसीडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है जैसे कंपनी का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक साथ नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कंपनी की बोर्ड की प्रत्येक साधारण बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(छ) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यक्ष/सीएमडी/प्रबंध निदेशक/कंपनी के सीईओ के अतिरिक्त प्रेसीडेंट पूर्णकालिक पूर्णकालिक निदेशकों एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति भी अध्यक्ष से सलाह-मशविरा करके करेगा।

(ज) निदेशक/(निदेशकों) जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी नियुक्ति के समय ऐसी सलाह-मशविरा अनिवार्य नहीं होगी।

(झ) अधिनियम के उपबंधों के तहत वे निदेशक जो आवर्तन आधार पर सेवा निवृत्त होने वाले हैं उनकी नियुक्ति आवर्तन आधार साधारण बैठक में अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप की जाएगी। इसमें कुछ पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक भी पर सेवा निवृत्ति शामिल हो सकते हैं बशर्ते अधिनियम के उपबंध अथवा अन्य लागू विधियों में इसका प्रावधान हो किंतु इसमें स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष/सीएमडी सेवा निवृत्त नहीं होने वाले निदेशक शामिल नहीं होगें।

^{* 21} सितंबर, 2023 को आयोजित 53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा नया अनुच्छेद संख्या 39(डी)(डी) डाला गया।

(j) Not less than two third of the total number of Directors shall be persons whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation except Independent Directors.

At every Annual General Meeting of the Company, one-third of the directors liable to retire by rotation, or if their number is not three or a multiple of three, then, the number nearest to one-third, shall retire from office.

- (k) The Directors to retire by rotation shall be those who have been longest in office since their last appointment, but as between persons who become Director on the same day those, who are to retire shall be determined by the President in consultation with the Chairman of the Company.
- (l) A retiring director under (k) above shall be eligible for re-appointment.
- (m) The Directors shall be paid such salary and/or allowances as the President may, time to time determine. Subject to the provision of the Act such additional remuneration as may be fixed by the President may be paid to any one or more Directors for extra or special services rendered by him or them.

Provided that where the Company takes a Directors' Liability Insurance, specifically pertaining to a particular Director, then the premium paid in respect of such insurance, for the period during which a Director has been proved guilty, will be treated as part of remuneration paid to such Directors.

- (n) The Board or a relevant Committee constituted for this purpose shall seek to ensure that the remuneration paid to Directors, key managerial personnel and senior management involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long-term performance objectives appropriate to the working of the Company and its goals.
- (o) Subject to the provisions of Section 179 and 180 of the Act, the Board may, from time to time, entrust and confer upon the Chairman/CMD/CEO/Managing Director/ Whole Time Director/ Director or a Departmental Head for the time being such of powers as they may think fit and may confer such powers for such time and to be exercised for such objects and purposes and upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think expedient and may, from time to time, revoke, withdraw, alter or vary all or any such powers.
- (p) The non official part time directors may be paid sitting fee for attending the meetings of Board of Directors or any committee thereof as may be decided by the board from time to time not exceeding the maximum limits as prescribed under the Act. Fee shall also be paid for attending any separate meeting of the Independent Directors of the Company in pursuance of any provision of the Act. Fee shall also be payable for participating in meetings through permissible Electronic Mode.
- (q) Subject to the provisions of Section 161(2) of the Act, the President may appoint an Alternate Director, not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company, to act for a Director (hereinafter called "the Original Director") during his absence for a period of not less than three months from India. An Alternate Director appointed under this Article shall not hold office for a period longer than that permissible to the Original Director in whose place he has been appointed and shall vacate the office if and when the Original Director returns to India, any provisions in the Act or in these Articles for the automatic reappointment of any retiring Director in default of another appointment shall apply to the Original Director, and not to the Alternate Director.

Salary and/ or other allowance to directors

- (न्न) कुल निदेशकों में से कम से कम दो तिहाई ऐसे निदेशक होंगे जो आवर्तन आधार पर सेवा-निवृत्त के पात्र होंगे इनमें स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित नहीं होगें। कंपनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में एक तिहाई निदेशक आवर्तन आधार पर सेवा निवृत्ति के पात्र होंगे अथवा यदि उनकी संख्या 3 अथवा 3 का गुणांक नहीं होगी तो एक तिहाई के नजदीक संख्या के निदेशक सेवा निवृत्त होंगे।
- (ट) आवर्तन आधार पर वे निदेशक सेवा-निवृत्त होंगे जो उनकी नियुक्ति के बाद सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहे। किंतु उसी दिन एक से ज्यादा व्यक्तियों के निदेशक बनने की स्थिति में कौन सेवा निवृत्त होगा इसका निर्धारण कंपनी के अयक्ष से सलाह-मशविरा से किया जाएगा।
- (ठ) उपरोक्त "ट" के तहत सेवा निवृत्त होने वाले निदेशक पुर्ननियुक्ति के पात्र होंगे।
- (ड) निदेशकों को वह वेतन एवं अथवा भत्ते प्रदान किए जाएंगे जैसा प्रेसीडेंट समय-समय पर निर्धारित करें। अधिनियम निदेशकों को दिए के उपबधों के अनुसार किसी एक अथवा अधिक निदेशकों को उनके द्वारा विशेष सेवाएं देने पर प्रेसीडेंट अतिरिक्त जाने वाले वेतन पारिश्रमिक नियत कर सकता है। बशर्ते जहाँ कंपनी में निदेशकों के लिए देयताओं संबंधी बीमा, जो कि विशिष्ट रूप से विशिष्ट निदेशकों से संबंधित होगा, ली हो वहाँ ऐसे बीमा के लिए अदा की गई राशि को उस अवधि के दौरान जब निदेशक को दोषी पाया गया हो ऐसे निदेशक को प्रदान किए गए पारिश्रमिक के रूप में माना जाएगा।
- (ढ) बोर्ड अथवा संबंधित समिति का गठन इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए होगा कि निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन के व्यक्तियों को एवं वरिष्ठ प्रबंधन में संलग्न व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाला पारिश्रमिक उनके अल्पावधि एवं दीर्घकालिक कार्यों के करने के उद्देश्यों एवं कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मानकों में संतुलन स्थापित करेंगे।
- (ण) अधिनियम की धारा 179 एवं 180 के उपबंधों के अनुरूप बोर्ड समय-समय पर अध्यक्ष/सीएमडी/सीईओ/प्रबधक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/निदेशक अथवा विभागीय प्रमुख को कुछ समय विशेष हेतु ऐसे अधिकार दे सकता है जो वह तत्समय को उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके नियमों एवं शर्तों के अनुरूप उस सीमा तक जो वह उचित समझे प्रदान कर सकता है और ऐसा समय-समय पर उन अधिकारों में परिवर्तन अथवा, उन्हें वापस ले सकता है अथवा उनकी पुनर्बहाली कर सकता है।
- (त) गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशकों को निदेशक मंडल अथवा उसकी किसी समिति की बैठकों में सम्मिलित सीटिंग शुल्क होने हेतु जैसा समय-समय पर बोर्ड निर्धारित करें और जो अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हो वह सीटिंग शुल्क प्रदान कर सकती है। यह शुल्क कंपनी के किसी स्वतंत्र निदेशक की किसी अन्य बैठकों में सम्मिलित होने हेतु अधिनियम के उपबंधों के तहत प्रदान की जाएगी। यह शुल्क अनुमेय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में बैठक में सम्मिलित होने पर भी प्रदान की जाएगी।
- (थ) अधिनियम की धारा 161 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रेसीडेट कोई वैकल्पिक निदेशक को भी नियुक्त कर सकता वैकल्पिक है जो कि कंपनी में अन्य कोई वैकल्पिक निदेशक का पद न धारित किया हुआ हो और ऐसा निदेशक (जिसे इसमें निदेशक इसके बाद "मूल निदेशक" कहा जाएगा) जो कि भारत में उनकी 3 महीने की अनुपस्थिति से कम नहीं होगा।
 इस अनुच्छेक के तहत नियुक्त वैकल्पिक निदेशक उस मूल निदेशक की सेवा अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं कार्यरत होगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है और वह मूल निदेशक के भारत वापस आने पर पद से हट जाएगा। यदि मूल निदेशक की सेवा अवधि भारत आने से पहले समाप्त हो रही हो तो अधिनियम के किसी उपबंध अथवा इन अनुच्छेदों के अनुसार मूल निदेशक को पुर्ननियुक्ति का अधिकार होगा न कि इस वैकल्पिक निदेशक को निदेशक को निदेशक को।

- (r) For the purpose of absence in the Board meetings in terms of Section 167 (1) (b) of the Act, the period during which an Original Director has an Alternate Director appointed in his place, shall not be considered.
- (s) Subject to the provisions of the Act, the President shall have the power at any time Fill and from time to time to appoint any person to be a Director to fill up a casual of vacancy in the office of a director. Any person so appointed shall hold office only upto the date upto which the Director in whose place he is appointed would have held office if it had not vacated by him.
- (t) Subject to the provisions of the Act, the President from time to time or at any time remove the Chairman, Managing Director, CMD, CEO or any whole time or part time director from office at his absolute discretion. Chairman, Managing Director, CMD, CEO and whole time Director may be removed from office in accordance with terms of appointment or, if no such terms are specified on the expiry of 3 months notice issued in writing by the President or with immediate effect on payment of the pay in lieu of notice period.
- (u) The President shall have right to fill any vacancy in the office of the Chairman, CMD, CEO, Managing Director or Whole Time Directors and Government Nominees caused by retirement, removal, resignation, death or otherwise, subject to the provisions of the Act.
- (v) Subject to the provisions of Section 149(6) of the Act and other Applicable Laws as well as Government Guidelines issued from time to time, the President shall have the power to appoint requisite number of Independent Directors to comply with the Act as well as Listing Agreement as amended from time to time.
 - (i) Every Independent Director shall at the first meeting of the Board in which he participates as a Director and thereafter at the first meeting of the Board in every financial year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his status as an Independent Director, give a declaration that he meets the criteria of independence.
 - (ii) The Company and Independent Directors are required to abide by the provisions specified in Schedule IV of the Act.
 - (iii) An Independent Director shall not be entitled to any stock option and may receive remuneration by way of sitting fee, reimbursement of expenses for participation in the Board and other meetings and also to such commission based on profits, as may, subject to provisions of Applicable Law, be approved by the Members.
 - (iv) An Independent Director shall be held liable, only in respect of such acts of omission or commission by a Company which had occurred with his knowledge, attributable through Board processes, and with his consent or connivance or where he had not acted diligently.
 - (v) The provisions relating to retirement of Directors by rotation shall not be applicable to appointment of Independent Directors. Subject to Applicable Law and Government Guidelines, if any, issued from time to time, an Independent Director shall hold office for a term for which he is appointed upto a maximum period of 5 (five) consecutive years on the Board of a Company, but shall be eligible for reappointment for one more term on passing of a Special Resolution by the Company and disclosure of such appointment in the Board's report.

Appointment of Independent Directors

Filling up of Casual Vacancy.

- (द) अधिनियम की धारा 167 (1) (ख) के अनुसार बोर्ड की बैठकों में अनुपस्थिति हेतु उस अवधि के दौरान जब मूल निदेशक के स्थान पर वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति की गई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ध) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रेसीडेंट को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय एवं समय-समय पर किसी तदर्ध नियुक्ति हेतु भी व्यक्ति को तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर निदेशक का पद भर सकता है। इस प्रकार से नियुक्त कोई भी व्यक्ति भर्ती तभी तक सेवा में रहेगा जब तक वह निदेशक जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई हो पद छोड न दें।
- (न) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रेसीडेंट किसी भी समय अथवा समय-समय पर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सीएमडी, सीईओ अथवा किसी पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक निदेशक को अपने स्वविवेकानुसार बर्खास्त कर सकता है। अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक, सीएमडी, सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक की बर्खास्तगी उनकी नियुक्ति की शर्तों के आधार पर अथवा यदि कोई शर्त नहीं हो तो ऐसी दशा में प्रेसीडेंट द्वारा 03 महीने की लिखित नोटिस की समाप्ति पर अथवा नोटिस अवधि के तत्काल भुगतान करने पर तत्काल प्रभाव से कर सकेगा।
- (प) प्रेसीडेंट को अधिकार होगा कि वह अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सीएमडी, सीईओ अथवा किसी पूर्णकालिक निदेशक एवं सरकारी नामित के सेवा निवृत्त, बर्खास्तगी, त्यागगपत्र अथवा निधन अथवा अन्य कारणों से होने वाली किसी भी रिक्ति को अधिनियम के प्रावधानों के तहत भर सकेगा।
- (फ)अधिनियम की धारा 149 (6) के तहत एवं अन्य लागू विधियों तथा समय-समय पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों स्वतंत्र निदेशकों के प्रावधानों के अनुसार प्रेसीडेंट के पास अधिकार होगा कि वह अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त की नियुक्ति कर सके जिससे अधिनियम का पालन हो, साथ ही साथ समय-समय पर लिस्टिंग एग्रीमेंट में होने वाले परिवर्तनों का भी पालन हो सके।
 - (i) प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग ले रहा हो तथा बाद में बोर्ड की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाली बैठक अथवा ऐसी परिस्थितियों का परिवर्तन जिसकी वजह से उसकी स्वतंत्र निदेशक की स्थिति पर प्रभार पड़ता हो वह एक घोषणा करेगा की वह सभी मानकों को पूरा करता है।
 - (ii) कंपनी एवं स्वतंत्र निदेशकों से अपेक्षित है कि वे अधिनियम की अनुसूची 4 में बताए गए प्रावधानों का पालन करें।
 - (iii)स्वतंत्र निदेशक को किसी प्रकार के स्टॉक विकल्प का अधिकार नहीं होगा और उसे पारिश्रमिक सीटिंग फीस के रूप में प्राप्त होगी और बोर्ड एवं अन्य बैठकों में उपस्थित होने की खर्चे की प्रतिपूर्ति एवं लाभ आधारित कमिशन जैसा लागू नियमानुसार, सदस्यों द्वारा मंजूर किया जाए प्राप्त करेगा।
 - (iv)स्वतंत्र निदेशक केवल उन्हीं कार्यों अथवा के लिए कंपनियों की कमियों के लिए जिम्मेदार होगा जो उसकी जानकारी में है और जो बोर्ड की प्रक्रिया के तहत, एवं उसकी सहमति अथवा जानकारी में अथवा जहाँ उसने विश्वास पूर्वक कार्य न किया हो।
 - (v) आवर्तन आधार पर निदेशकों की सेवा निवृत्त संबंधी प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगें और वे लागू नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होगें यदि वे समय-समय पर जारी किए जाएं। एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल उस अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो और यह अधिकतम 5 लगातार वर्षों तक कंपनी के बोर्ड पर होगा। किंतु वह एक और बार पुर्ननियुक्त किए जाने का पात्र कंपनी द्वारा विशेष संकल्प पारित किए जाने एवं उसके तैनाती को बोर्ड के रिपोर्टों में बताए जाने पर हो सकेगा।

No Independent Director shall hold office for more than 2 (two) consecutive terms, but such Independent Director shall be eligible for appointment after the expiration of 3(three) years of ceasing to become an Independent Director provided that he shall not, during the said period of 3 (three) years, be appointed in or be associated with the Company in any other capacity, either directly or indirectly.

The Company shall familiarize the independent directors through various programmes about the listed entity, including the following:

- (a) nature of the industry in which the Company operates;
- (b) business model of the Company;
- (c) roles, rights, responsibilities of independent directors; and
- (d) any other relevant information.
- Small (vi) Subject to the provisions of section 151 of the Act and other Applicable Laws and Government Guidelines, if any, issued from time to time, the company may **Shareholders** have one Director elected by small shareholders. Director
- (vii)Subject to the second proviso to section 149 sub-sections 1 of the Act and other Applicable Laws and Government Guidelines, if any, issued from time to time, the company shall have one Woman Director on the Board.
- (w) Subject to the provisions of section and subject to the provisions of Applicable Law, a Director may resign from his office by giving a notice in writing to the Company and Board shall take note of the same. The fact of such resignation shall be mentioned in the Directors Report laid in the immediately following General Meeting by the Company. CMD, CEO, Managing Director or a Whole-time Director who has any terms of employment with the Company shall not give any notice of resignation in breach of the conditions of employment as may be applicable, either to a Director specifically, or to employees of the Company generally. A nominee Director shall not give any notice of resignation except through the nominating person.

The resignation of a Director shall take effect from the date on which the notice is received by the Company or the date, if any, specified by the Director in the notice, whichever is later:

Provided that the Director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offences which occurred during his tenure.

- (x) Any Director of the Company, except the one appointed by the National Company Director Law Tribunal, may be removed by way of Ordinary Resolution before the expiry of his term of office, subject to the provisions of Section 169 of Act.
- (y) The office of a Director shall ipso facto be vacated on the happening of any of the events as specified in Section 167 of the Act or rules made thereunder.
- (z) (i) No person not being a retiring Director, shall be eligible for appointment to the office of Director at any General Meeting unless he or some Member intending to propose him as a Director, has, not less than fourteen days before the meeting, left at the registered office of the Company a notice in writing under his hand signifying his candidature for the office of Director or the intention of such Member to propose him as a candidate for that office along with the requisite deposit of Rupees One (1) Lac or such higher amount as the Board may determine, as permissible under the Applicable Law.
 - (ii) Every person (other than a Director retiring by rotation or otherwise or a person who has left at the office of the Company a notice under Section 160 of the Act signifying his candidature for the office of a Director) proposed as a candidate for the office of a Director, shall sign and file with the Company, the consent in writing to act as a Director, if appointed.

31

Removal of

Vacation of **Office of Director**

Notice of candidature for office of Directors except in certain cases

Woman Director

Resignation of Director

कोई स्वंतत्र निदेशक लगातार 2 अवधियों से ज्यादा नहीं रह सकता किंतु स्वतंत्र निदेशक 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पुन: स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बशर्ते इस 3 वर्ष की अवधि के दौरान वह कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियुक्त या किसी अन्य क्षमता में संबद्ध न रहा हो।

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों से विभिन्न सूचीबद्ध एंटीटी के माध्यम से परिचित होती है जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- (क)उद्योग का स्वरूप जिस क्षेत्र में कंपनी कार्य करती है।
- (ख) कंपनी के व्यापार मॉडल का स्वरूप।
- (ग) स्वतंत्र निदेशकों के अधिकार, जिम्मेदारियाँ एवं उनकी भूमिका।
- (घ) अन्य कोई संबंधित जानकारी।
- (vi) अधिनियम की धारा 151 के उपबंधों के अनुसार एवं अन्य लागू विधियों तथा समय-समय पर यदि सरकारी लघु अंशधारकों दिशा-निर्देश जारी किए गए हों तो कंपनी एक निदेशक को छोटे अंशधारकों द्वारा निर्वाचित करवा सकती है। के निदेशक
- (vii) अधिनियम की धारा 149 के दूसरे उपबंध 1 अनुसार एवं अन्य लागू विधियों तथा समय-समय पर सरकार महिला निदेशक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी एक महिला निदेशक को बोर्ड में रख सकती है।
- (ब) अधिनियम की धाराओं के उपबंध के अनुसार तथा लागू विधियों के अनुरूप निदेशक कंपनी को लिखित रूप निदेशक का में नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकता है और बोर्ड उसे स्वीकार करेगी। त्यागपत्र के तथ्यों को त्यागपत्र के तत्काल त्यागपत्र बाद होने वाली कंपनी की साधारण बैठक में प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सीएमडी, सीईओ अथवा किसी पूर्णकालिक निदेशक जो कंपनी में किसी भी रूप में नियुक्त हो, वे कंपनी के नियमों का उल्लंघन करते हुए त्यागपत्र के लिए नोटिस नहीं दे सकते जैसा भी लागू हो, चाहे विशिष्ट रूप से निदेशक अथवा कंपनी के साधारण बैठक में प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सीएमडी, सीईओ अथवा किसी पूर्णकालिक निदेशक जो कंपनी में किसी भी रूप में नियुक्त हो, वे कंपनी के नियमों का उल्लंघन करते हुए त्यागपत्र के लिए नोटिस नहीं दे सकते जैसा भी लागू हो, चाहे विशिष्ट रूप से निदेशक अथवा कंपनी के सामान्य कर्मचारी हों। नामित निदेशक किसी भी प्रकार के त्यागपत्र का नोटिस नहीं दे सकगे सिर्फ नामित करने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही निदेशक का त्यागपत्र उसी तिथि से प्रभावी होगा जो कंपनी को प्राप्त हुआ अथवा वह तिथि जिसे निदेशक ने उसके त्यागपत्र को नोटिस मों बताया हो उनमें से जो भी बाद में हो।

बशर्ते निदेशक जिसने त्यागपत्र दिया है वह उसके त्यागपत्र के बाद भी उनके कार्यकाल के दौरान होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार होगा।

- (भ) कंपनी का कोई भी निदेशक, सिवाय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकारण द्वारा तैनात या नियुक्ति को छोड़कर, को निदेशक की साधारण संकल्प के माध्यम से उसकी कार्य अवधि समाप्त होने से पहले बर्खास्त किया जाएगा और ऐसा इस बर्खास्तगी अधिनियम की धारा 169 के तहत किया जाएगा।
- (म) इस अधिनियम की धारा 167 के तहत होने वाली अथवा बाद में बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी घटना के निदेशक द्वारा घटित होने पर निदेशक को स्वत: कार्यालय छोड़ना पडेगा। छोडना
- (य) (i) कोई भी व्यक्ति सेवा निवृत्त होने वाले निदेशक को छोड़कर किसी भी साधारण बैठक में नियुद्भि का पात्र निदेशक के नहीं होगा जब तक वह अथवा कोई सदस्य उसे निदेशक के रूप में प्रस्तावित न कर दें और ऐसा बैठक से कार्यालय हेतु कम से कम 14 दिन पहले होना चाहिए। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लिखित रूप से अपने निदेशक के उम्मीदवारों को रूप में उम्मीदवारी देने पर अथवा ऐसे सदस्य द्वारा उसे उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने का लिखित को नोटिस कुछ विशेष जनुरोध आवश्यक कागजातों सहित एक लाख रूपये अथवा जो कोई राशि बोर्ड निर्धारित करें या जैसा नियमों
 - (ii) प्रत्येक व्यक्ति (आवर्तन आधार पर सेवा निवृत्त होने वाले निदेशक को छोड़कर अथवा अन्यथा वह व्यक्ति जिसने कंपनी का कार्यालय अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस देकर छोड़ा हो अपनी उम्मीदवारी निदेशक के रूप में विनिर्दिष्ट करें)। निदेशक के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करें वह कंपनी में हस्ताक्षर करके लिखित रूप में अपनी सहमति देगा, यदि वह नियुक्त होगा।

(iii) A person other than a Director re-appointed after retirement by rotation immediately on the expiry of his term of office, or an Additional or Alternate Director, or a person filling a casual vacancy in the office of a Director under Section 161 of the Act, appointed as a Director or reappointed as an Additional or Alternate Director, immediately on the expiry of his term of office, shall not act as a Director of the Company unless he has submitted consent in writing to act as a Director of the Company and the same is filed with the Registrar within thirty days of his appointment. The same shall not apply, where appointment of such director is done/made by the Central/State Government, as the case may be.

40. RESERVE FOR DECISION OF THE PRESIDENT

The Chairman shall reserve for the order of the President any proposals or decisions of the Board of Directors in any matter, which in the opinion of the Chairman, is of such importance as to be reserved for the approval of the President. No action shall be taken by the company in respect of any proposal or any decision of the directors reserved for the approval of the President as aforesaid until his approval to the same has been obtained.

Without prejudice to the generality of the above provision, the Board shall reserve for the decision of the President any matter relating to:

- (i) Any programme of capital expenditure for an amount exceeding the limits, if any, contained in the Government guidelines issued from time to time.
- (ii) The Company's revenue budget in case there is an element of deficit which is proposed to be met by obtaining funds from the Government.
- (iii) Winding up of the Company.
- (iv) Promotion of wholly or partly owned company(ies) or Subsidiary (ies) including participation in their share capital and entering into partnership and/or arrangements for sharing profits beyond the Mini-Ratna powers, subject to the Government guidelines issued in this regard from time to time.
- (v) Sale, Lease, disposal or otherwise of the whole or substantially the whole of the undertaking of the Company.

41. DIRECTIVES FROM THE PRESIDENT

Notwithstanding anything contained in all these Articles, the President may from time to time issue such directives or instructions as may be considered necessary in regard to conduct of, business and affairs of the Company and in like manner may vary and annul any such directive or instruction. The Directors shall give immediate effect to the directives or instruction so issued. In particular, the President will have the powers:

- (i) to give directives to the Company as to the exercise and performance of its functions in matters involving national security or substantial public interest;
- (ii) to call for such returns, accounts and other information with respect to the property and activities of the company and its constituent units as may be required from time to time;
- (iii) to authorize the amount of capital to be raised and the terms and conditions on which it may be raised.
- (iv) To approve purchases and contracts of major nature involving substantial capital out-lay which are excess of powers vested in the Company.
- (v) To approve the company's five year and annual plans of development and Company's Capital Budget.
- (vi) To approve agreements involving foreign collaboration proposed to be entered into by the Company.

32

Power of the President to issue Directives

Reserve for Decision of the President (iii)कोई भी व्यक्ति जो आवर्तन आधार पर सेवा निवृत्ति के उपरांत निदेशक के रूप में पुर्ननियुक्त किया गया हो को छोड़कर अथवा एक अतिरिक्त अथवा वैकल्पिक निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 161 के तहत तदर्थ रिक्ति के लिए निदेशक के रूप में आवेदन करने पर, निदेशक नियुक्त किया जाए अथवा एक अतिरिक्त के रूप में पुर्ननियुक्ति अथवा वैकल्पिक निदेशक उसके कार्यकाल के समाप्ति के तत्काल बाद कंपनी के निदेशक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक वह अपनी सहमति लिखित रूप से निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नहीं देगा और ऐसा उसे रजिस्ट्रार के पास उसकी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर करना होगा। यह वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ किसी निदेशक की नियुक्ति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा की गई हो।

40. प्रेसीडेंट के निर्णय के लिए सुरक्षित

अध्यक्ष बोर्ड के ऐसे प्रस्तावों एवं निर्णयों के लिए आदेश सुरक्षित रखेगा जो अध्यक्ष की राय में ऐसे महत्व का है जिसके प्रेसीडेंट के निर्णय लिए प्रेसीडेंट की मंजूरी आवश्यक है। कंपनी द्वारा निदेशकों के ऐसे किसी प्रस्तावों अथवा निर्णयों पर कोइ कार्यवाई नहीं की जाएगी जैसा कि ऊपर बताया गया है जब तक उसके लिए प्रेसीडेंट की मंजूरी नहीं प्राप्त कर ली जाती।

सामान्यत: उपरोक्त उपबंधों के प्रति पूर्णाग्रह ग्रस्त हुए बिना बोर्ड निम्नलिखित मामलों में प्रेसीडेंट के निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगी:

- (i) किसी भी कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि की सीमा से ज्यादा व्यय करने के लिए, यदि कोई सरकारी दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देश में वह शामिल हो।
- (ii) कंपनी का राजस्व बजट यदि उसमें कोई कमी हो जिसे सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निधि से किया जाना प्रस्तावित हो।
- (iii)कंपनी की वाइंडिग
- (iv)पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से स्वामित्व वाली कंपनियों अथवा उसकी सहायक कंपनियों जिसमें उनका शेयर कैपिटल की सहभागिता हो के प्रचार हेतु एवं भागीदारी शुरू करने एवं अथवा मीनी रत्न अधिकारों से ज्यादा फायदे की हिस्सेदारी संबंधी करार, सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय में जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
- (v) ब्रिकी, पटटा, खत्म करना अथवा अन्यथा पूर्ण रूप से आंशिक रूप से करने हेतु कंपनी की सहमति।

41. प्रेसीडेंट के दिशा-निर्देश

उपरोक्त सभी अनुच्छेदों में आने वाली सभी बातों के बावजूद प्रेसीडेंट समय–समय पर ऐसे दिशा–निर्देश अथवा अनुदेश पेसीडेट की दिशा जो वह कंपनी के संव्यवहार हेतु जरूरी समझे और जिस स्वरूप में अंतर हो सकता है। और इन दिशा–निर्देशों एवं ^{निर्दे}श जारी करने अनुदेशों में बताए अनुसार जारी कर सकता है। निदेशक ऐसे जारी किए गए निदेशों अथवा अनुदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। विशेषकर प्रेसीडेंट को अधिकार होगा:

- (i) कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आम जनता के लिए महत्वपूर्ण मामलों में कंपनी को कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।
- (ii) ऐसी विवरणी, लेखा एवं अन्य जानकारियाँ कंपनियों की संपत्तियों एवं गतिविधियों तथा इसकी संबद्ध इकाइयों के बारे में जैसा कि समय-समय पर जरूरी समझें।
- (iii)पूंजीगत राशि को बढ़ाने को प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसा किन शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत किया जाएगा वह निर्धारित करेगा।
- (iv)ऐसी खरीदारियों एवं अनुबंध को जो बडे किस्म के हों और जिसमें पर्याप्त पूंजीगत निहित हो और जो कंपनी को दिए गए अधिकार से ज्यादा हो।
- (v) कंपनी के पंचवर्षीय एवं वार्षिक विकास तथा कंपनी की पूंजीगत बजट को मंजूरी।
- (vi) उन करारों को मंजूरी जिसमें कंपनी की विदेशी सहभागिता प्रस्तावित हो।

Provided that all directives issued by the President shall be in writing addressed to the Chairman. The Board shall, except where the President considers that the interest of national security require otherwise, incorporate the contents of directives issued by the President in the annual report of the Company and also indicate its impact on the financial position of the Company.

No action shall be taken by the Company in respect of any proposal or decision of the Directors reserved for the approval of the President until his approval to the same has been obtained. The President shall have the power to modify such proposals or decision of the Directors.

In compliance with the provisions of the Act and other applicable Law, a Director or any Related Party as defined in Section 2 (76) of the Act or other Applicable Law may enter into any contract with Company with respect to the matters specified under section 188 of the Act and Rules made thereunder and requirements of any Stock Exchange or the rules made under Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and other Applicable Laws.

42. DISCLOSURE OF INTEREST

A Director of the Company who is in any way, whether directly or indirectly concerned I or interested in a contract or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Company, shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the Board in the manner provided in Section 184(2) of the Act; provided that it shall not be necessary for a Director to disclose his concern or interest in any contract or arrangement entered into or to be entered into with any other body corporate where the Director of the Company either himself or in association with any other Director hold or holds less than two per cent of the shareholding in such other body corporate.

43.INTERESTED DIRECTOR NOT TO PARTICIPATE OR VOTE IN BOARD'S PROCEEDING

Subject to the provisions of Section 184 of the Act, no Director shall act as Director/ take any part in the discussion of, or vote on any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company, if he is in any way whether directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement; nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote; and if he does vote, his vote shall be void.

44. REGISTER OF CONTRACTS IN WHICH DIRECTORS ARE INTERESTED

The Company shall keep a Register in accordance with Section 189 (1) of the Act and Applicable Law. The Register shall be kept at the registered office of the Company and shall be preserved permanently be kept in the custody of the Company Secretary of the Company or any other person authorized by the Board for the purpose.

Such a Register shall be open to inspection at such office, and extracts may be taken there from and copies thereof may be provided to a Member of the Company on his request, within seven days from the date on which such request is made and upon the payment of Rs. 10 (ten rupees) per page, or such higher amount as may be laid by the Board, as permitted by Applicable Law.

Director's/ Related Party contract with the company.

Disclosure of Interest

Interested Directors not to participate or vote

Register of contracts in which Directors are interested बशर्ते ये सभी प्रेसीडेंट के दिशा–निर्देश लिखित रूप में अध्यक्ष को लिखी जानी चाहिए। बोर्ड सिर्फ उन मामलों में प्रेसीडेंट को यह समझते हैं कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अथवा प्रेसीडेंट के दिशा–निर्देश जो कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित हों एवं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाते हों।

कंपनी द्वारा निदेशकों के उन निर्णयों एवं प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो प्रेसीडेंट की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखे गए हों और उन्हें प्राप्त न कर लिया जाए। प्रेसीडेंट ऐसे प्रस्तावों एवं निर्णयों एवं प्रस्तावों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में एवं अन्य लागू विधियों के तहत निदेशक अथवा अन्य कोई संबंधित पक्ष जैसा निदेशक/संबंधित कि अधिनियम की धारा 2 (76) के तहत बताया गया है अथवा अन्य लागू विधियों द्वारा उपबंध किया गया हो कंपनी के साथ अधिनियम की धारा 188 में बताए गए मामलों में अनुबंध में कर सकता है और उसके तहत बनाए गए नियम एवं स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के तहत एवं अन्य लागू विधियों के अनुरूप होगा।

42. हितों की घोषणा

कंपनी का निदेशक जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार करार से संबद्ध अथवा प्रस्तावित करार अथवा हितों की घोषणा संविदा करता है या करने वाला है और जो कंपनी की तरु से है वह उसके बारे में अथवा उसके हित का वर्णन बोर्ड की बैठक में धारा 184 (2) के उपबंधों के अनुसार बताएगा। बशर्ते निदेशक के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह उसके हित अथवा अन्यथा जो किसी संविदा अथवा करार के लिए किसी अन्य संस्था जहाँ कंपनी का निदेशक या तो स्वयं अथवा अन्य निदेशकों के साथ 2 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी उस संस्था में रखता हो

43. हितधारी निदेशक बोर्ड की कार्यवाई सम्मिलित अथवा उसमें वोट नहीं डाल सकेगें।

अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों के तहत कोई भी निदेशक निदेशक के तौर पर/कंपनी की किसी चर्चा में अथवा किसी संविदा में वोट अथवा करार कंपनी की तरफ से नहीं कर सकेगा यदि, वह सीधे या परोक्ष रूप से उस करार या संविदा में हित रखता हो और न ही उसकी उपस्थिति बैठक का कोरम पूरा करने के लिए अथवा ऐसे किसी निर्णय अथवा वोट के समय नहीं गिनी जाएगी और यदि वह वोट डालता भी है तो उसका वोट अवैध माना जाएगा।

हितधारी निदेशक बोर्ड की कार्यवाई सम्मिलित अथवा उसमें वोट नहीं डाल सकेगें।

44. वे मामले जहाँ निदेशक का हित सम्मिलित हो उनके संविदा का रजिस्टर

कंपनी अधिनियम की धारा 189 (1) में लागू विधियों के अनुसार रजिस्टर रखेगी और ऐसा रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और इसे कंपनी के सचिव द्वारा स्थाई रूप से संभाल कर रखा जाएगा अथवा बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किसी अन्य द्वारा हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाएगा।

वे मामले जहाँ निदेशक का हित सम्मिलित हो उनके संविदा का रजिस्टर

ऐसा रजिस्टर ऐसे कार्यालयों में देखे जाने के लिए उपलब्ध रहेगा और उनके तथ्यों की फोटोप्रतियां कंपनी के सदस्यों को रुपये 10 के भुगतान प्रति पृष्ठ की दर से अथवा उच्च दर से जैसा बोर्ड निर्धारित करें और जैसा लागू विधियों के अनुसार अनुमति हो 7 दिन के भीतर प्रदान किया जाएगा।

45. REGISTER OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL AND THEIR SHAREHOLDING

The Company shall keep at its registered office a register containing the particulars of its Directors and Key Managerial Personnel, which shall include the details of Securities held by each of them in the Company or its holding, subsidiary, subsidiary of Company's holding Company or associate companies in accordance with Section 170 of the Act and Applicable Law.

Register of Directors and KMP and their shareholding

46. BOARD MEETING

- (a) The Directors may meet together as a Board from time to time for the conduct of the business of the Company, adjourn or otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.
- (b) A meeting of the Board shall be called by giving not less than seven days' notice in writing to every Director at his address registered with the Company and such notice shall be sent by hand delivery or by post or by electronic means.
- (c) The notice of the meeting shall inform the Directors regarding the option available to them to participate through Electronic Mode, and shall provide all the necessary information to enable the Directors to participate through such Electronic Mode.
- (d) A meeting of the Board may be called at shorter notice to transact urgent business subject to the condition that at least one Independent Director, if any, shall be present at the meeting, or in case of absence of Independent Directors from such a meeting of the Board, decisions taken at such a meeting shall be circulated to all the Directors and shall be final only on ratification thereof by at least one Independent Director. Where the Company does not have, for the time being, any Independent Director, a Board meeting may be called at a shorter notice where such notice is approved by a majority of Directors present at such meeting.
- (e) The Board shall hold a minimum number of four meetings every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board. The Directors may adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit. An adjourn meeting being a continuation of the original meeting, the interval period in such a case, shall be counted from the date of the original meeting.
- (f) Every Director present at any meeting of the Board or of a Committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose. The names of Directors who have participated in Board meetings through Electronic Mode shall be entered and initialed by the Company Secretary, stating the manner in which the Director so participated.
- (g) The Chairman, CMD, Managing Director or a Director or the Company Secretary on the requisition of a director shall with the approval of Chairman/CMD summons a meeting of the Board.

Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes and in case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

(h) CMD/Chairman shall preside at all meetings of the Board as well as General Meetings. If an Individual is appointed or reappointed by the President as the Chairman of the Company as well as the Managing Director or Chief Executive Officer of the Company at the same time, in that case, such person shall preside at all meetings of the board as well as General meetings of the Company. Otherwise, the Board may elect a Chairman, and determine the period for which he is to hold office. The Managing Director may also be appointed by the Board as the Chairman.

Presiding at Board/General Meetings 45. निदेशकों एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकों के रजिस्टर एवं उनके अंशधारिता निदेशकों एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकों के रजिस्टर एवं उनके अंशधारिता

कंपनी उनके पंजीकृत कार्यालय में एक रजिस्टर रखेगी जिसमें निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधक व्यक्तियों के विवरण होगें नि और इन विवरणों में इन प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा कंपनी अथवा उसके सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूति का विवरण प्र इस अधिनियम की धारा 170 एवं अन्य लागू विधियों के अनुरूप दिया होगा।

निदेशकों एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकों के रजिस्टर एवं उनके अंशधारिता

46. बोर्ड की बैठक

- (क)निदेशकगण आपस में बोर्ड के रूप में समय-समय पर मिलकर बैठक कर सकते हैं और कंपनी का कार्य कर सकते हैं तथा बैठक को स्थगित अन्यथा जैसा वे उचित समझें इस बैठक के लिए कर सकते हैं।
- (ख)बोर्ड की बैठक प्रत्येक निदेशकों को उनके पंजीकृत पते पर लिखित रूप से कम से कम 7 दिन पहले लिखित सूचना दिए वगैर नहीं आयोजित की जाएगी और इस प्रकार की सूचना दस्ती द्वारा अथवा डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकती है।
- (ग) यह सूचना निदेशकों को बैठक के आयोजन के संबंध में उपलब्ध विकल्पों के बारे में इलेक्ट्रानिक माध्यम से सम्मिलित होने एवं उन्हें सभी आवश्यक जानकारियाँ प्रदान करके जिससे वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से इस बैठक में सम्मिलित हो सके।
- (घ) बोर्ड की बैठक कम समय में नोटिस देकर बोर्ड के तत्काल स्वरूप के कार्य करने के लिए की जा सकती है बशर्ते कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित होना चाहिए अथवा स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति की स्थिति में ऐसी बैठक में लिए गए निर्णय सभी निदेशकों को परिचालित किए जाने चाहिए और यह कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा अनुमोदित होने पर अंतिम होगें। जहाँ कंपनी में उस समय कोई स्वतंत्र निदेशक न हों तो ऐसी स्थिति में बेठक को बुलाकर ऐसी सूचना को निदेशकों के बहुमत द्वारा पास करा कर मंजूर किया जाना चाहिए।
- (ड.)बोर्ड प्रत्येक वर्ष में कम से कम 4 बैठक करेगा और इस प्रकार से करेगा कि बोर्ड की 2 बैठकों में 120 दिन से ज्यादा का अंतर न हो। निदेशकगण ऐसी बैठकों को स्थगित एवं अन्य प्रकार से नियमित कर सकेगें जैसा वे उचित समझें। स्थगित बैठक पूर्व बैठक के मूल बैठक के अनुक्रम में मानी जाएगी और ऐसी स्थिति में बैठक के अंतराल हेतु मूल बैठक को तिथि को संज्ञान में लिया जाएगा।
- (च) बोर्ड की बैठक अथवा उसकी समिति में उपस्थित प्रत्येक निदेशक वहाँ इस उद्देश्य के लिए रखी पुस्तक में हस्ताक्षर करेगा और निदेशकों के नाम जिन्होंने बोर्ड की बैठक में इलेक्ट्रानिक माध्यम से हिस्सा लिया हो इन रजिस्टरों में कंपनी के सचिव द्वारा हस्ताक्षर करके जिसमें लिखा होगा कि निदेशक ने किस माध्यम से हिस्सा लिया।
- (छ) अध्यक्ष, सीएमडी, प्रबंधन निदेशक अथवा निदेशक अथवा कंपनी सचिव निदेशक के अनुरोध पर अध्यक्ष, सीएमडी बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। अधिरियम में प्राप्त क्या से जन्म सा के अनितित्व निप्ती नैपन में उप्या सा साम के न्यो में निर्णम नवान के

अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताए गए के अतिरिक्त किसी बैठक में उठाए गए प्रश्न के बारे में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा और यदि कहीं बराबर वोट मिले हों तो अध्यक्ष को दूसरा अथवा निर्णयाक मत डालने का अधिकार होगा।

(ज) सीएमडी/अध्यक्ष बोर्ड की तथा सभी साधारण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि कोइ व्यक्ति प्रेसीडेंट द्वारा कंपनी बोर्ड/साधारण का अध्यक्ष साथ ही साथ प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक ही समय नियुक्त किया जाता की बैठकों की है तो ऐसे मामलों में वह व्यक्ति बोर्ड की सभी साधारण बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अन्यथा बोर्ड अध्यक्ष का अध्यक्षता चुनाव कर सकती है और यह भी निर्णय कर सकती है कि वह किस अवधि तक कार्यरत होंगे। बोर्ड द्वारा प्रबंध निदेशक को भी नामित किया जा सकता है।

- (i) If no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the Directors present may choose one of their number to be Chairman of the meeting.
- (j) Subject to the provisions of the Act & rules made thereunder, secretarial standards and Applicable Law, the Directors may participate in meetings of the Board otherwise through physical presence i.e. through Electronic mode – video conferencing or other audio visual means mode as the Board may from time to time decide in the manner as prescribed under the Act & rules made thereunder, secretarial standards and Applicable Law.
- (k) The quorum for a meeting of the Board shall be determined from time to time in accordance with the provisions of the Section 174 of the Act. If a quorum is not present within fifteen minutes from the time appointed for holding a meeting of the Board it shall be adjourned until such date and time as the Chairman of the Board shall decide.
- (I) The Board may, subject to the provisions of the Act, from time to time and at any time delegate any of their powers, to Committees consisting of such Director or Directors as it thinks fit, and may from time to time revoke such delegation. Unless a power of the Board is not capable of being delegated, such power may be delegated by the Board to any officer or committee of officers as the Board may determine.

The Board shall from time to time constitute such of the Committee(s) of the Directors as are statutorily required under the provisions of the Companies Act, 2013 / the listing agreement or any other applicable Act, rules, regulations, guidelines.

- (m) The meetings and proceedings of any such Committee consisting of two or more members shall be governed by the provisions herein contained for regulating the meetings proceedings of the Board so far as the same are applicable thereto and are not superseded by any regulations made by the Board.
- (n) Subject to the provisions of Section 175 of the Act and rules made thereunder and applicable laws, a resolution in writing signed by majority of directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the directors duly called and constituted. A resolution so passed shall be noted at a subsequent meeting of the Board or the Committee thereof, and made part of the minutes of such meeting.

Provided that, where not less than one-third of the total number of Directors of the Company for the time being require that any resolution under circulation must be decided at a meeting, the Chairman shall put the resolution to be decided at a Board Meeting. Provided further that where the resolution has been put to vote at a Board Meeting, the consent or dissent of the Directors obtained by way of resolution by circulation shall be rendered void.

(o) All acts done in any meeting of the Board or of a Committee thereof or by any person acting as a Director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such Directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified or had vacated office or that the appointment of any of them had been terminated by virtue of any provisions contained in the Act or in these Articles, be as valid as if every such Director or such person had been duly appointed and was qualified to be a Director and had not vacated his office or his appointment had not been terminated; provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by a Director after his appointment has been shown to the Company to be invalid or to have been terminated.

Meetings of the Board by Video/ audio visual conferencing

Quorum

Meeting of Committees

Resolution by circulation

Acts of Board/ Committee valid notwithstanding subsequent discovery of any defect in appointment. (झ) यदि अध्यक्ष नहीं चुना जाता है अथवा किसी बैठक में बैठक शुरू होने के समय के 5 मिनट के अंदर अध्यक्ष नहीं उपस्थित होते हैं तो उपस्थिति निदेशकों द्वारा उनके किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुना जा सकता है।

(त्र) अधिनियम के उपबंधों के तहत एवं इसमें बनाए गए नियमों के अंतर्गत सचिवीय मानक लागू विधियों के अनुसार बोर्ड की बैठकों में निदेशक बोर्ड की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के अलावा भी अर्थात् इलेक्ट्रानिक माध्यम-वीडियो वीडियों/ दृश्य-श्रव्य क्रांफेसिंग अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से जैसा बोर्ड समय-समय पर अधिनियम के तहत एवं इसके अंतर्गत क्रांफेसिंग का प्रयोग बनाए गए नियमों के तहत सचिवीय मानकों एवं लागू विधियों के अनुसार निर्धारित करें।

(ट) बोर्ड की बैठक का कोरम इस अधिनियम की धारा 174 को अनुसार एवं समय-समय पर निर्धारित नियमों के कोरम अंतर्गत किया जाएगा। यदि कोरम बोर्ड की बैठक शुरू होने के 15 मिनट के भीतर नहीं होता है तो उसे उस तिथि और समय तक के लिए स्थगित किया जाएगा जैसा अध्यक्ष निर्णय करें।

(ठ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तथा समय-समय पर एवं किसी भी समय ऐसी समिति के निदेशक अथवा समितियों की बैठक निदेशकों को जिन्हें वह ठीक समझें उनकी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है और समय-समय पर ऐसी प्रत्यायोजित वापस भी ले सकता है जब तक कि बोर्ड उनके शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वे शक्तियाँ बोर्ड द्वारा किसी भी अधिकारी अथवा समिति के अधिकारियों को जिन्हें बोर्ड ठीक समझें, दे सकेगा।

बोर्ड समय-समय पर निदेशकों की ऐसी समितियाँ गठित कर सकेगा जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैध् ानिक रूप से अपेक्षित हैं/लिस्टिंग करार अथवा अन्य कोई लागू अधिनियम, नियम, विनियमन लागू दिशा-निर्देश के अनुसार अनिवार्य हों।

- (ड) ऐसी किसी समिति जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हों उसकी बैठक की कार्रवाई जिसमें दिए गए उपबंधों के अनुसार बोर्ड की बैठक की कार्रवाई उसमें दिए गए अनुसार और बोर्ड द्वारा गठित किसी विनियमन से बाधित नहीं होगी।
- (ढ) अधिनियम की धारा 175 के प्रावधानों के अनुसार एवं उसमें बनाए गए नियमों तथा लागू विधियों के अनुसार एक परिचालन द्वारा संकल्प लिखित रूप से जो कि निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षर करके वैसे ही वैध एवं प्रभावी होगा जैसे इसे संकल्प निदेशकों की विधिवत गठित बैठक में पास किया गया हो। इस प्रकार से पास किया हुआ संकल्प बाद में होने वाली बैठक के संज्ञान में लिया जाएगा अथवा उसकी समिति की बैठक के कार्यवृत्त का हिस्सा बनाया जाएगा।

बशर्ते जहाँ कंपनी के तत्समय के निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई निदेशकों द्वारा अपेक्षित हो कि कोई संकल्प के बारे में उस बैठक में अवश्य निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष उस संकल्प को बोर्ड की बैठक के उस निर्णय के लिए भेजगा बशर्ते इसके अतिरिक्त जहाँ संकल्प को बोर्ड बैठक में मतों के लिए प्रस्तुत किया गया हो वहाँ निदेशकों के सहमति अथवा अन्यथा जिसे संकल्प के परिचालन द्वारा प्राप्त किया गया हो वह अवैध होगा।

(ण) बोर्ड अथवा उसकी समिति की किसी बैठक में किए गए सभी कार्य अथवा निदेशक के रूप में कार्य करने वाले बोर्ड किसी व्यक्ति जिसे बाद में पता चलता है कि किसी ऐसे एक या एक से अधिक निदेशकों की नियुक्ति में कमी के व का पता चलता है अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जैसा उपरोक्त अथवा उनमें से कोई अयोग्य हो गया है अथवा कार्यालय बाद छोड़ा दिया है अथवा अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत उसे बर्खास्त कर दिया गया है अथवा इन अनुच्छेदों में के जे के जं जंतर्गत इस प्रकार से वैध है जैसे प्रत्येक ऐसा निदेशक अथवा व्यक्ति का विधिवत नियुक्त किया गया और उसने कार्यालय नहीं छोड़ा अथवा उसकी नियुक्ति को सागर और उसने कार्यालय नहीं छोड़ा अथवा उत्तर्भ के विधिवत नियुक्त किया गया और हो। वह निदेशक के लिए योग्य हो गया और उसने कार्यालय नहीं छोड़ा अथवा उसकी नियुक्ति को समाप्त नहीं किया गया है। बशर्ते इन अनुच्छेदों के तहत उसके कार्यों को निदेशकों के तौर पर कार्य के रूप में वैधता दी गई और उसकी नियुक्ति कर दिया गया है। वरार्ते इन अनुच्छेदों के तहत उसके कार्यों को निदेशकों के तौर पर कार्य के रूप में वैधता दी गई और उसकी नियुक्ति कं पनी में अवैध है अथवा उस समाप्त कर दिया गया है।

बोर्ड अथवा समिति के कार्य वैध हैं चाहे बाद में उसकी नियुक्ति में कोई कमी पाई गई चे (p) (i) The Company shall cause minutes of proceedings of every meeting of the Board and Committee thereof to be kept in such form by making within thirty days of the conclusion of every such meeting, entries thereof in the books kept for that purpose with their pages consecutively numbered in accordance with Section 118 of the Act or Applicable Laws.

Each page of every such book shall be initialed or signed and the last page of the record of proceedings of each meeting in such book shall be dated and signed by the Chairman of the said meeting or the Chairman of the next succeeding

- (iii) minutes of proceedings of a meeting shall not be attached to any such book as aforesaid by pasting or otherwise, if the minutes are kept in physical form.
- (iv) The minutes of each meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings thereat.
- (v) Where the meeting of the Board takes place through Electronic Mode; the minutes shall disclose the particulars of the Directors who attended the meeting through such means.
- (vi) The draft minutes of the meeting shall be circulated among all the Directors within fifteen days of the meeting either in writing or in Electronic Mode as may be decided by the Board and/or in accordance with Applicable Laws.
- (vii) Every Director who attended the meeting, whether personally or through Electronic Mode, shall confirm or give his comments in writing, about the accuracy of recording of the proceedings of that particular meeting in the draft minutes, within seven days or some reasonable time as decided by the Board, after receipt of the draft minutes failing which his approval shall be presumed.
- (viii) All appointments of officers made at any of the meetings aforesaid shall be included in the minutes of the meetings.
- (ix) The minutes shall also contain:

(ii)

meeting.

- (i) The names of the Directors present at the meeting; and
- (ii) In the case of each resolution passed at the meeting the names of the Directors, if any, dissenting from or not concurring in the resolution.
- (x) Nothing contained in Articles herein above, shall be deemed to require the inclusion in any such minutes of any matter which, in the opinion of the Chairman of the meeting :
 - (i) is, or could reasonably be regarded as defamatory of any person; or
 - (ii) is irrelevant or immaterial to the proceedings; or
 - (iii) is detrimental to the interest of the Company.

The Chairman shall exercise an absolute discretion in regard to the inclusion or non-inclusion of any matter in the minutes on the grounds specified above.

- (xi) Minutes of meetings kept in accordance with the aforesaid provisions shall be evidence of the proceedings recorded therein.
- (xii) Any Director of the Company may requisition for physical inspection of the Board Meeting minutes by giving a prior notice as prescribed under the Act

- (त) (i) कंपनी बोर्ड एवं उसकी समितियों की प्रत्येक बैठकों की गतिविधियों को कार्यसूची के रूप में बनाएगी और बैठक का कार्यवृत्त ऐसा वह ऐसी बैठक के समाप्ति के 30 दिनों के भीतर करेगी। इसके लिए रखी गई पुस्तकों में प्रविष्ठियों में क्रमवार पृष्ठ संख्या डाली हो यह अधिनियम की धारा 118 अथवा लागू नियमानुसार होगा ।
 - (ii) ऐसी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अथवा अध्याक्षतर किया जाएगा और आखिरी पृष्ठ पर बैठक की गतिविधि रिकार्ड किए जाने के बाद उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा अथवा अगली बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
 - (iii) बैठक को गतिविधि को किसी भी ऐसी पुस्तक (उपरोक्त) में चिपकाया अथवा अन्यथा नहीं किया जाएगा यदि कार्यवृत्त भौतिक रूप में उपलब्ध हो।
 - (iv) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में उस बैठक का सही एवं स्टीक सारांश सम्मिलित होगा।
 - (v) जहाँ बोर्ड की बैठक इलेक्ट्रानिक माध्यमों से होती हो वहाँ कार्यवृत्त निदेशकों के विवरण जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया हो उन्हें उसी माध्यम से सूचित किया जाएगा।
 - (vi) बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा निदेशकों के मध्य बैठक समाप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसा बोर्ड निर्णय करें अथवा लागू उपबंधों के अनुसार परिचालित किया जाएगा।
 - (vii) प्रत्येक निदेशक जो बैठक में उपस्थित हुआ हो चाहे व्यक्गित रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में उपस्थित हुआ हो वह उनके सुझाव लिखित रूप में अथवा उसकी पुष्टि बैठक की कार्यवाही की दर्ज की गई सत्यता उस विशेष बैठक जिसके वह कार्यवृत्त का मसौदा है 7 दिनों के भीतर अथवा अन्य वाजिब समय जैसा बोर्ड निर्धारित करें कार्यवृत्त का मसौदा हेतु निर्धारित करें जिसके बाद अनुमोदन मान लिया जाएगा।
 - (viii) किसी भी बैठक द्वारा अधिकारियों की सभी नियुक्तियों को बैठक के कार्यवाई में सम्मिलित किया जाएगा ।
 - (ix) बैठक के कार्यवृत्त में यह भी शामिल होगा ।
 - (i) बैठक में उपस्थित निदेशकों के नाम ।
 - (ii) बैठक में पास किए जाने वाले प्रत्येक संकल्प हेतु निदेशकों के नाम यदि किसी निदेशक के नाम न हो अथवा उस संकल्प की गैर सहमति के संबंध में हों।
 - (x) ऊपर के अनुच्छेदों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा माना जाएगा कि ऐसे कार्यवृत्त में अध्यक्ष के राय बैठक के निम्न में सम्मिलित है:
 - (i) अथवा को सामान्य तौर से किसी व्यक्ति के लिए नहीं है अथवा
 - (ii) अनुपयुक्त है अथवा बैठक की गतिविधि के अनुपयोगी है।
 - (iii)कंपनी के हित के लिए निर्णायक है।

अध्यक्ष पूर्ण स्वविवेकानुसार कार्यवृत्त में उपरोक्त बताए विषयों को शामिल अथवा न शामिल किए जाने के लिए निर्णय कर सकेगा।

- (xi) बैठक का कार्यवृत्त उपरोक्त प्रावधानों के तहत बनाया जाएगा और उसमें की गई कार्रवाईयों के लिए साक्ष्य के तौर पर होगा।
- (xii) कंपनी का कोई निदेशक बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त के प्रत्यक्ष निरीक्षण का अनुरोध अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार पूर्व सूचना देकर कर सकेगा।

- (xiii) Provided that the Director can requisition to inspect Board Meeting minutes only for the period that he is on the Board of the Company. The physical inspection shall be done solely by the Director himself and not by his authorised representative or any power of attorney holder or agent.
- (xiv) A Committee may elect a Chairman of its meetings if no such Chairman is elected or if at any meeting the Chairman is not present, within the prescribed time after the time appointed for holding the same, the members present may choose one of their member to be Chairman of the meeting
- (xv) (aa) The Board may exercise all such powers of the Company and do all such acts, and things as are permitted by the Act and rules made thereunder and Applicable Law, or Memorandum or by these Articles, except required to be exercised by the Company in General Meeting subject nevertheless to these Articles, to the provisions of the Act and the Applicable Law made thereunder, or any other Act and to such regulations being not inconsistent with the aforesaid regulations or provisions, as may be prescribed by the Company in General Meeting; but no regulations made by the Company in General Meeting shall invalidate any prior act of the Board which would have been valid if that regulation had not been made.
 - (bb) The Board may, subject to Applicable Law, also give a loan to a Director or any entity in which the Director is interested. Where any sum of money is payable by a Director, the Board may allow such time for payment of the said money as is acceptable within customary periods for payment of similar money in contemporaneous commercial practice. Grant of such period for payment shall not be deemed to be a "loan" or grant of time for the purpose of sec 180 (1) (d) of the Act and Applicable Law.
 - (cc) The Board may subject to Section 186 of the Act and provisions of Applicable Law made there under shall by means of unanimous resolution passed at meeting of Board from time to time, invest, provide loans or guarantee or security on behalf of the Company to any person or entity

47. SPECIFIC POWERS GIVEN TO DIRECTORS

Without prejudice to the general powers conferred by Section 179(3) of the Act or Applicable Laws made there under and the preceding Article and so as not in any way to limit or restrict those powers, and without prejudice to the other powers conferred by these Articles, but subject to the restrictions contained in these Articles or the Applicable Law, it is hereby declared that the Directors shall have the following powers; that is to say, power :

- a. To pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.
- b. To pay any interest lawfully payable under the provisions of the Act.
- c. To act jointly and severally in all on any of the powers conferred on them.
- d. To appoint and nominate any Person(s) to act as representative for purpose of attending and/or voting on behalf of the Company at a meeting of any Company or association.
- e. To comply with the provisions of Applicable Law which in their opinion shall, in the interest of the Company be necessary or expedient to comply with.
- f. To make, vary and repeal bye-laws for regulation of business of the Company and duties of officers and servants. **To make bye** laws

Powers of the

General

Board

Specific Powers of Directors

- (xiii) बशर्ते निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को देखने का अनुरोध कर सकता है जिन कंपनी के बोर्ड की बैठकों में वह सम्मिलित रहा। कार्यवृत्त का व्यक्गित निरीक्षण पूरी तरह से निदेशक के द्वारा स्वयं किया जाएगा न कि उसके किसी प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत एजेंट द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (xiv) समिति उसके बैठक के अध्यक्ष का चुनाव कर सकेगी यदि ऐसा कोई अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया है अथवा किसी बैठक में अध्यक्ष नहीं उपस्थित हुए हों जैसाकि इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए नियमानुसार निर्धारित किया गया हो तो बैठक के लिए उपस्थिति सदस्य किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन सकेगे।
- (xv)(कक)बोर्ड कंपनी के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगी और ऐसे सभी कार्य करेगी जिनकी अनुमति अधिनियम बोर्ड के सामान्य एवं उसके अतंर्गत बनाए नियमों एवं चालू विधि के अंतर्गत अथवा ज्ञापन अथवा इन अनुच्छेदों द्वारा किया अधिकार गया हो सिवाय वहाँ जहाँ कंपनी द्वारा साधारण बैठक में इन अनुच्छेदों का अधिनियम के प्रावधानों एवं लागू विधियों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा अन्य किसी अधिनियम अथवा उपबंधों जैसा कि कंपनी के साधारण बैठक में निर्धारित किया गया हो किंतु कंपनी की साधारण बैठक में बनाया गया कोई भी विनियमन पहले के अधिनियम में बोर्ड के नियम को खारिज नही कर सकेगा। जिसको यदि यह विनियमन नहीं होता तो वैध माना जाता।
 - (खख)बोर्ड लागू विधियों के अनुसार चाहे तो किसी निदेशक को लोन या ऋण अथवा कोइ वस्तु जिसके लिए निदेशक इच्छुक हो दे सकते हैं। जहाँ निदेशक द्वारा कोई पैसा दिया जाना हो वहाँ बोर्ड उसे अदा करने के लिए समय सीमा तक अनुमति दे सकती है जिसकी परंपरा व्यवसायिक गतिविधयों के लिए रही हो। भुगतान की इस अवधि को लोन अथवा अनुदान का समय इस उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा जैसाकि इस अधिनियम की धारा 180 (1)(डी) एवं लागू विधियों के अनुरूप हो।
 - (गग) अधिनियम की धारा 186 के अनुसार तथा लागू विधियों के अनुसार समय-समय पर बोर्ड की बैठक में बनाए गए नियम का तात्पर्य सर्वसम्मति से पारित संकल्प निवेश, ऋण की मंजूरी अथवा गारंटी अथवा प्रतिभूति कंपनी के तरफ से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को दे सकेगी।
- 47. निदेशकों को दिए गए विशिष्ट अधिकार

अधिनियम की धारा 179 (3) द्वारा अथवा लागू विधियों एवं उनके अनुच्छेदों के तहत बिना पूर्वाग्रह ग्रस्त हुए उन निदेशकों को दिए शक्तियों को समिति अथवा कम करने के लिए तथा बिना पूर्वाग्रह ग्रस्त हुए इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्तियों किंतु इन गए विशिष्ट अधिकार अनुच्छेदों में सम्मिलित प्रतिबंधों सहित अथवा लागू विधियों में बताया गया हो। एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियां होगी:

- (क)कंपनी के पंजीकरण एवं स्थापना, बनाने अथवा उसके विस्तार हेतु होने वाले प्रारंभिक व्यय एवं प्रभार तथा लागत को प्रदान करने हेतु।
- (ख) अधिनियम के तहत विधि अनुरूप प्रदान किए जाने वाला ब्याज।
- (ग) उन्हें प्रदत्त शक्तियों के संबंध में संयुक्त रूप से एवं संघनता से कार्य करने का अधिकार।
- (घ) किसी व्यक्तियों को नियुक्त एवं नामित करने का अधिकार जो उनकी तरफ से बैठक एवं अथवा कंपनी की किसी भी बैठक में वोट करने का अधिकार रखेगा।
- (ड.) लागू विधियों के प्रावधानों के अनुसरण में जो उनकी राय में कंपनी के संव्यवहार के आवश्यक एवं हित में है अथवा जिसका पालन करना अनिवार्य है।
- (च) कंपनी के कार्य हेतु नियमों, विनियमों में संशोधन अथवा निरसन एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य उपनियम बनाने के निर्धारित कर सकेगें।

g.	Subject to Sections 179 and 188 of the Act to purchase or otherwise acquire for the Company any property, rights or privileges which the Company is authorised to acquire, at or for such price or consideration and generally on such terms and conditions as they may think fit and in any such purchase or other acquisition to accept such title as the Directors may believe or may be advised to be reasonably satisfactory.	To acquire property
h.	Subject to the provisions of the Act and Applicable Laws, to pay for any property, rights or privileges acquired by or services rendered to the Company, either wholly or partially, in Shares, bonds, Debentures, mortgages, or other securities of the Company, and such Shares may be issued either as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon all or any part of the property of the Company and its uncalled Capital or not so charged.	To pay for property
i.	To secure the fulfilment of any contracts or arrangement entered into by the Company by mortgage or charge of all or any of the property of the Company and its uncalled Capital for the Company being or in such manner as they may think fit.	To secure contracts by mortgage/charge
j.	To accept from any member, as far as may be permissible by law, surrender of his Shares or any part thereof, on such terms and conditions as shall be agreed.	Surrender of Shares by members
k.	To borrow or raise or secure the payment of money in such manner as the Company shall think fit and in particular, issue Debenture or Debenture stock, perpetual or otherwise charged upon all or any of the Company's property (both present and future).	To borrow money
1.	To open and deal with current account, overdraft accounts with any bank/banks for carrying on any business of the Company.	To deal with banks
m.	in trust for the Company any property belonging to the Company, in which it is interested, or for any other purposes; and execute such deeds and do all such things as may be required in relation to any trust, and to provide for the remuneration of such trustee or trustees.	To appoint trustees
n.	To institute, conduct, defend, compound, refer to arbitration or abandon any legal proceedings before any Court, Tribunal or any other Judicial Forum by or against the Company or its officers, or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due, and of any claim or demands by or against the Company.	To bring and defend action
о.	To refer any claims or demands or differences by or against the Company or to enter into any contract or arrangement for reference to arbitration and/or to any Court, Tribunal or any other Judicial Forum and observe, enforce, perform, compound or challenge such awards and to take proceedings for redressal of the same.	To refer to arbitration
p.	To act as trustees in composition of the Company's debtors and/or act on behalf of the Company in all matters relating to bankrupts and insolvents.	To act as trustees
q.	To make and give receipts, releases and other discharges for moneys payable to the Company and for the claims and demands of the Company.	To make and give receipts
r.	Subject to the provisions of Sections 179 and 186 of the Act, to invest and deal with any moneys of the Company not immediately required for the purpose thereof upon such security (not being Shares of this Company), or without security and in such manner as they think fit, and from time to time to vary the size of such investments. Save as provided in Section 187 of the Act, all investments shall be made and held	To invest the fund of the company

38

in the Company's own name.

- (छ) अधिनियम की धारा 179 एवं 188 के प्रावधानों के अनुसार खरीदने अवा कंपनी के लिए संपत्ति प्राप्त करने का संपत्ति अर्जित करने अधिकार अथवा जिसके लिए कंपनी उन्हें प्राप्ति के लिए प्राधिकृत करती है अथवा ऐसी कीमत अथवा मूल्य के लिए एवं सामान्य नियम एवं शर्ते जैसा वे उचित समझें और इस प्रकार की कोई खरीद अथवा संपत्ति की प्राप्ति का अधिकार जैसा निदेशक उचित समझें अथवा जिसे समान्य तौर पर संतोषजनक बताया जाए।
- (ज) उपबंधों के प्रबंधों एवं लागू नियमों के अनुसार किसी संपत्ति, अधिकार अथवा सुविधाओं की प्राप्ति हेतु अथवा संपत्ति के लिए कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं पूर्णत: आंशिक रूप से शेयरों, बांड्स, डिबेंचरों, मोर्टगेज अथवा अन्य कंपनी की भुगतान प्रतिभूति जैसे पूर्णत: अदा किए हुए शेयर जारी किए जा सकते अथवा ऐसे राशि जिसे अदा के रूप में भुगतान किया गया हो अथवा कंपनी के किसी अंश अथवा पूर्ण हिस्से हेतु उसे गैर मांगी गई पूंजी अथवा उस प्रकार से न प्रभारित हो।
- (झ) किसी करार को पूरा करने के लिए अथवा की गई संविदा को पूरा करने हेतु कंपनी द्वारा मोर्टगेज अथवा सभी करार को मोर्टगेज अथवा किसी शुल्क और गैर मांगी गई पूंजी जैसा वो इसे करने के लिए सही समझे। द्वारा सुरक्षित करना
- (न्न) किसी सदस्य द्वारा जैसा भी नियम के अंतर्गत मान्य हो उसके शेयर की वापसी अथवा उसका कोई हिस्सा जैसा सदस्यों द्वारा शेयर की कि उसके साथ समझौता किया गया हो। वापसी
- (ट) पैसे उधार लेने अथवा बढ़ाने अथवा उसे सुरक्षित करने के लिए वह तरीका जैसा कंपनी मामला विशेष में सही पैसा उधार लेने समझे डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टॉक जारी करेगी, पूर्ववर्ती अथवा अन्य प्रकार से कंपनी के प्रापर्टी पर (मौजूदा एवं भविष्य) लगाए गए प्रभार।
- (3) चालू खाता खोलने एवं चलाने के लिए, ओवर ड्राफ्ट खाते किसी बैंक अथवा बैंकों से कंपनी के कार्य को करने बैंको के साथ कार्य हेतु।
- (ड) कंपनी से संबंधित किसी भी प्रोपर्टी के लिए ट्रस्ट जिसमें वह रूचि रखते हों और ऐसे सभी कायों को जो किसी ट्रस्टियों की नियुक्ति ट्रस्ट से संबंधित हों और इन ट्रस्टियों को पारिश्रमिक प्रदान करना।
- (ढ) संस्थान, आचरण, बचाव कंपाउड जैसा मध्यस्ता के लिए बताया गया है अथवा जैसा किसी भी कानूनी कार्यवाई किए गए कायों की में किसी भी कोर्ट में, अधिकारण एवं अन्य किसी न्यायिक फोरम में अथवा कंपनी के विरूद्ध अथवा उसके रक्षा अधिकारियों अथवा कंपनी से संबंधित मामलों और जिसे भुगतान हेतु समय की अनुमति अथवा किसी देय ऋण के संतुष्टि एवं अथवा कोई दावा अथवा मांग जिसे कंपनी से किया जाए।
- (ण) किसी दावे अथवा मांग अथवा अंतर अथवा कंपनी के विरूद्ध अथवा किसी करार अथवा संविदा को करने के मध्यस्ता की लिए मध्यस्ता एवं अथवा किसी कोर्ट, अभिकरण एवं अन्य किसी न्यायिक फोरम एवं पालन, पवर्तन, निष्पादन, सिफारिश सम्रग्र अथवा चुनौती जैसे उसके निवारण के लिए कार्रवाई शुरू करना।
- (त) कंपनी के ऋण दाताओं के लिए ट्रस्टी के स्वरूप में कार्य करना अथवा कंपनी की ओर से सभी मामलों में जिसमें ट्रस्टी के स्वरूप में दिवालिया घोषित किया गया हो में सम्मिलित वाले मामलों में कार्य करना। कार्य करना
- (थ) रसीद बनाना एवं देना जारी करना एवं अन्य कार्य कंपनी को देय पैसें के संबंध में करना और कंपनी के लिए दावे रसीद देना एवं बनाना एवं मांग करना।
- (द) अधिनियम की धारा 179 एवं 186 के प्रावधानों के तहत निवेश एवं किसी प्रकार के पैसे संबंधी संव्यवहार जो कंपनी की निधि का तत्काल जरूरी नहीं हो ऐसी प्रतिभूति (उस कंपनी के शेयर नहीं होने की स्थिति में) अथवा बिना प्रतिभूति के एवं ^{निवेश} उस प्रकार से जैसा वे उचित समझें एवं ऐसा समय-समय पर ऐसे निवेशों के लिए अलग-अलग आकार का हो सकता है। अधिनियम की धारा 187 जैसा उपबंध करती है सभी निवेश को कंपनी के खुद के नाम से किए जाना चाहिए।

- s. To execute in the name and on behalf of the Company or in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any personal liability whether as principal or surety, for the benefit of the Company, such mortgages of the Company's property (present or future) as they think fit, and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, provisions, covenants and agreements as shall be agreed upon.
- t. To determine from time to time who shall be entitled to sign, on Company's behalf, bills, notes, receipts, acceptances, endorsements, cheques, dividends, warrants, releases, contracts and documents and to give the necessary authority for such purpose.
- u. Subject to provisions of Applicable Law, to give a Director or any officer or any other person whether employed or not by the Company, Share or Shares in the profits of the Company, commission on the profits of any particular business or transaction; and to charge such bonus or commission as part of the working expenses of the Company.
- v. To provide for the welfare of Directors or ex-Directors or employees or ex-employees of the Company and their wives, widows and families or the dependents or connections of such persons by building or contributing to the building of houses, dwellings or by grants of money, pension, gratuities, allowances, bonus or other payments, or by creating and from time to time subscribing or contributing to provident and other associations, institutions; funds or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instructions and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendance and other assistance as the Board shall think fit.
- w. To subscribe or contribute or otherwise to assist or to guarantee money to charitable, benevolent, religious, scientific, national or other institutions or objects which shall have any moral or other claim to support or aid by the Company, either by reason of locality of operation, or of public and general utility or otherwise.
- x. Before recommending any Dividend, to set aside out of the profits of the Company such sums as they may think proper for depreciation or to Depreciation Fund, or to an Insurance Fund, or as a Reserve Fund, or Sinking fund, or any Special Fund to meet contingencies or to repay Debentures or Debenture stock, or for special dividends or for equalized dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company or for such other purpose (including the purposes referred to in the preceding clause), as the Board may, in their absolute discretion, think conducive to the interest of the Company, and subject to Section 179 of the Act, to invest the several sums so set aside or so much thereof as required to be invested upon such investments (other than Shares of the Company) as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and apply and expand all or any part thereof for the benefit of the Company, in such manner and for such purpose as the Board in their absolute discretion think conducive to the interest of the Company, notwithstanding that the matters to which the Board apply or upon which they expend the same, or any part thereof, may be matters to or upon which the capital moneys of the Company might rightly be applied or expended; and to divide the reserve into such special Funds as the Board may think fit, with full power to transfer the whole, or any portion of a Reserve Fund or division of a Reserve Fund to another Reserve Fund or division, of a Reserve Fund and with full power to employ the assets constituting all or any of the above Funds, including the Depreciation Fund, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Debentures or Debenture stock, and without being bound to keep the same, separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, however, Board at their discretion to pay or allow to the credit of such funds interest at such rate as the Board may think proper.

To execute mortgages

To sign on behalf of the company

To give shares in the profits of the company/ commission on the profits.

To give bonus

To subscribe to other Objectives

To create depreciation and other funds

- (ध) कंपनी की ओर से उसके नाम पर अथवा किसी अन्य निदेशक अथवा अन्य व्यक्ति जो खर्च करें अथवा खर्च मोर्टगेज करना। करने वाला हो कोई निजी देयताएं चाहे वह मूलधन अथवा सुरक्षा कंपनी की हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो कंपनी के प्रोपर्टी को मोर्टगेज (मौजूदा अथवा भविष्य) जैसा वे ठीक समझे कर सकते हैं और ऐसा कोई भी मोर्टगेज उससे बेचने का अधिकार एवं अन्य अधिकार उपबंध जैसा कि इससे संबंधित करार में माना गया हो।
- (न) समय-समय पर यह निर्धारित करना की कंपनी की तरफ से बिल, नोटों, रसीदों, प्राप्तियों, प्रविष्टियों, चेकों कंपनी की ओर से डिबेडेंड, वारंटों जारी किए जाने वाले, संविदाओं एवं कागजातों पर हस्ताक्षर करने का पात्र होगा। इस संबंध में हस्ताक्षर करने के आवश्यक प्राधिकार देना।
- (प) लागू विधियों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक अथवा अन्य अधिकारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो नियुक्त कंपनी के फायेद में हो अथवा नहीं शेयर अथवा शेयरों जो कि कंपनी के लाभों में से हों किसी विशेष व्यवसाय से अर्जित लाभ से से हिस्सा देना/फायेद कमिशन अथवा संव्यवहार एवं ऐसे प्रभार जैसे बोनस अथवा कमिशन जोकि कंपनी के व्यय का हिस्सा हो।
- (फ)कंपनी के निदेशकों पूर्व निदेशकों अथवा कर्मचारियों अथवा पूर्व कर्मचारियों के हितों के लिए उनकी पत्नियों, बोनस प्रदान विधवाओं एवं परिवारजनों अथवा आश्रितों अथवा उनके सगे-संबंधियों अथवा के लिए घर बनाने में हिस्सेदारी करना, निवास बनाना अथवा पैसे देना, पेंशन, भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतान अथवा समय-समय पर भविष्य निधि में अंशदान एवं अन्य संघों, संस्थानों को निधियां अथवा ट्रस्ट और उनके मनोरंजन के लिए स्थान बनाने, अस्पताल, डिस्पेंसरियों, चिकित्सा एवं अन्य सहायताओं जैसा बोर्ड ठीक समझें प्रदान करना।
- (ब) अंशदान अथवा हिस्सेदारी, अन्यथा अन्य प्रकार की सहायता अथवा चेरिटेवल मनी की गारंटी बेनेवलेंट फंड, अन्य वस्तुओं के लिए धार्मिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय एवं अन्य संस्थानों अथवा वस्तुओं जो किसी भी प्रकार के मानवीय तथा अन्य दावों ^{अंशदन} से संबद्ध हो अथवा जिनके लिए कंपनी द्वारा सहायता चाहे उसके क्षेत्र विशेष में अवस्थिति अथवा जनमानस एवं सामान्य व्यक्तियों के उपयोग की वस्तुओं अथवा अन्यथा दूसरा कुछ हो के लिए अंशदान दे सकेगा।
- (भ) अन्य किसी लाभ की सिफारिश करने से पहले कंपनी के लाभ को एक तरफ करके इस प्रकार की राशि को मूल्यहास एवं अन्य निधियां बनाने जैसा वे उसके मुल्यहास के लिए उपयुक्त समझे अथवा निधि का मुल्यहास अथवा बीमा की निधि अथवा संरक्षित निधि अथवा स्टिंग फंड अथवा अन्य कोई विशेष निधि जो किसी आपातकालीन खर्चे को वहन करने के लिए अथवा डिबेंचर स्टॉक अथवा विशेष लाभों को प्रदान करने के लिए अथवा लाभों को बराबर करने के लिए कंपनी के किसी संपत्ति मरम्त, सुधार, विस्तार एवं रख-रखाव के लिए अथवा ऐसे किसी अन्य उद्देश्य (वे उद्देश्य इससे पहले के उपखंडों में बताए गए हैं) जैसा बोर्ड ठीक समझें और जैसा बोर्ड निर्णय करें और जो बोर्ड कंपनी के हित में सही समझें और ऐसा इस अधिनियम की धारा 179 अनुसार निवेश हेतु कुछ राशि को अलग कर सकती है अथवा उसमें से कुछ हिस्से को ऐसे निवेशों (कंपनी के शेयरों को छोड़कर) जैसा वे ठीक समझें और जैसा वे समय-समय पर इन निवेशों में अंतर भी हो सकता है और यह इसके किसी हिस्से अथवा पुरे पर लागू हो सकता है यह उस प्रकार से बोर्ड उनके विचार में कंपनी के हित के लिए बेहतर समझें। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहाँ बोर्ड अथवा वे उसे खर्च करते हैं अथवा कंपनी के पूंजीगत राशि को लगाते हैं और उसमें सुरक्षित निधियों को जैसे बोर्ड ठीक समझे निवेश कर सकती है इसका पूर्ण अथवा उसके किसी हिस्से को जो कि सुरक्षित निधि अथवा सुरक्षित निधि का हिस्सा अथवा दूसरे भाग में पूरे शक्तियों सहित निवेश कर सकेगी जिससे कोई पूरी अथवा कोई उपरोक्त निधि से परिसंपत्ति तैयार होती हो इसमें मुल्यहास निधि सम्मिलित है यह कंपनी के कार्य अथवा संव्यवहार अथवा खरीद अथवा डेबेंचरों के पुर्नभुगतान एवं इसे रखने के बाध्य हुए बिना परिसंपत्ति का अलग हिस्सा बना सकते हैं और उस पर ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं होंगे यद्यपि बोर्ड उसके स्वविवेकानुसार उसके ऋण को ब्याज जैसा बोर्ड ठीक समझे वह दे सकता है।

- y. Subject to the provisions of the Act to appoint, and at their discretion remove or suspend such executive directors, general managers, managers, company secretary, assistants, supervisor, clerks, agents and servants of permanent, temporary or special services as they may from time to time think fit, and to determine their powers and duties and fix their salaries or emoluments or remuneration, and to require security in such instances and to such amount as they may think fit also from time to time provide for the management and transaction of the affairs of the Company in any specified locality in India, or elsewhere in such manner as they think fit.
 - To comply with the requirements of any local law which in their opinion it z. aa. shall, in the interest of the Company, be necessary of expedient of comply with;
 - Subject to applicable provisions of the Act and Applicable Law made bb. thereunder, to appoint purchasing and selling agents for purchase and sale of Company's requirement and products respectively.
 - From time to time and at any time to establish any local board for managing cc. any of the affairs of the Company in any specified locality in India or elsewhere and to appoint any persons to the members of such local boards and to fix their remuneration.
 - dd. Subject to Section 179 & 180 of the Act from time to time and at any time, delegate to any person so appointed any of the powers, authorities and discretion for the time being vested in the Board, other than their power to make calls or to make loans or borrow or moneys, and to authorise the Members for the time being of any such local board, or any of them to fill up any vacancies therein and to act notwithstanding vacancies, and any such appointment or delegation may be made on such terms and subject to such conditions as the Board may think fit, and the Board may at any time remove any person so appointed, and may annul or vary any such delegation.
 - At any time and from time to time by power of attorney under the Seal of the ee. Company, to appoint any person or persons to be the Attorney or Attorneys of the Company, for such purposes and with such powers, authorities and discretion (not exceeding those vested in or exercisable by the Board under these presents and excluding the powers to make calls and excluding also, except in their limits authorised by the Board, the power to make loans and borrow money') and for' such period and subject to such conditions as the Board may from time to time think fit; and any such appointment may (if the Board thinks fit) be made in favour of the members or any of the Members of any Local Board, established as aforesaid or in favour of any Company, or the Share holders, Directors, nominees or managers of any Company or firm or otherwise in favour of any fluctuating body of persons whether nominated directly by the Board and any such power of Attorney may contain such powers for the protection or convenience of persons dealing with such attorneys as the Board may think fit and may contain powers enabling any such delegates or attorneys as aforesaid to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in them;
 - ff. Subject to Sections 184 and 188 of the Act, for or in relation to any of the matters aforesaid or otherwise for the purposes of the Company to enter into all such contracts, agreements and to execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient;
 - Subject to the provisions of the Act, the Board may pay such remuneration to gg. Chairman / Vice Chairman of the Board upon such conditions as they may think fit.
 - hh. To take insurance of any or all properties of the Company and any or all the employees and their dependants against any or all risks.

40

To take insurance

To appoint officers

To establish local Bodies

- (म) अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन प्रबंध निदेशकों, महाप्रबंधकों, प्रबंधनों कंपनी सचिव, सहायकों, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों की क्लकों, एजेंटो एवं स्थायी अथवा विशेष सेवाओं के सेवादारों जैसाकि समय-समय पर उचित समझें उन्हें अपने नियुक्ति विवेकानुसार नियुक्त अथवा बर्खास्त कर सकती है और उनके वेतन अथवा तन्ख्वाह अथवा पारिश्रामिक तथा ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार प्रबंधन के लिए वह भी उस स्तर की जैसा वे स्वविवेकानुसार उचित समझें कंपनी का कार्य भारत के किसी स्थान विशेष अथवा कहीं और जिस स्वरूप में वे उचित समझें कर सकती हैं।
- (य) (कक) किसी स्थानीय कानून का उनके विचार से अनुपालन कंपनी के हित में कंपनी के कार्य क लिए जरूरी हों।
 - (खख)अधिनियम के लागू प्रावधनो के तहत और उसके भीतर बनाए गए कानून के अंतर्गत खरीदकर्ता एवं बिक्रिकर्ता ऐजेंटो की नियुक्ति और कंपनी की आवश्यकतानुसार क्रमश: सामानों की खरीद एवं बिक्री करवाना।
 - (गग) समय-समय पर तथा समय विशेष पर कोई स्थानीय बोर्ड का गठन कंपनी का कोई कार्य विशेष भारत के स्थानीय निकाय किसी हिस्से अथवा कहीं भी और किसी भी व्यक्ति को उस स्थानीय बोर्ड का सदस्य बनाना और उनका ^{बनाना} पारिश्रामिक नियत करना।
 - (घघ) अधिनियम की धारा 179 एवं 180 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर एवं किसी विशेष समय पर ऐसे नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अधिकार एवं उसे स्वविवेकानुरूप उस समय विशेष तक जैसा बोर्ड को प्राप्त हैं और ये अधिकार, प्राधिकारी उन्हें प्रदान उन अधिकारों, प्राधिकारों को छोड कर होंगे जिसके अनुसार वे किसी को बुला सकते अथवा ऋण प्रदान करने अथवा उधार प्राप्त करने अथवा रुपया प्राप्ति के लिए हैं और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनके यहां किसी रिक्ति को भरने के लिए यह योजना अधिकार इस सीमा तक सीमित होगा जैसा बोर्ड तय समय ठीक समझें। बोर्ड इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को कभी भी हटा सकती है और उन्हें प्राप्त अधिकार वापस भी ले सकती है।
 - (डड) बोर्ड समय-समय पर एवं किसी विशेष समय पर कंपनी की सील के तहत किसी व्यक्ति को कंपनी का एटार्नियों अथवा एटार्नियों के तौर पर नियुक्त कर सकती है और ऐसा इस उद्देश्य के लिए जैसा वह उचित समझें और उसे वह अधिकार व शक्तियां तथा स्वाविवेकानुरूप (उन अधिकारों से ज्यादा नहीं जो बोर्ड द्वारा मौजूदा नियमों के तहत लोगों को बुलाने और उन्हें हटाने का भी सिर्फ उतना जितना बोर्ड द्वारा दिया जाए, ऋण देने एवं पैसा उधार प्राप्त करने को छोडकर) और उस अविध तक और उन शर्तों के अधीन जैसा बोर्ड समय-समय पर ठीक समझें और ऐसी कोई नियुक्ति को (यदि बोर्ड ठीक समझें) तो उसे सदस्यों के पक्ष में अथवा किसी स्थानीय बोर्ड के किसी सदस्य जिसे जैसा ऊपर बताया गया है गठित किया जाए अथवा किसी कंपनी के पक्ष में अथवा शेयर धारकों, निदेशकों, नामितों अथवा किसी कंपनी के प्रबंधकों या फर्म अथवा अन्यथा किसी फलक्चुएटिंग निकाय के सदस्यों चाहे सीधे बोर्ड द्वारा नामित हों और ऐसी कोई एटार्नी जिसमें ऐसी एटार्नी के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी अधिकार जैसा बोर्ड ठीक समझें और इन अधिकारों में एटार्नी को यह अधिकार भी होगा कि वह उसके पूरे या हिस्से के किसी अधिकार, प्राधिकारों को उप प्रायोजित कर सकेगा जो उसे प्राप्त हैं।
 - (चच) अधिनियम की धारा 184 एवं 188 के प्रावधानों के तहत अथवा उपरोक्त किसी मामले में अथवा अन्यथा कंपनी के लिए उन सभी करारों, अनुबंधों को कर सकता है और वे सभी कार्य कर सकेगा जो कार्य या चीजें कंपनी के हित में वह जरूरी समझें।
 - (छछ) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड, बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को वह पारिश्रामिक मंजूर कर सकता हैं जो वे ठीक समझें।
 - (जज) कंपनी को किसी एक संपत्ति अथवा सभी कंपनियों हेतु बीमा कर सकते हैं एवं अथवा सभी कर्मचारियों बीमा प्राप्त करना और उनके आश्रितों हेतु किसी विशेष अथवा सभी प्रकार के स्तरों के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं।

- ii. To take insurance on behalf of its CMD/Managing Director/CEO, Wholetime Director, Directors, Manager, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer or Company Secretary or any officer or employee of the Company for indemnifying any of them against any liability in respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty or breach of trust for which they may be guilty in relation to the Company.
- jj. To invest and deal with any of the moneys of the Company in any currency not immediately required for the purposes thereof, upon such securities and in such manner as they may think fit and from time to time to vary or realize such investment, subject to compliance of RBI and Government guidelines as issued from time to time.
- kk. to subscribe or otherwise to assist or to guarantee money to scientific institutions or objects.
- 11. to create such posts of Executive Director below Board level in the appropriate To create scales of pay and also create such other posts below ED level as they may posts consider necessary for efficient conduct of the Company's Affairs and determine the scale of pay and other terms thereof.
- mm. to authorize, the undertaking of works of a capital nature where Detailed Project Reports have been prepared with estimates of different components parts of the Project and to invite and accept tenders relating to works included in the approved estimate provided such variations are not more than 10% for any particular component part and do not substantially change the scope of the Project.
- to authorize the undertaking of works of a Capital nature, not covered by nn. clause (mm) above, If required to be taken up in advance of the preparation of a Detailed project Report or otherwise as individual works, whether as part of existing or new schemes, not exceeding the limits contained in the guidelines issued by the Govt. from time to time.
 - (i) the project should be included in the approved Five Year and annual Plans and outlays provided for,
 - (ii) the expenditure on such works in subsequent years will be the first call on the respective allocations; and
 - the required funds can be found from the internal resources of the (iii) company and the expenditure is incurred on schemes included in the capital budget approved by the Government.
- the enhanced delegation will be applicable in respect of projects for which no 00. budgetary supports is envisaged i.e. projects funded 100% from IEBR. The term IEBR (Internal and Extra Budgetary Resources) for this purpose would include extra budgetary resources such as bonds, ECB and other similar mobilization made on their own internal strength by the PSUs but excluding Govt. guaranteed borrowings.
- to appoint attorneys from time to time to provide for the management of To appoint pp. the affairs of the company outside the housing and infrastructure finance attorneys areas which in the context includes the townships and sites of operations of the company in such manner as they think fit, and in particular to appoint any person to be the attorney or agent of the company with such powers (including power to sub-delegate) and upon such terms as may be thought fit.

Work of capital nature

- (झझ) बोर्ड उनके सीएमडी/प्रबंध निदेशक/सीईओ, पूर्णकालिक निदेशक, निदेशकों, प्रबंधक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी अथवा कंपनी सचिव अथवा अन्य अधिकारी अथवा कर्मचरियों को बीमाकृत करना जो होने वाली किसी भी देनदारी जो कि किसी लापरवाही, गलती, डयूटी के प्रति उल्लंघन अथवा भरोसे का उल्लंघन है और जो उनके द्वारा कंपनी के संबंध में हुई हो के लिए बीमा कर सकते हैं।
- (न्नन्न) कंपनी की उस राशि का विशेष, जिसकी उस समय आवश्यकता नहीं है और उसकी प्रतिभूति उस स्वरूप में जैसा वे ठीक समझें और उसे वे करवा भी सकती है और ऐसा वे समय-समय पर कर सकते हैं और ऐसा करने में वे आरबीआई के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।
- (टट) वे वैज्ञानिक संस्थानों अथवा वस्तुओं की गारंटी अथवा उसकी सहायता या अन्यथा अथवा उन्हें सबसक्राइब कर सकते हैं।
- (ठठ) बोर्ड के नए कार्यपालक निदेशक पदों का सृजन उपुयक्त वेतनमान में कर सकते हैं और ऐसी अन्य पदों पदों का सृजन जो कि कार्यपालक निदेशक से निचले स्तर के पद हो का सृजन कर सकती है जो वह कंपनी के जरूरी कार्य करने के लिए जरूरी समझें और इन पदों के वेतनमान और उनकी अन्य शर्ते बना सकती हैं।
- (डड) कैपिटल किस्म के कार्यों के लिए प्राधिकृत करना जहाँ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई गई है और जहाँ कैपिटल किस्म के परियोजना के दूसरे हिस्सों का आकलन तैयार किया गया हो और उसके लिए टेंडर आमंत्रित करके उसे ^{कार्य} स्वीकार करना और मंजूर आकलन में सम्मिलित हों और उनके किसी भी हिस्से में 10 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और जिसके परियोजना की दिशा में ही बदलाव नहीं हो जाती।
- (ढढ) उन बड़े किस्म के कार्यों की मंजूरी जो उक्त (एम) के तहत नहीं आते और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने से पहले उसकी जरूरत है अथवा अलग से कार्य के संदर्भ में चाहे वह मौजूदा या नई योजना का हिस्सा हो और यह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (i) परियोजना को मंजूर पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना एवं प्रदान की गई रूपरेखा में शामिल होना ही चाहिए।
 - (ii) बाद के वर्षों में ऐसे कार्यों पर होने वाला व्यय संबंधित आबंटन में सर्वप्रथम होना चाहिए।
 - (iii) अपेक्षित धनराशि को कंपनी के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए और इस योजना में किया गया खर्च सरकार द्वारा मंजूर कैपिटल बजट में सम्मिलित होना चाहिए।
- (णण) बढ़ा हुआ प्रत्यायोजन उन परियोजनाओं के लिए लागू होगा जिसके लिए कोई बजटीय सहायता नहीं बनाई गई अर्थात वे परियोजनाएं जिन्हें शत-प्रतिशत आईईबीआर से फंड दिया गया। आईईबीआर (आंतरिक एवं बजट म्रोतों के अतिरिक्त) का तात्पर्य है और इस उद्देश्य में अतिरिक्त बजटीय म्रोतों जैसे बांड्स, ईसीबी एवं अन्य समान मोबलाइजेशन जो स्वयं द्वारा किए गए हैं और जो अपनी आंतरिक शक्तियों पर सरकारी क्षेत्र के निकायों से संबद्ध है किंतु इसमें सरकार की गारंटी दी हुई उधारी नहीं सम्मिलित है।
- (तत) समय-समय पर अटार्नी नियुक्त करना जो कंपनी के प्रबंधकीय मामलों के लिए जो कंपनी के हाउसिंग एवं अटार्नी की नियुक्ति मूलभूत सुविधाओं के वित्तीय क्षेत्र से बाहर है और इस संदर्भ में कंपनी की टाउनशिप और उसके कार्यरत क्षेत्र शामिल हैं और इसके लिए बोर्ड जैसा ठीक समझें कर सकती है और विशेषकर किसी व्यक्ति के कंपनी का एटार्नी या एजेंट नियुक्त कर सकती है और उसे वह अधिकार दे सकती है (इसमें उसको पुन अधिकार प्रत्योजित करने का अधिकार) और ऐसा जितने समय के लिए बोर्ड ठीक समझें।

to promote or establish wholly or partly owned companies or subsidiaries or qq. joint venture/technical joint venture and to participate in their share capital and to exercise powers as per Government's guidelines issued in this regard from time to time.

(i) The Board shall provide a common Seal to the Company, and shall have rr. power from time to time to destroy the same and substitute a new Seal in lieu thereof and the Seal shall never be used except by the authority of the Board or a Committee of the Board previously given. The Company shall also be at liberty to have an official Seal for use in any territory, district or place outside India.

> The Seal shall not be affixed to any instrument except by the authority of the resolution of the Board of Directors or of a Committee of the Board authorised by it in that behalf, and except and in the presence of atleast one Director or the Company Secretary or such other person as the Board may specify/appoint for the purpose. The custody of the seal shall always remain with the Company Secretary of the Company.

- Subject to the provisions of the Act and of these Articles, the President (ii) shall have the power to appoint any of the Board member(s) as CMD/ Managing Director(s)/CEO of the company for fixed term not exceeding five years at a time and upon such terms and conditions as the President thinks fit and subject to the provisions of these Articles the Board may by resolution vest in such Managing Director(s) such of the powers hereby vested to the Board generally as it thinks fit, and such powers may be made exercisable for such period or periods and upon such conditions and subject to such restrictions as it may determine.
- ss. (i) Subject to the article above, the powers conferred on the CMD/Managing Director/CEO shall be exercised for such objects and purpose and upon such terms and conditions and with such restrictions as the Board may think fit and it may confer such powers either collateral with or to the exclusion of and in substitution of all or any of the powers of the Board in that behalf and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers. CMD/Managing Director/CEO shall not exercise any powers under Section 179 of Act except such powers which can be delegated under the Act and specifically delegated by a resolution of the Board.
 - (ii) The Board of Directors may, subject to Section 179 of the Act, entrust to and confer upon a CMD/CEO/Managing or whole time Director, any of the powers exercisable by them, upon such terms and conditions and with such restrictions, as they may think fit and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may, from time to time, revoke, withdraw or alter or vary all or any of such powers.
- To structure and implement schemes relating to personnel and Human Personnel tt. Resource Management, training, Voluntary or Compulsory Retirement Scheme.

48. VIGIL MECHANISM

Company shall establish a vigil mechanism for their Directors and employees to report their genuine concerns or grievances. Audit Committee shall oversee the vigil mechanism. The vigil mechanism shall provide for adequate safeguards against victimization of employees and Directors who use the vigil mechanism and also provide for direct access to the Chairman of the Audit Committee in appropriate or exceptional cases. In case of repeated frivolous complaints being filed by a Director or an employee, the audit Committee may take suitable action against the concerned Director or employee including reprimand.

To promote joint venture and subsidiaries

Affixation of Seal

Powers conferred on the CMD/ Managing **Director/CEO**

Policies etc

Vigil Mechanism (थथ) ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देना जो पूर्णत: या आंशिक रूप से संयुक्त उपक्रम/तकनीकी संयुक्त उपक्रम हों संयुक्त उपक्रमों एवं सहायक कंपनियों को और उनके शेयर कैपिटल हों और इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बढावा देना कार्य करते हों।

- (दद) (i) बोर्ड कंपनी को एक कॉमन सील देगा और उसे अधिकार होगा कि वह समय-समय पर उसे नष्ट सील का निर्धारण कर दें और उसकी जगह नहीं बनवा दें और इस सील का प्रयोग बिना बोर्ड की अनुमति या बोर्ड की समिति के पहले से अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। कंपनी स्वतंत्र होगी कि वह अपनी सील का प्रयोग कंपनी की सीमा या कंपनी के बाह्य अथवा भारत के बाह्य क्षेत्र में कर सकें।
 - इस अधिनियम और इसके अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा कि वह (ii) बोर्ड के किसी सदस्यों को सीएमडी/प्रबंध निदेशक/कंपनी का सीईओ नियत अवधि के लिए नियुक्त कर दें जो एक साथ पांच वर्ष से ज्यादा नहीं होगी और वह भी उन शर्तों और नियमों के अनुरूप जैसा प्रेसीडेंट इस अधिनियम और उसके अनुच्छेदों के तहत ठीक समझें। वह अधिकार दे सकती हैं जो सामान्यत: बोर्ड के पास होते हैं जैसा वह ठीक समझें और इस प्रकार के अधिकारों को उस अवधि का प्रयोग किया जा सकेगा जहाँ तक उन्हें निर्धारित किया जाए।
- उपरोक्त अनुच्छेद के तहत सीएमडी/प्रबंध निदेशक/सीईओ के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग उन सीएमडी/प्रबंध (धध) (i) वस्तुओं एवं उद्देश्यों के लिए उन प्रतिबंधों सहित करेगें जैसा बोर्ड उचित समझें और वह ऐसा अधिकरण संयुक्त रूप से अथवा एकल आधार पर प्रयोग पर नियम कर सकती है अथवा इन अधिकारों को घटा या बढ़ा समय-समय पर कर सकती हैं। सीएमडी/प्रबंध निदेशक/सीईओ इस अधिनियम की धारा 179 के तहत प्रदत्त अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं करेंगे जब तक वह उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड के संकल्प पारित करके प्रदान नहीं कर दिया जाए।
 - निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 179 के तहत सीएमडी/प्रबंध निदेशक/सीईओ को अथवा (ii) पूर्णकालिक निदेशक को उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी अधिकार को उन नियम और शर्तों के अधीन और प्रतिबंधों सहित दे सकता है जैसा वे सही समझें और चाहे बोर्ड के समग्र सहयोग अधिकार अथवा उनके स्वयं के अधिकार समय-समय पर दे या वापस कर सकते हैं।
 - ऐसी योजनाओं एंव संरचना को लागू करना जो कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण स्वैच्छिक कार्मिक नीतियाँ (नन) आदि अथवा अतिकार्य सेवा निवृत्त से संबंधित है ।

48. सतर्कता संबंधी कार्य

कंपनी अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सतर्कता संबंधी गतिविधियों हेतु एक रूप रेखा निर्धारित करेगी जिसमें सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ उनके उपयुक्त चिंताओं अथवा शिकायतों का निवारण किया जायेगा। ऑडिट कमेटी सतर्कता गतिविधियों देखेगी। सतर्कता गतिविधियों से कर्मचारियों एंव निदेशकों को दोषी ठहराये जाने से रक्षा की जा सकेगी और जो सीधे अध्यक्ष को ऑडिट कमेटी किसी विशिष्ट उपुयक्त मामलों में संपर्क कर सकेगी ऐसे मामले जहाँ निदेशक द्वारा या कर्मचारी द्वारा बार-बार शिकायत की जा रही हो वहाँ समिति संबंधित निदेशक या कर्मचारी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है और यहां तक कि उसे ठीक कर सकेगी।

निदेशक/सीईओ के प्रदत्त अधिकार

49. DUTIES OF DIRECTORS

1. Subject to the provisions of this Act, a director of a company shall act in accordance with the articles of the company.

Duties of Directors

- 2. A director of a company shall act in good faith in order to promote the objects of the company for the benefit of its members as a whole, and in the best interests of the company, its employees, the shareholders, the community and for the protection of environment.
- 3. A director of a company shall exercise his duties with due and reasonable care, skill and diligence and shall exercise independent judgment.
- 4. A director of a company shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts, or possibly may conflict, with the interest of the company.
- 5. A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relatives, partners, or associates and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company.
- 6. A director of a company shall not assign his office and any assignment so made shall be void.
- 7. If a director of the company contravenes the provisions of this section such director shall be punishable with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.
- 8. The Board shall:
 - (a) Periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Company, as well as the steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances.
 - (b) satisfy itself that plans are in place for orderly succession for appointment to the board of directors and senior management.
 - (c) lay down a code of conduct for all members of board of directors and senior management of the listed entity .The code of conduct shall suitably incorporate the duties of independent directors as laid down in the Act.
 - (d) be responsible for framing, implementing and monitoring the risk management plan for the Company. The Company shall lay down procedures to inform members of board of directors about risk assessment and minimization procedures

50. MANAGER, COMPANY SECRETARY OR CHIEF FINANCIAL OFFICER

Subject to the provisions of the Act and Applicable Law,-

- (a) A Manager, Company Secretary or Chief Financial officer may be appointed at a Board Meeting for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer so appointed may be removed by means of a resolution at a Board Meeting;
- (b) The Board may also designate the head of the financial function to be the CFO of the Company.

51. FUNCTIONS OF THE COMPANY SECRETARY

The functions of a Company Secretary shall be in accordance with Section 205 of the Act and other Applicable Law.

Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer

Functions of The Company Secretary

49. निदेशक के कार्य

- 1. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का निदेशक कंपनी के अधिनियम के अनुच्छेदों के अनुरूप कार्य करेगा। निदेशकों के कार्य
- कंपनी का निदेशक अपने सदस्यों के हितों के पक्ष में अच्छी मंशा से कार्य करेंगे और ऐसा करने में वह कही, कर्मचारियों, अंशधारकों, सामान्य एवं वातावरण की रक्षा के लिए बेहतर एवं हित का ध्यान रखेगा।
- 3. कंपनी का निदेशक उनका कार्य पूरा और सम्यक सावधानी कौशल एवं निष्ठा से निष्पक्ष स्वरूप में कार्य करेगा।
- कंपनी के निदेशक ऐसी किसी स्थिति से बचेगें जिसमें उन्हें सीधे या परोक्ष रूप से लाभ हो रहा हो और कंपनी के हितों की अनदेखी हो जाए।
- 5. कंपनी के निदेशक किसी प्रकार के गैर-कानूनी लाभ न तो स्वयं नहीं उनके रिश्तेदारों के लिए सहयोगियों अथवा संबंधियों के लिए प्राप्त करेंगे इस प्रकार के किसी लाभार्जन का दोषी पाए जाने पर उन्हें उनके लाभ प्राप्ति के बराबर राशि का भुगतान कंपनी को करना होगा।
- 6. कंपनी का निदेशक उनका कार्यालय किसी और को नहीं देगें और ऐसा करना अवैध होगा।
- यदि कंपनी के निदेशक इस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे निदेशकों को कम से कम एक लाख और अधिकतम पांच लाख तक का जुर्माना देना होगा।
- 8. बोर्ड कर सकती है:-
 - (क) कंपनी के सभी लागू विधियों के कार्यान्वयन संबंधी आंशिक समीक्षा साथ ही साथ कंपनी द्वारा गैर अनुपालन को सुधारने हेतु भार भी उठा सकती है।
 - (ख) स्वयं को संतुष्ट करेगी कि सामान्य तौर पर बोर्ड के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधकों की नियुक्ति सही है।
 - (ग) बोर्ड के सभी निदेशक मंडल द्वारा पालन किए जाने हेतु एवं वरिष्ठ प्रबंधक के लिए आचार-संहिता पर्याप्त रूप में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य जैसा अधिनियम में बताया गया है पर ध्यान देगी।
 - (घ) वे कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन योजना को बनाने एवं उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। कंपनी बोर्ड के सदस्यों से जोखिम प्रबंध एवं उसके काम करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देगी।

50. प्रबंधक, कंपनी सचिव अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी

लागू विधियों एवं अधिनियम की धाराओं के उपबंधों के अनुसार:

- (क) प्रबंधक कंपनी सचिव अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड की बैठक में उस अवधि, उस नियत पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों के आधार पर होगा जैसा बोर्ड ठीक समझें और कोई प्रबंधक, कंपनी सचिव, अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी जिन्हें इस प्रकार नियुक्त किया गया हो उन्हें बोर्ड की बैठक में संकल्प पारित करके हटाया जा सकेगा।
- (ख) बोर्ड कंपनी के वित्तीय कार्यों हेतु सीएओ भी निर्धारित कर सकेगा।

51. कंपनी सचिव का कार्य

कंपनी सचिव का कार्य

प्रबंधक, कंपनी सचिव अथवा मुख्य

वित्तीय अधिकारी

अधिनियम की धारा 205 एवं अन्य लागू विधियों के अनुसार कंपनी सचिव का कार्य होगा।

52. DIVISION OF PROFITS AND DIVIDEND

- **Division of** (a) The profits of the Company available for payment of dividend, subject to any special rights relating thereto created or authorized to be created by these prescribed and subject to the provisions of those presents as to the reserve fund shall with the approval of the President be divisible amongst the members in proportion to the amount of capital paid up on the shares held by them respectively. Provided always that (subject as aforesaid) any capital paid upon a share during the period in respect of which a dividend is declared, shall unless the directors otherwise determine, only entitle the holder of such share to an apportioned amount of such dividends as from the date of payment.
- (b) The Company in Annual General Meeting may declare a dividend to be paid to the Dividend members according to their respective rights and interest in the profits and may fix the time for payment but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board. The Company in general meeting may, however declare a smaller Dividend. No Dividend shall bear interest against the Company. The dividend, if declared, shall be declared and disclosed on per share basis only.

Subject to the provisions of Section 123 of the Act and Applicable Law, the Board may from time to time pay to the Members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the Company.

There shall not be any forfeiture of unclaimed dividends and the Company shall comply with the applicable provisions of the Act relating to transfer of unclaimed and unpaid dividend to the Investor Education and Protection Fund or to any such other fund as may be required under applicable laws.

53. ACCOUNTS

The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what time and places as under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of members not being directors and no person (not being a Director) other than the President or his nominees shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by law or authorized by the Company in General meeting.

54. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The directors shall prepare and lay the financial statements before the Company in general meeting in accordance with Section 129 of the Act.

The Board of Directors shall, as per Section 134 of the Act, attach to the financial statements laid before a company in general meeting a report, which shall include such matter as are required under the Act and rules made thereunder or under the listing agreements or any other applicable law, to be included therein.

The financial statements shall give a true and fair view of the state of affairs of the company, comply with the accounting standards notified under the Act and shall be in the form or forms as may be provided under the Act. Provided that the items contained in such financial statements shall be in accordance with the accounting standards.

Without prejudice to the provisions of section 101, a copy of the financial statements, including consolidated financial statements, if any, auditor's report and every other document required by law to be annexed or attached to the financial statements, which are to be laid before a company in its general meeting, shall be sent to every member of the company, to every trustee for the debenture-holder of any debentures issued by the company, and to all persons other than such member or trustee, being the person so entitled, not less than twenty-one days before the date of the meeting.

Profits and Dividend

Interim Dividend

Unpaid or Unclaimed dividend

Inspection by members the accounts and books of the company

Financial **Statements**

Board's Report

Contents of financial statements

Financial Statement to be sent to members

52. लाभों एवं डिविडेंड का वितरण

- (क)कंपनी के लाभ डिविडेंड के रूप में भुगतान हेतु उपलब्ध होंगे बशर्ते कोई विशेष अधिकार दिया गया हो अथवा लाभों एवं डिविडेंड इनके द्वारा निर्धारित विशेष अधिकार को प्रक्रिया और सुरक्षित निधि के लिए बनाए गए उपबंध जिनकी प्रेसीडेंट का वितरण द्वारा मंजूरी के बाद सदस्यों के मध्य उस अनुपात जो उनके द्वारा धारित शेयर के लिए उसी प्रकार क्रमश: होगा जैसा उन्हें अदा किए गए कैपिटल का किया गया हो। बशर्ते हमेशा की तरह (उपरोक्त बताए अनुसार) उन्हें दिए गए कैपिटल जो उन्हें उस अवधि के लिए जिसके लिए डिविडेंड घोषित किया गया हो अथवा निदेशकों द्वारा अलग से निर्धारित किया जाए और उन्हें उस अवधि तक शेयर के बराबर राशि का भुगतान जो कि डिविडेंड के घोषित किए जाने की तारीख से देय होगा।
- (ख)कंपनी उसकी वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों को दिए जाने वाले डिविडेंड की घोषणा डिविडेंड उनके संबंधित डिविडेंड अधिकारों के संबंध में एवं लाभों में हितों एवं उसके भुगतान का समग्र निर्धारित किया जायेगा किंतु किसी भी दशा में डिविडेंड की राशि बोर्ड की सिफारिश की गई राशि से ज्यादा नहीं हो। कंपनी साधारण बैठक में यद्यपि समान डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। कोई भी डिविडेंड कंपनी के हितों के विपरीत नहीं होगा। यदि डिविडेंड घोषित किया गया तो उसे प्रति शेयर के हिसाब से घोषित किया जायेगा।

अधिनियम की धारा 123 के उपबंधों के अनुसार एवं लागू विधियों के अनुरूप बोर्ड समय-समय पर सदस्यों को आंतरिक डिविडेंड वह आंतरिक डिविडेंट का भुगतान कर सकती है। कंपनी के जिन लाभों को वह न्यायोचित समझें।

किसी गैर दावा किए गए डिविडेंड को जब्त नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों गैर भुगतान अथवा का पालन करेगी जिसके अनुसार भुगतान हेतु दावा नहीं किए जाने वालों को इन्वेस्टर ऐज्यूकेशन एवं प्रोटेक्शन ^{गै}र दावा किया गया फंड अथवा अन्य कोई अन्य निधियों को अंतर्गत किया जायगा जैसा लागू नियम में प्रावधान हो। डिविडेंड

53. लेखा

समय-समय पर निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि किस समय एवं किस सीमा तक किन परिस्थितियों में अथवा सदस्यों द्वारा कंपनी किन विनियमों के तहत कंपनी की सभी लेखों एवं पुस्तकें अथवा उनमें से कुछ बोर्ड के गैर निदेशक सदस्यों को एवं के लेखों एवं पुस्तकों किसी व्यक्ति को नहीं (जो निदेशक न हों) सिर्फ प्रेसीडेंट अथवा उनके नामिती को छोड़कर और किसी व्यक्ति को का निरीक्षण कोई अधिकार नही होगा कि वह कंपनी के लेखें एवं पुस्तकें दें सके सिवाय जैसा कि कानून में निहित हो अथवा जैसा कंपनी की साधारण बैठक में प्राधिकृत किया जाए।

54. वित्तीय विवरणी तैयार करना

अधिनियम की धारा 129 के अनुसार निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणी तैयार करके उसे कंपनी की साधारण बैठक में वित्तीय विवरणी रखेंगे।

- निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 के अनुसार बोर्ड की साधारण बैठक में वित्तीय विवरणी संलग्न करके साधारण बोर्ड की रिपोर्ट सभा की बैठक की रिपोर्ट कंपनी को देंगे जिसमें अधिनियम द्वारा अपेक्षित या उसके नियमानुसार लिस्टिंग ऐग्रीमेंट अथवा अन्य लागू विधियों के अनुसार उसमें सामग्री जोड़ सकेंगे।
- वित्तीय विवरणी कंपनी के मामले में पूरी तरह सत्य एवं उपयुक्त नजरिया प्रस्तुत करेगी जो अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय विवरणी की लेखा मानकों को उस स्वरूप में अधिसूचित करेंगी जो लेखा मानकों के तहत वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित की जा सामग्री सकेगी।
- बिना पूर्वाग्रह ग्रस्त हुए अधिनियम की धारा 101 के अनुसार वित्तीय विवरणियों में समेकित वित्तीय विवरणियों में यदि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं अन्य किसी दस्तावेज को वित्तीय विवरणी उसमें संलग्नक या जोड़ी जानी हो और वह भी किसी कानूनी बाध्यता के तहत जिसे कंपनी के साधारण बैठक में रखा जायेगा और इस कंपनी के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक ट्रस्टी जिन्हें कंपनी का कोई डिबेंचर जारी किया गया हो और प्रत्येक व्यक्ति को जो कंपनी के बोर्ड का सदस्य न हो अथवा ट्रस्टी न हो ऐसे पात्र व्यक्तियों को साधारण बैठक होने से कम से कम 21 दिन पहले दिया जाना चाहिए। बशर्ते लिस्टेड कंपनी के मामले में अधिनियम के उपबंध के तहत जिसका पालन किया जाना अनिवार्य हो यदि इन कागजातों का कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में देखने के लिए साधारण बैठक होने से कम से कम 21 दिन पहले रखा जाता है या कोई ऐसा कागजात जिसमें उस वित्तीय विवरणी की प्रमुख विशेषताएं लिखी गई हों ऐसा कंपनी द्वारा इसके लिए विहित प्रपत्र में हो तो उसे प्रत्येक बोर्ड सदस्य प्रत्येक ट्रस्टी और कंपनी द्वारा जिन्हें डिबेंचर जारी किया गया हो, यह भी कंपनी की साधारण बैठक होने से कम 21 दिन पहल दी जाएगी। जब तक कंपनी अंशधारक पूर्ण वित्तीय विवरणी की मांग कर करें।

Provided that in the case of a listed company, the provisions of the Act, shall be deemed to be complied with, if the copies of the documents are made available for inspection at its registered office during working hours for a period of twenty-one days before the date of the meeting and a statement containing the salient features of such documents in the prescribed form or copies of the documents, as the company may deem fit, is sent to every member of the company and to every trustee for the holders of any debentures issued by the company not less than twenty-one days before the date of the meeting unless the shareholders ask for full financial statements:

Provided also that a listed company shall also place its financial statements including consolidated financial statements, if any, and all other documents required to be attached thereto, on its website, which is maintained by or on behalf of the company:

The Company shall comply with the relevant provisions of the Listing Agreement and Rules and Regulation of the SEBI for the preparation, execution and adoption of the financial statements.

Subject to the provisions of Section 131 of the Act and the Applicable Law made there under, the Board may require the preparation of revised financial statement of the Company or a revised Boards' Report in respect of any of the three preceding financial years, if it appears to them that (a) the financial statement of the Company or (b) the report of the Board do not comply with the provisions of Section 129 or Section 134 of the Act.

55. AUDIT

- (a) Statutory Auditors shall be appointed or re-appointed by the Comptroller & auditor General of India and Cost Auditors, if any, shall be appointed by the Board. The rights and duties of auditors shall be regulated in accordance with Sections 139 to 148 of the Act and other Applicable Laws, if any
- (b) Subject to the provisions of Section 139 of the Act and Applicable Laws made thereunder, the Statutory Auditors of the Company shall be appointed for a period not exceeding five consecutive years.
- (c) Secretarial Auditor shall be appointed by the Board and their rights and duties regulated in accordance with Sections 204 of the Act and Applicable Law, if any.

56. DOCUMENTS AND NOTICES

(a) Service of documents and notice

A document or notice may be served or given by the Company on any member either personally or sending it by post to him to his registered address or (if he has no registered address in India) to the address, if any, in India supplied by him to the Company for serving documents or notices on him or by way of any electronic transmission, as prescribed in Section 20 of the Act and Applicable Law made there under. Where a document or notice is sent by post, services of the document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice, provided that where a member has intimated to the Company in advance that documents or notices should be sent to him by registered post with or without acknowledgment due and has deposited with the Company a sum sufficient to defray the expenses of the doing so, service of the documents or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the member and such service shall be deemed to have been effected in the case of Notice of a meeting, at the expiration of forty-eight hours after the letter containing the document or notice is posted and in any other case at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.

Preparation of Revised Financial Statements or Board's Report

Appointment of Statutory Auditors, Cost Auditors and Secretarial Auditor

Documents and Notices बशर्ते लिस्टेड कंपनी उसके वित्तीय विवरणी जिसमें समेकित वित्तीय विवरणी शामिल है यदि कोई कागजात इसके साथ संलग्न हो तो उन सभी को उसकी वेबसाइट पर डाला जायेगा जो वेबसाइट कंपनी द्वारा मेनटेन की जाती है अथवा उसकी ओर से हो।

कंपनी सेवी के लिस्टिंग ऐग्रीमेंट के प्रावधानों एवं नियमों तथा विनियमों के अनुसार वित्तीय विवरणी की सामग्री में जानकारियां जोड़ेगी या हटायेगीं।

अधिनियम की धारा 131 के अनुसार एवं लागू विधियों के अनुसार कंपनी के बोर्ड द्वारा संशोधित वित्तीय विवरणी संशोधित वित्तीय तैयार करेगी अथवा संशोधित बोर्ड की रिपोर्ट किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों हेतु यदि उन्हें ऐसा लगता है कि (क) विवरणी तैयार करना कंपनी की वित्तीय विवरणी अथवा (ख) बोर्ड की रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 129 अन्याथा 134 के प्रावधानों के या बोर्ड की रिपोर्ट तहत रिपोर्ट शामिल की जानी हो।

55. लेखा परीक्षा

(क)यदि भारत के महालेखा परीक्षक एवं लागत परीक्षक द्वारा बोर्ड संवैधानिक लेखा परीक्षक तैनात करना हो तो बोर्ड संवैधानि उसे तैनात करेगी। इस लेखा परीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य अधिनियम की धारा 139 एवं 148 तथा यदि कोई परीक्षक, नियम लागू हो तो उसके अनुसार नियंत्रित होगी। परीक्षक

संवैधानिक लेखा परीक्षक, लागत परीक्षक एवं सचिवीय लेखा परीक्षक की नियक्ति

- (ख)अधिनियम की धारा 139 के अनुसार एवं लागू नियमानुसार एवं उसमें बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी संवैधानिक लेखा परीक्षण अधिकतम लगातार पांच वर्षों के लिए नियुक्ति किया जाएगा ।
- (ग) सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जायंगे और उनके कार्य एवं अधिकार अधिनियम की धारा 204 एवं लागू नियमानुरूप होंगे।

56. कागजात एवं सूचनाएं

(क) कागजात एवं सूचनाएं

कागजात एवं सूचनाएं

कंपनी के किसी सदस्य को सूचना (नोटिस) या तो व्यक्गित रूप में या उनके द्वारा दिए गए भारत के पंजीकृत पते पर भेजकर अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम में जैसा अधिनियम की धारा 20 में बताया गया है, दी जायेगी। जहाँ कागजात या नोटिस को डाक द्वारा भेजने पर या नोटिय या कागजात भेजे जाने पर चाहे वह पावती सहित हो या बिना पावती के हो। जहाँ सदस्य व अलग कंपनी स्वरूप के पास पर्याप्त रूप में रुपये ऐसे खर्च के लिए जमा किए हों। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि ऐसी सूचना या कागजात बैठक की सूचना के मामले में भेजे जाने के 48 घंटे के बाद एवं पत्र जिनकी संख्या दूसरा कागजात संलग्न हो तो ऐसी स्थिति साधारण तौर पर पत्र मिलने की अवधि तक माना जायेगा कि वह उन्हें मिल गया।

(b) Newspaper advertisement of notice to be deemed duly serviced

Newspaper A document or notice advertised in a newspaper circulating in the neighborhood of Advertisement the registered office of the Company shall be deemed to be duly served or sent on the day on which the advertisement appears to every member who has no registered address in India and has not supplied to the Company an address within India for serving of documents on or the sending of notices to him.

(c) Notice to whom served in case of joint shareholders

A document or notice may be served or given by the Company or given to the joint-Notice in holders of a Share by serving or giving the document or notice on or to the jointcase of joint holders named first in the Register of Members in respect of the Share. shareholders

(d) Notice to be served to representative

A document or notice may be served or given by the Company on or to the persons entitled to a Share in consequence of the death or insolvency of a member by sending it through post in a prepaid letter addressed to him or them by name or by the title of representatives of the deceased or assignee of the insolvent or by any like description, at the address if any in India supplied for the purpose by the persons claiming to be entitled, or (until such an address has been so supplied) by serving the document or notice in any manner in which the same might have been given if the death or insolvency had not occurred.

(e) Service of notice of General Meetings

Documents or notices of every General Meeting shall be served or given in the same General manner hereinbefore on or to (a) every member of the Company, legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member, (b) every Director of the Company and (c) the Auditor(s) for the time being of the Company.

(f) Members bound by Notice

Every person who, by operation of law, transfer or other means whatsoever, shall become entitled to any Share, shall be bound by every document or notice in respect of such shares, previously to his name and address being entered on the Register of Members, shall have been duly served on or given to the person from whom he derives his title to such shares.

(g) Documents or notice to be signed

Any document or notice to be served or given by the Company may be signed by a Director or some person duly authorised by the Board of Directors for such purpose and the signatures thereto may be written, printed or lithographed. signed

(h) Notice to be served by post or other electronic means

All documents or notices to be served or given by members on or to the Company or any office thereof shall be served or given by sending it to the Company or officer at the office by post or by registered post, or by leaving it at the office or by such other electronic means as prescribed in Section 20 of the Act and Applicable Law made there under.

Notice to be

representative

served to

Notice of Meetings

Members bound by Notice

Documents or notice to be

Notice by post or electronic means

(ख)	समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के नोटिस की जानकारी देना। समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले कागजात या सूचना दी जाने वाली बोर्ड की सभी सदस्यों को विधिवत ऐसा विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन सूचना दी जायेगी उस मामलें में जहाँ सदस्य ने भारत में कहीं भी पत्रचार के लिए पंजीकृत पता दिया हुआ हो, उस पर लागू होगा।	समाचार पत्र में विज्ञापन
(ग)	संयुक्त अंशधारकों के मामले में किसे नोटिस दिया जाएगा। संयुक्त अंशधारकों के मामले में कंपनी द्वारा कागजात या सूचना शेयर में पहले नाम धारक सदस्य को भेजी जायेगी।	संयुक्त अंशधारकों के मामले में किसे नोटिस
(घ)	प्रतिनिधियों को दी जाने वाली सूचना कंपनी द्वारा कोई कागजात या नोटिस किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में शेयर प्राप्ति के हकदार व्यक्ति या किसी व्यक्ति के पागल होने की दशा में शेयर प्राप्ति के हकदार व्यक्ति को जैसी भी जानकारी कंपनी को दिए गए विवरणों में हो और ऐसी जानकारी उसी स्वरूप में दी जायगी जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होने या दिवालिया न होने की स्थिति में उसे दी जाती।	प्रतिनिधियों को सूचना
(ड)	साधारण बैठक की सूचना का प्रेषण कंपनी के कागजात या साधारण बैठक की सूचना (क) प्रत्येक कंपनी के सदस्य किसी सदस्य के देहांत होने की स्थिति में उसके विधिक प्रतिनिधि या पात्र सदस्य से संबद्ध व्यक्ति (ख) कंपनी के प्रत्येक निदेशक (ग) कंपनी के तत्सयम के लेखा परीक्षतों को दी जायेगी।	साधारण बैठक की सूचना का प्रेषण

(च) सदस्य नोटिस से बाध्य

कोई व्यक्ति जो कानूनन स्थानांतरण या किसी माध्यम से कंपनी के शेयर का पात्र हो वह उस शेयर के संबंध में सदस्य नोटिस से किसी भी प्रकार के नोटिस जो कि शेयर धारक के पंजीकृत पते: सदस्यों के पते पर नोटिस भेजा जायेगा । ^{बाध्य}

(छ) कागजात या नोटिस हस्ताक्षरित होंगे

कंपनी द्वारा दिए जाने वाला कोई कागजात या नोटिस कंपनी के निदेशक या किसी उस व्यक्ति द्वारा जिसे कंपनी निदेशक मंडल द्वारा उद्देश्य के लिए हस्ताक्षिरत, लिखित या लियोग्राफ्ड होगा।

(ज) नोटिस डाक या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजे जाएंगे

नोटिस डाक या अन्य इलक्ट्रानिक माध्यम से मेंग जाएन कंपनी द्वारा सदस्यों को दिए जाने वाले कागजात या सूचनाएं कंपनी के या कार्यालय के पते पर या पंजीकृत पते इलेक्ट्रानिक माध्यम पर डाक द्वारा अथवा उस इलेक्ट्रानिक माध्यमों से जैसा अधिनियम की धारा 120 में दिया गया हो भेजी जाएगी। से

(i) Admissibility of micro films, computer prints and documents to be treated as documents and evidence

Any information in the form of a micro film of a document or image or a facsimile copy or any statement in a document included in a printed material produced by a computer shall be deemed to be a document and shall be admissible in any proceedings without further production of original, provided the conditions referred in Section 397 are complied with. All provisions of the Information Technology Act, 2000 relating to the electronic records, including the manner and format in which the electronic records shall be filed, in so far as they are consistent with the Act, shall apply to the records in electronic form under Section 398 of the Act.

57. WINDING UP

Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and Applicable Law made thereunder— Winding Up

If the Company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a Special Resolution of the Company and any other sanction required by the Act, but subject to the rights attached to any preference Share Capital, divide among the contributories in specie any part of the assets of the Company and may with the like sanction vest any part of the assets of the Company in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the Liquidator, with the like sanction shall think fit. For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability. But this clause is to be without prejudice to the rights of the holders of shares issued upon special terms and conditions.

58. SECRECY CLAUSE

Every manager, Auditor, trustee, member of a committee, officer, servant, agent, **Secrecy Clause** accountant or other person employed in the business of the Company shall, if so required by the Board of Directors, before entering upon the duties, sign a declaration pledging himself to observe strict secrecy respecting all bonafide transactions of the Company with its customers and the state of accounts with individuals and in matters relating thereto and shall by such declaration pledge himself not to reveal any of the matters which may come to his knowledge in the discharge of his duties except when required to do so by the Directors or by any general meeting or by the law of the country and except so far as maybe necessary in order to comply with any of the provisions in these presents and the provisions of the Act. No member shall be entitled to visit or inspect the Company's work without permission of a Director or to require discovery of or any detail of the Company's trading or any matter which is or may be in the nature of a trade secret or secret success which may relate to the Conduct of the business of the company and which in the opinion of the Directors, it will be inexpedient in the interest of the members of the Company to communicate to the public.

59. INDEMNITY AND RESPONSIBILITY

For the purpose of this Article, the following expressions shall have the meanings respectively assigned below:

"Claims" means all claims for fine, penalty, amount paid in a proceeding for compounding/composition or immunity proceeding, actions, prosecutions, and proceedings, whether civil, criminal or regulatory;

Indemnity and Responsibility

Admissibility of micro films, computer prints and documents

47

(झ)माइक्रो फिल्मों, कंप्यूटर प्रिंटों एवं कागजातों एवं सबूत मानने के संबंध में उपबंध (ग्राह्यता)

अधिनियम की धारा 397 के अनुसार कोई जानकारी जो माइक्रो फिल्म, चित्र या फोटो प्रति या कागजात की विवरणी या कंप्यूटर के प्रिंट आदि कंपनी की किसी गतिविधियों में ग्राह्य होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 के प्रावधानों के तहत सभी इलेक्ट्रानिक रिकार्डों को ग्राह्य माना जायेगा।

57. बंद होना

कंपनी अधिनियम के अध्याय 20 एवं उसके अंतर्गत बनाई गई विधियों के प्रावधानों के अनुसार यदि कंपनी बंद होती है तो कंपनी के विशेष संकल्प की मंजूरी एवं अधिनियम द्वारा अपेक्षित किसी अन्य मंजूरी द्वारा मध्यस्थ (लिक्विडेटर) किंतु यह किसी वरीयता वाले शेयर कैपीटल को दिए गए अधिकार, कंपनी के किसी हिस्से की संपत्ति के लिए अवधारकों/अंशदाताओं (डस्ट्रीब्यूटर्स) एवं कंपनी के किसी हिस्से में ट्रस्टी हेतु लगाए गए प्रतिबंध जो कि अंशधारकों के लाभ हेतु मध्यस्थ नियुक्त करना और उन प्रतिबंधों सहित जैसा वह ठीक समझें। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए मध्यस्थ उसे बांटने हेतु जैसे ठीक समझें वह नियत करेगा कि किस प्रकार कंपनी का हिस्सा किया जायेगा छोटे कंपनी के किन सदस्यों के समूह के मध्यम कितना हिस्सा दिया जायोगा जैसा मध्यस्थ के उपयुक्त लगे वह बांट सकेगा। मध्यस्थ जैसा कि कंपनी के पूरे अथवा उसके किसी हिस्से पर ट्रस्टी का प्रतिबंध लागू होता हो जो अशंधारकों के लाभ हेतु है यदि वह आवश्यक समझता है किंतु किसी सदस्य को कोई शेयर लेने हेत बाध्य नहीं किया जायेगा। जहाँ कोई देनदारी बाकी हो। बशर्ते इस खंड की कोई बात बिना पूर्वाग्रह हुए कंपनी के जारी शेयरी के विशेष शर्तो एवं नियमों को नहीं प्रभावित करेगा।

58. गोपनीय खंड

कंपनी का प्रत्येक प्रबंधक, लेखा परीक्षक, ट्रस्टी, समिति का सदस्य, सेवादार, एजेंट, लेखाकार, अथवा कंपनी के कार्य हेतु नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति यदि बोर्ड उससे किसी प्रकार के कर्तव्य, यदि किसी प्रकार के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने और गोपनीयता बरतने का निदेशक कंपनी के किसी भी उपयुक्त कार्य को करने के लिए उसके ग्राहकों और उसके लेखा संबंधी विवरण किसी व्यक्ति को उससे संबंधित मामले में ऐसे शपथ से गोपनीयता की प्रतिबद्धता लेता है कि जो कोई जानकारी उसके संज्ञान में आएगी वह उसे गोपनीय रखेगा सिवाय जब ऐसा कंपनी के निदेशकों अथवा कंपनी के किसी साधारण बैठक में या देश के किसी कानून के तहत उसे बताना पड़े और अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसार उसे ऐसा करना पड़े। कंपनी का कोई सदस्य कंपनी के कार्य को देखने या उसका दौरा करने का पात्र बिना निदेशक की अनुमति के कंपनी के व्यापार का विवरण अथवा किसी कंपनी के संव्यवहार जो कि कंपनी के व्यापारिक सफलता की गोपनीयता या जो कोई मामला कंपनी के निदेशक के सदस्यों के हित हेतु आम जनता को बताना जरूरी नहीं समझे।

59. उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियाँ

इस अनुच्छेद के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए उनका मतलब उनके सामने लिखा गया है:-

"**दावा**" का तात्पर्य सभी दावे, जो जुर्माना, जो कोई राशि कोर्ट के किसी कार्रवाई, क्रिया सजा एवं तत्संबंधी कार्यवाही चाहे वह सिविल या क्रिमिनल अथवा विनियामक गतिविधि के चलते देय राशि से होगा।

गोपनीय खंड

माइक्रो फिल्मों, कंप्यूटर प्रिंटों कागजातों एवं सबूत मानने के संबंध में उपबंध (ग्राह्यता)

बंद होना

उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियाँ

"Indemnified Person" shall mean any Director, officer or employee of the Company, as determined by the Board, who in bonafide pursuit of duties or functions or of honest and reasonable discharge any functions as a Director, officer or employees, has or suffers any Claims or Losses, or against whom any Claims or Losses are claimed or threatened;

"Losses" means any losses, damages, cost and expense, penalties, liabilities, compensation or other awards, or any settlement thereof, or the monetary equivalent of a non-monetary suffering, arising in connection with any Claim;

Indemnification Where Board determines that any Director, officer or employee of the Company should be an Indemnified Person herein, the Company shall, to the fullest extent and without prejudice to any other indemnity to which the Indemnified Person may otherwise be entitled, protect, indemnify and hold the Indemnified Person harmless in respect of all Claims and Losses, arising out of, or in connection with, the actual or purported exercise of, or failure to exercise, any of the Indemnified Person's powers, duties or responsibilities as a Director or officer of the Company or of any of its subsidiaries, together with all reasonable costs and expenses (including legal and professional fees). The Company shall further indemnify the Indemnified Person and hold him harmless on an 'as incurred' basis against all legal and other costs, charges and expenses reasonably incurred in defending Claims including, without limitation, Claims brought by, or at the request of, the Company and any investigation into the affairs of the Company by any judicial, governmental, regulatory or other body. The indemnity herein shall be deemed not to provide for, or entitle the Indemnified Person to, any indemnification against: Any liability incurred by the Indemnified Person to the Company due to breach of trust, breach of any statutory or contractual duty, fraud or personal offence of the Indemnified Person; Any liability arising due to any benefit wrongly availed by the Indemnified Person; Any liability on account of any wrongful information or misrepresentation done by the Indemnified Person. The Indemnified Person shall continue to be indemnified under the terms of the indemnities in this Deed notwithstanding that he may have ceased to be a Director or officer of the Company or of any of its subsidiaries.

60. NOT RESPONSIBLE FOR THE ACTS OF OTHERS

Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal.

61. The Company shall from time to time comply with all the provisions as stipulated under the Listing Agreement and the Rules and the Regulations made by Securities Exchange Board of India (SEBI). Any provision of these Articles which is contrary to the provisions of the Listing Agreement or the Rules and Regulations made by SEBI or the provision of the Act, the said provision shall be deemed to be amended to the extent necessary to made it compliant with the said Listing Agreement or the Rules and Regulations of the SEBI or the Act. In case of any inconsistency between the provisions of these Articles, Listing Agreement, SEBI Rules and Regulations and the Act, the provision/ compliance which is/are more onerous shall be applicable in such case, and these Articles shall be deemed amended to such extent.

Not Responsible for acts of others

Requirement of Compliance with the provisions of the Listing Agreement and the Rules and Regulations made by Securities Exchange Board of India (SEBI) "बंधक व्यक्ति" का तात्पर्य कंपनी का वह निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी जैसा कंपनी के बोर्ड द्वारा नियत किया जाए जो कंपनी के उपयुक्त कार्यों के संबंधन में किसी रूप में कंपनी का निदेशक, अधिकारियों या कर्मचारी रहते हुए किसी प्रकार की उसे हानि होती है या उससे दावा किया जाता है या उससे किसी प्रकार के "दावे" की धमकी मिलती है तो उसे बंधक माना जायेगा ।

"हानि" इसका तात्पर्य वह हानियां, नुकसान, लागत एवं व्यय जुर्माना, देयताएं, प्रतिपूर्तियां या अन्य सजा या उन कार्यों का निपटान जिसमें उसे किसी प्रकार की संपत्ति या रुपये का नुकसान हुआ हो वह हानि की श्रेणी में आयेगा। "बंधक"जहाँ बोर्ड को लगता है कि कोई कंपनी निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी यहां बंधक है जहाँ कंपनी अपने पूरी क्षमता पूर्वक उस ऐस व्यक्ति को छुडाने के लिए सभी प्रकार दावों, हानियों जो उस व्यक्ति के किसी परोक्ष कार्य से या उसके कोई कार्य विशेष न कर पाने की दशा में सभी संभावित खर्चे इसमें उस कार्य से जुड़े सभी सहायक व्यय इसमें कानूनी व व्यावसायिक व्यय शामिल है कटेगी। कंपनी सर्वप्रथम एक प्रकार कंपनी बंधक व्यक्ति को बिना किसी प्रकार की हानि के छुड़ाएगी और उसके लिए किसी भी प्रकार का कानूनी या अन्य व्यय वहन करेगी इसमें दावों की रक्षा करने के लिए बिना किसी भी कंपनी के मामले में किसी न्यायिक सरकारी, विनियामक या अन्य संस्था द्वारा लगाए गए आरोपों के व्यय शामिल होंगे किंतु उन दशाओं में जहाँ बंधक बनाए गए व्यक्ति ने कंपनी के साथ विश्वाघात किया हो या किसी संवैधानिक डयूटी का उल्लंघन किया हो या किसी प्रकार उस उपयुक्त लाभ प्राप्त किया या किसी प्रकार की गलत जानकारी देकर या जानबूझकर कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे वह कंपनी का निदेशक, अधिकारी नहीं बने रहे सकते वहाँ वह बंधक ही रहेगा।

60. दूसरों के कार्यों के लिए जिम्मेवार नहीं

कंपनी के प्रत्येक अधिकारी की रक्षा की जायेगी जब वह कंपनी के प्रति किसी कार्यवाई में कंपनी की रक्षा करते हुए दूसरों **के कार्यों के** किसी प्रकार के सिविल या क्रिमनल मामले में जिसमें निर्णय उसके पक्ष में गया हो या कोई मामला जिसमें वह बरी ^{लिए जि}म्मेवार नहीं हो गया हो या जिस मामले में कोई या न्यायाधिकारण द्वारा उस व्यक्ति को राहत दी गई हो।

61. सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट एवं अन्य नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की अनिवार्यताएं

कंपनी समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति एवं संरक्षा बोर्ड (सेबी) द्वारा लिस्टिंग एग्रीमेंट एवं उसके नियमों तथा शर्तों के तहत बनाए जाने वाले नियमों का पालन करेगी। यदि कंपनी के अधिनियम का कोई प्रावधान सेबी द्वारा लिस्टिंग करार अथवा अन्य नियमों के अनुरूप नहीं होने की दशा में ऐसा माना जायेगा कि कंपनी के उस प्रावधान में उस सीमा तक संशोधन कर दिया गया है। जहाँ तक वह सेवी के नियमों के अनुरूप न हो जाए। यदि कंपनी अधिनियम के उपबंधों और लिस्टिंग एग्रीमेंट के किसी नियम एवं विनियमों के मध्यम अंतर पैदा हो जाए तो ऐसा माना जायेगा कि उस कंपनी अनुच्छेद में उतना संशोधन कर दिया गया है जितना उसके सेबी के प्रावधानों के अनुरूप होने के लिए जरूरी है।

सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट एवं अन्य नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की अनिवार्यताएं

Sl. No	Name of Subscribers	Address, description and occupation, if any	Signature of Subscribers	Signature of witness and his address and occupation
	1	2	3	4
	President of India, through:			
1.	Shri PK Nayak S/o Late Shri PP Nayak	Secretary to the Govt. of India, Department of Works, Housing & Urban Development, Ministry of Health, Family Planning & Works, Housing & Urban Development, New Delhi		
2.	Shri TN Srivastava S/o Late Shri Maheshri Prasad	Deputy Secretary, Department of Works, Housing & Urban Development, Ministry of Health, Family Planning & Works, Housing & Urban Development, New Delhi		
3.	Shri CR Bose S/o Late Shri KC Bose	Under Secretary, Department of Works, Housing & Urban Development, Ministry of Health, Family Planning & Works, Housing & Urban Development, New Delhi		

Dated this twenty first day of April, 1970.

Note: In case of any inconsistency in Hindi and English version, the English version will prevail.

क्र.सं.	अभिदाताओं के नाम	पते, विवरण और व्यवसाय, यदि कोई है	अभिदाताओं के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर पता और उसका व्यवसाय
	1	2	3	4
	भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित के माध्यम से:	_		
1	श्री पी के नायक पुत्र स्व. श्री पी पी नायक	भारत सरकार के सचिव, निर्माण आवास एवं नगर विकास निगम, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, आावास एवं नगर विकास मंत्रलय, नई दिल्ली		
2	श्री टी एन श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री मेहश्री प्रसाद	उप-सचिव, निर्माण, आवास एवं नगर विक विभाग, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रलय, नई दिल्ली	जस	
3	श्री सी आर बोस पुत्र स्व. श्री के सी बोस	अवर सचिव, निर्माण, आवास एवं नगर वि विभाग, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रालय, नई दिल्		

दिनांक 21 अप्रैल, 1970

नोटः हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं के पाठ में विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा का पाठ ही मान्य होगा ।